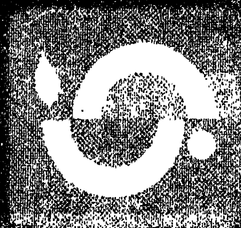


Registrar General's News Letter



OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

महारजिस्ट्रार की पत्रिका
REGISTRAR GENERAL'S NEWSLETTER

जनवरी – 1987 JANUARY – 1987

खण्ड – 18 VOLUME XVIII

संख्या – 1 NUMBER 1

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग
VITAL STATISTICS DIVISION

पश्चिमी खण्ड –1, राम कृष्ण पुरम,
WEST BLOCK – 1, RAMAKRISHNA PURAM,

नई दिल्ली–110066.
NEW DELHI – 110066

पाठकों के लिये

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की यह तिमाही पत्रिका प्रति वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर में प्रकाशित की जाती है ।

* * * *

विश्लेषणात्मक टिप्पणियों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के ही हैं । यह आवश्यक नहीं है कि वे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय या भारत सरकार के हों ।

* * * *

किसी भी प्रकार की पूछताछ और सुझाव निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं ।

* * * * * *

संयुक्त महारजिस्ट्रार, भारत,
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय,
जीवनांक प्रभाग, गृह मंत्रालय,
पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066 (भारत)

विषय सूची

महारजिस्ट्रार के कार्यालय से

जनसंख्या से संबंधित विभिन्न जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक घटकों के स्तरों और प्रवृत्तियों के विस्तृत विश्लेषण के लिए 1981 की जनगणना में प्राप्त विस्तृत आंकड़ों का संसाधन किया जा रहा है और उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर जारी किया जा रहा है । इस संबंध में 1981 की जनसंख्या में 20% आंकड़ों के आधार पर एकत्रित " राजस्थान में प्रजननता और मृत्यु-दर विभेदक" शीर्षक नामक रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण और सिविल रजिस्ट्रीकरण पद्धति की राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती रही है । इस संबंध में हम जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करते रहें हैं ताकि सिविल रजिस्ट्रीकरण पद्धति के कार्यकरण की समीक्षा हो सके और उसमें किए जाने वाले सुधारों के बारे में उपायों का पता चल सके । ऐसे सम्मेलनों का प्रथम दौर वर्ष 1985 में पूरा हुआ जिसमें देश के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया । इन सम्मेलनों का दूसरा दौर समीक्षाधीन तिमाही में आरम्भ हुआ । इस श्रृंखला में प्रथम सम्मेलन 20-21 अक्टूबर, 1986 को बंगलौर में आयोजित किया गया जिसमें दक्षिण क्षेत्र के सभी/संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल किया गया । भारत सरकार द्वारा देश में वर्ष 1986 को एक उत्तम सिविल रजिस्ट्रीकरण वर्ष घोषित किए जाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन में सिविल रजिस्ट्रीकरण पद्धति में और सुधार किए जाने की संभाव्यताओं की विस्तार से समीक्षा की गई । देश के शेष क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ।

सिविल रजिस्ट्रीकरण आंकड़ों पर आधारित "भारत में जन्म और मृत्युओं का कानूनी रजिस्ट्रीकरण" (संक्षिप्त सांख्यिकीय रिपोर्ट, 1983), नामक प्रकाशन हाल ही में प्रकाशित किया गया है । इसमें जन्मों, मृत्युओं, शिशु मृत्युओं और चिकित्सीय तौर पर प्रमाणीकृत मृत्युओं के आंकड़े दिए गए हैं ।

वर्ष 1985 के सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली पर आधारित जन्म, मृत्यु और शिशु मृत्यु दरें भी प्रकाशित की जा चुकी है ।

नई दिल्ली

अप्रैल 1, 1987

भारत की जनगणना

जनसंख्या

1981 की जनगणना में एकत्र किए गए बृहत आंकड़ों को संसाधित कर उन्हें समय-समय पर जारी किया जा रहा है यह कार्य जनसंख्या से संबंधित विभिन्न जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक घटकों के स्तरों और प्रवृत्तियों के गहन विश्लेषण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। 1981 की जनगणना के दौरान एकत्रित 20 प्रतिशत आंकड़ों पर आधारित "राजस्थान में प्रजननता और मृत्यु-दर विभेदक" शीर्षक नामक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यह मुद्रणाधीन है।

2. सेम्पल सर्वेक्षण और अध्ययन

सिविल रजिस्ट्रीकरण आंकड़ों पर आधारित "भारत में जन्म और मृत्युओं का कानून रजिस्ट्रीकरण" (संक्षिप्त सांख्यिकीय रिपोर्ट, 1983) नामक प्रकाशन हाल ही में प्रकाशित किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, शिशु मृत्यु और चिकित्सीय प्रमाणीकृत मृत्युओं संबंधी आंकड़े दिए गए है। इसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जन्म मृत्यु की घटनाओं को दर्ज करने आदि के स्तर भी दिए गए हैं।

स.र. पद्धति पर आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां, 1976-80 संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। इसमें भारत और मुख्य राज्यों के स्त्री- पुरूष वार ग्रामीण तथा नगरीय अनुसार 0,1,5, वर्षों और उसके बाद आयु के पंच वार्षिक अन्तराल की जीवन सारणियां दी गई है। वर्ष 1976-80 के लिए राज्यवार जन्म के समय स्त्री- पुरूष के अनुसार जीवन की सम्भाव्यता निम्नलिखित है :-

राज्य	पुरूष	स्त्रियां	व्यक्ति
भारत	52.5	52.1	52.3
आन्ध्र प्रदेश	52.2	54.2	53.1
असम	51.6	50.4	51.1
गुजरात	51.6	53.2	52.4
हरियाणा	56.7	52.5	54.8
हिमाचल प्रदेश	58.1	54.9	56.6
जम्मू व कश्मीर	58.1	55.2	56.8
कर्णाटक	56.2	56.6	56.3
केरल	63.5	67.6	65.5
मध्य प्रदेश	49.4	48.7	49.0
महाराष्ट्र	55.6	57.1	56.3
उड़ीसा	50.0	48.4	49.1
पंजाब	60.9	60.2	60.5
राजस्थान	51.0	53.0	51.9
तमिलनाडु	53.5	53.4	53.4
उत्तर प्रदेश	48.5	43.8	46.2

3. रजिस्ट्रीकरण कार्यकलाप

(i) राष्ट्रीय स्तर पर

जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों की क्षेत्रीय स्तरीय बैठकें ।

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सिविल रजिस्ट्रीकरण पद्धति के कार्यकरण की समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के उद्देश्य से जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों की समय समय पर क्षेत्रीय स्तरीय बैठकें आयोजित करता है । ऐसी बैठकों का पहला दौर पूरा हो चुका है जिसमें देश के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया था । ये बैठकें वर्ष 1981 से 1985 की

विभिन्न अवधियों में मद्रास, चण्डीगढ़, भोपाल, अहमदाबाद, शिलांग और पु में आयोजित की गई थी । और इनमें सम्बन्धित क्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रारों औ राज्यों के प्रतिनिधियों और उन राज्यों में चुनिंदा मुख्य नगर पालिकाओं/ निगमों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । देश में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रारों की क्षेत्रीय स्तरीय बैठकों का दूसरा दौर 1986 में शुरू हुआ और दक्षिण क्षेत्र के बारे में इसकी पहली बैठक बंगलौर में 20-21 अक्तूबर, 1986 को आयोजित की गई थी ।

प्रचार

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जन्म और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण के बारे में काफी प्रचार कर रहा है । यह प्रचार चलचित्रों, वृत्तचित्रों, रेडियो वार्ता, टी॰वी॰वार्ता, पोस्टर, समाचारपत्रों और मैगजीनों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण के महत्व के बारे में "पते की बात" नामक वार्ता भी दिल्ली दूरदर्शन पर नियमित आधार पर दिखाई जा रही है । जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के महत्व के बारे में एक नई फिल्म अर्थात "अपनी सुविधा अपने हाथ" तैयार की जा रही है । हाल ही में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के महत्व के बारे में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के सहयोग से लगभग 8,000 सिनेमा स्लाइड तैयार किए गए हैं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को नियमित प्रदर्शन के लिए भेजे गए हैं इसके अलावा, इस सम्बन्ध में हिन्दी और अंग्रेजी में 20 सैकिंड का एक नया रंगीन टी॰वी॰ वीडियो स्पाट भी तैयार किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण

राज्य/जिला मुख्यालय में जीवनांक के प्रभारी अधिकारियों के लिए सिविल रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 से 8 नवम्बर, 1986 के दौरान आयोजित किया गया । इसमें 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 30 ... अधिकारियों ने भाग लिया । प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में उन्हें कुछ सिविल रजिस्ट्रीकरण केन्द्र भी दिखाए गए ।

§11§ राज्य स्तर पर

प्रचार और अन्य कार्यकलाप

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सिविल रजिस्ट्रीकरण के बारे में चलचित्र भ दिखाए गए। प्रत्येक राज्य में इन चलचित्रों को बहुत से लोगों ने देखा। इस अलावा जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में केरल, मध्य प्रदेश, महारा मणिपुर, राजस्थान के राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्यक्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश

राज्य की अन्तः विभागीय समन्वय समिति की बैठक शिमला में 23.12.86 को आयोजित की गई और महारजिस्ट्रार के कार्यालय में उप नि श्री के0के0 रस्तोगी ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में निम्नलिखित मुख्य नि लिए गए थे :-

1. राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक तिमाही में कम से कम र बार अवश्य होनी चाहिए और जिन जिलों में ऐसी समितियाँ गठित नहीं की गई हैं वहाँ पर ये समितियाँ शीघ्र ही गठित की जाएं।

2. स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सिविल रजिस्ट्रीकरण के कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों के उपयोग के लिए पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ एक वाहन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

3. जिला स्तर पर रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड के उचित रखरखाव के लिए रिकार्ड रूम बनवाने के लिए वर्ष 1987-88 के बजट में निधि की व्यवस्था की जाएगी।

गुजरात

16.10.86 को गुजरात की अन्त: विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए :-

1. स्कूल में प्रथम प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया जाए । इस संबंध में गुजरात के शिक्षा निदेशक द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
2. स्कूल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र में उस बच्चे का नाम भी होना चाहिए जिसे दाखिल किया जाना है ।
3. सांख्यिकीय सहायक के पद को "सांख्यिकीय सहायक-एवं जन्म और मृत्यु निरीक्षक" का नया पदनाम दिया जाएगा और जिला स्तर पर सांख्यिकीय सहायक के पद का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि जिला स्तर पर पर्यवेक्षण के कार्य को तीव्र किया जा सके ।
4. सूचनादाताओं से कहा जाए कि वे फार्म नं0 5,6 और 7 के बजाय फार्म नं0 2,3 और 4 भरें और परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवा कर उन्हें जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार को दें ।

केरल

केरल की अन्त: विभागीय समन्वय समिति की बैठक 12.11.86 को त्रिवेन्द्रम में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

1. केरल शिक्षा नियमों में संशोधन किया जाना जरूरी है ताकि स्कूलों में बच्चों के प्रथम प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता के लिए प्रावधान किया जा सके ।
2. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित मुख्य मुख्य बातें लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएं । इसके अलावा फिल्मों के प्रदर्शन से पहले सिनेमा घरों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के महत्व के

3. मृत्यु के कारण संबंधी चिकित्सीय प्रमाणीकरण योजना का विस्तार करने के लिए प्रबंध किए जाएं ।

केरल में वर्ष 1986 को उत्तम सिविल रजिस्ट्रीकरण वर्ष के रूप में मनाया जाए गया । इस संबंध में, रजिस्ट्रीकरण इकाइयों के स्तर पर जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का व्यापक प्रचार करने के लिए सभी संभव उपाय किए गए । इसके अलावा पंचायतों से लेकर राज्य स्तर पर सेमिनार आयोजित किए गए जिनमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के महत्व पर बल देने के लिए सक्रिय विचार-विमर्श किया गया ।

महाराष्ट्र

पुणे नगर निगम ने ससून जनरल अस्पताल में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अपना दूसरा केन्द्र खोला है जो जनता की सुविधा के लिए दिन-रात खुला रहेगा पिंपरी-छिंछवाड नगर निगम ने भी जीजामाता अस्पताल, पिम्परी में एक नया रजिस्ट्रीकरण केन्द्र खोला है जिसमें जनता के लाभ के लिए सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं ।

मणिपुर

वर्ष 1986 को उत्तम सिविल रजिस्ट्रीकरण वर्ष के रूप में मनाने के संबंध में राज्य में अलग अलग स्थानों पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के बारे में 9 कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनका उद्देश्य लोगों को सिविल रजिस्ट्रीकरण की प्रणाली की कार्यविधि और उसके लाभों के बारे में शिक्षित करना था ।

उड़ीसा

ब्लाकों में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का शत प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण और गैर आई0सी0डी0एस0 ब्लाकों में 80% रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं । इसके अलावा बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को देने के लिए उत्तरदायी बना दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल

वर्ष 1986 को उत्तम सिविल रजिस्ट्रीकरण वर्ष के रूप में मनाने के संबंध में 10.9.86 को रतौंदा में स्वास्थ्य उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में सुधार लाना था ।

जन्म और मृत्यु की सूचना देने की प्रणाली में सुधार लाने के लिए बीरभूम और माल्दा जिलों में बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और साथ ही साथ चौकीदारों द्वारा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना देने के संबंध में एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 31.10.86 को जन्म और मृत्यु सांख्यिकी के बारे में अन्त: विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई । जनगणना कार्य निदेशालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उप निदेशक श्री आर.के.भाटिया ने इस बैठक में भाग लिया । इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के कार्य में सुधार लाने के उद्देश्य से ग्रामीण और साथ ही नगरीय क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकरण के कार्य की समीक्षा की गई ।

पांडिचेरी

जन्म और मृत्यु सांख्यिकी के बारे में अन्त: विभागीय समन्वय समिति की बैठक 15.10.86 को पांडिचेरी में हुई जिसमें भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार श्री के.एन.श्रीनिवासन ने भाग लिया । बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए :-

1. सूचनादाता के रूप में कार्यरत समाज कल्याण विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के स्थान पर प्रसूति सहायकों और महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों को सूचनादाता बनाया जाएगा ।

2. स्थानीय प्रशासन विभाग रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्त्ताओं के लिए एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा ।
3. मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणीकरण की योजना का विस्तार राजकीय प्रसूति अस्पताल, पांडिचेरी में किया जाएगा ।
4. वर्ष 1987-88 के बजट प्रस्ताव के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु सांख्यिकी सैल को सुदृढ़ बनाने की योजना बनाई गई है ।
5. करैक्ल नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को जन्म-मृत्यु सांख्यिकी की सभी लम्बित मासिक रिपोर्टें शीघ्र भेजनी होती है और साथ ही यह सुनिश्चित करने के उपाय करने होंगे कि भविष्य में ये रिपोर्टें निर्धारित समय सीमा के अन्दर भेजी जाएं ।

प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश

राज्य के 29 जिलों में जिला स्तर के रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

मणिपुर

रजिस्ट्रारों और उप रजिस्ट्रारों के लिए सिविल रजिस्ट्रीकरण के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 56 व्यक्तियों ने भाग लिया ।

अनुसंधान और विकास स्कंध, चिकित्सा निदेशालय, इम्फाल में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पहले दिन मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण और दूसरे दिन मृत्यु के कारण का सर्वेक्षण (ग्रामीण) के बारे में प्रशिक्षण दिया गया । भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार श्री के.एन. श्रीनिवासन् ने दोनों दिन प्रशिक्षार्थियों को भाषण दिया। इस कार्यक्रम में पहले और दूसरे दिन क्रमश: 42 और 32 व्यक्तियों ने भाग लिया ।

पंजाब

क्षेत्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रशिक्षण केन्द्र, पंजाब, चंडीगढ़ में 23 सितम्बर से 28 नवम्बर, 1986 के दौरान सामान्य और स्वास्थ्य सांख्यिकी में 10 सप्ताह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गया ।

चिकित्सा अधिकारियों के लिए 9-23 दिसम्बर, 1986 के दौरान स्वास्थ्य सांख्यिकी में दो सप्ताह का प्रदर्शन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया ।

28 अक्तूबर, 1986 को कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग विज्ञानियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रचार, मानिटरिंग और मूल्यांकन से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ।

आंकड़े एक दृष्टि में

अनुमानित्त वार्षिक जन्म और मृत्यु दरें - 1985

प्रति हजार

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	क्षेत्र	जन्म-दर	मृत्यु-दर
1	2	3	4	5
	राज्य			
1·	आन्ध्र प्रदेश	यौगिक	29·5	10·1
		ग्रामीण	29·2	10·9
		नगरीय	2[illegible]·6	7·0
2·	असम	यौगिक	34·3	13·1
		ग्रामीण	35·0	13·5
		नगरीय	25·0	8·4
3·	बिहार	यौगिक	37·6	14·9
		ग्रामीण	38·3	15·5
		नगरीय	30·9	8·8
4·	गुजरात	यौगिक	32·7	10·7
		ग्रामीण	33·5	11·7
		नगरीय	31·1	8·7
5·	हरियाणा	यौगिक	35·5	9·1
		ग्रामीण	36·3	9·6
		नगरीय	32·5	7·0
6·	हिमाचल प्रदेश	यौगिक	30·2	10·5
		ग्रामीण	30·7	10·8
		नगरीय	23·7	6·5
7·	जम्मू और कश्मीर	यौगिक	32·9	9·6
		ग्रामीण	35·1	10·3
		नगरीय	25·0	7·1
8·	कर्णाटक	यौगिक	29·0	8·6
		ग्रामीण	30·1	9·6
		नगरीय	26·2	6·1
9·	केरल	यौगिक	22·9	6·4
		ग्रामीण	22·6	6·4
		नगरीय	24·1	6·6

1	2	3	4	5
10·	मध्य प्रदेश	यौगिक	38·8	13·9
		ग्रामीण	40·3	15·1
		नगरीय	32·8	9·3
11·	महाराष्ट्र	यौगिक	28·9	8·4
		ग्रामीण	29·6	9·4
		नगरीय	27·7	6·7
12·	मणिपुर	यौगिक	27·5	7·4
		ग्रामीण	28·9	7·6
		नगरीय	23·4	6·8
13·	मेघालय	यौगिक	39·1	12·7
		ग्रामीण	42·4	14·3
		नगरीय	24·1	5·6
14·	नागालैंड	यौगिक	24·8	6·0
		ग्रामीण	27·7	6·7
		नगरीय	11·2	3·0
15·	उड़ीसा	यौगिक	30·3	13·9
		ग्रामीण	30·6	14·5
		नगरीय	27·7	7·9
16·	पंजाब	यौगिक	28·7	9·0
		ग्रामीण	29·1	9·9
		नगरीय	27·6	6·7
17·	राजस्थान	यौगिक	39·2	12·9
		ग्रामीण	40·7	13·8
		नगरीय	32·9	9·2
18·	सिक्किम	यौगिक	33·1	10·7
		ग्रामीण	35·1	11·7
		नगरीय	24·2	6·2
19·	तमिल नाडु	यौगिक	24·8	9·5
		ग्रामीण	25·3	10·9
		नगरीय	23·8	6·9

1	2	3	4	5
20·	त्रिपुरा	यौगिक	27·1	9·8
		ग्रामीण	27·4	10·0
		नगरीय	24·1	7·7
21·	उत्तर प्रदेश	यौगिक	37·5	15·8
		ग्रामीण	39·0	17·2
		नगरीय	31·6	9·6
22·	पश्चिम बंगाल	यौगिक	28·6	9·1
		ग्रामीण	32·1	10·2
		नगरीय	19·9	6·4
	संघ राज्यक्षेत्र :			
1·	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	यौगिक	28·3	6·8
		ग्रामीण	30·6	7·9
		नगरीय	20·9	3·4
2·	अरूणाचल प्रदेश	यौगिक	34·1	13·0
		ग्रामीण	34·4	13·8
		नगरीय	30·5	2·2
3·	चण्डीगढ़	यौगिक	24·5	4·0
		ग्रामीण	32·3	6·1
		नगरीय	23·9	3·8
4·	दादरा और नागर हवेली	ग्रामीण	36·9	11·8
5·	दिल्ली	यौगिक	32·5	7·8
		ग्रामीण	35·6	9·8
		नगरीय	32·2	7·7
6·	गोवा, दमन और दीव	यौगिक	19·1	7·8
		ग्रामीण	19·0	8·7
		नगरीय	19·4	6·0

1	2	3	4	5
7.	लक्षद्वीप	यौगिक	35.0	7.2
		ग्रामीण	37.2	9.2
		नगरीय	32.7	5.0
8.	मिज़ोरम	-	-	-
9.	पाण्डिचेरी	यौगिक	22.2	7.3
		ग्रामीण	26.3	8.6
		नगरीय	18.8	6.3
	भारत	यौगिक	32.7	11.7
		ग्रामीण	34.0	12.9
		नगरीय	28.0	7.6

स्रोत : सेम्पल रजिस्ट्रीकरण पद्धति

अनन्तिम

अनुमानित शिशु मृत्यु दरें - 1985

राज्य	ग्रामीण	नगरीय	यौगिक
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	90	58	83
असम	112	91	111
बिहार	109	59	105
गुजरात	112	64	98
हरियाणा	92	58	85
हिमाचल प्रदेश	87	32	84
जम्मू और कश्मीर	94	44	86
कर्नाटक	80	41	71
केरल	32	30	32
मध्य प्रदेश	131	78	122
महाराष्ट्र	78	49	68
उड़ीसा	135	77	130
पंजाब	77	51	71
राजस्थान	114	72	108
तमिल नाडु	93	53	80
उत्तर प्रदेश	152	77	140
पश्चिम बंगाल	85	48	77
भारत	105	57	95

स्रोत : सैम्पल रजिस्ट्रीकरण पद्धति

5. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं । इस बारे में 25 अगस्त,86 से 2 सितम्बर,1986 के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसके अलावा जनगणना कार्य निदेशालय आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली में भी इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की गई । अक्तूबर,1986 के दौरान संसदीय समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा जनगणना कार्य निदेशालय केरल, त्रिवेंद्रम का हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में निरीक्षण किया गया । इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों का भी भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा इसी प्रकार का निरीक्षण किया गया ।

22-26 सितम्बर, 1986 के दौरान इस कार्यालय में "हिन्दी-सप्ताह" मनाया गया और अक्तूबर-नवम्बर,1986 की अवधि के दौरान विभिन्न तारीखों को असम, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और दिल्ली में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में भी "हिन्दी-सप्ताह" मनाया गया । 28 नवम्बर,1986 को जनगणना कार्य निदेशालय दिल्ली में "हिन्दी-दिवस" भी मनाया गया ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन इस कार्यालय के तीन अधिकारियों को हिन्दी की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन मंजूर किया गया । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तीन अधिकारियों को हिन्दी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है ।

6. सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि :

संसद भवन में 16-18 अक्तूबर,1986 के दौरान बंजर भूमि विकास संस्था द्वारा आयोजित बंजर भूमि विकास के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी में, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में डा० भूपेन्द्र कान्त राय, उप महारजिस्ट्रार ने विवेचक के रूप में भाग लिया और "क्या बंजर भूमि गरीबों की

अन्तिम आशा है" के बारे में एक पेपर भी प्रस्तुत किया । उन्होंने सम्मेलन में भी भाग लिया और "भूमि उपयोग नीति और योजना बनाने के लिए भूमि उपयोग अर्थात् भूमि वर्गीकरण दृष्टिकोण" के बारे में एक पेपर प्रस्तुत किया । इस सम्मेलन में उन्होंने "क्षेत्रीय भूमि उपयोग योजना" के बारे में अधिवेशन की अध्यक्षता भी की । इस सम्मेलन में, श्री पी०एस० चिक्कारा, मानचित्र विश्लेषक ने "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में भूमि उपयोग योजना" के बारे में एक पेपर भी प्रस्तुत किया ।

24-26 नवम्बर, 1986 के दौरान भू विज्ञान केन्द्र, त्रिवेंद्रम में भारतीय राष्ट्रीय मानचित्रकारी संस्था के छठे वार्षिक सम्मेलन में श्री महेश राम, अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के पर्यवेक्षण में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के मानचित्र प्रभाग से एक दल द्वारा 1881 से 1981 तक भारत की जनगणना, मानचित्रों, मानचित्रावलियों पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की गई

विविध

श्री जे०एस० रस्तोगी, सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) ने उत्तर प्रदेश राज्य में, लखनऊ में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से सम्बन्धित बैठक में भाग लिया । उन्होंने जन्म-मृत्यु की घटनाओं के वर्तमान रजिस्ट्रीकरण के बारे में स्थिति का पता लगाने के लिए, 6-10 अक्तूबर, 1986 के दौरान उस राज्य के बदायूं जिले के कुछेक ब्लाकों का दौरा किया । इसके अतिरिक्त, उन्होंने मृत्यु के कारणों के सर्वेक्षण से संबंधित विषयों पर उस राज्य के संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया ।

..../-17

7. नियुक्तियां, स्थानान्तरण आदि

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

1. अधिवर्षिता प्राप्त होने पर, भारत के [illegible] महारजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत श्री विजय पाल पाण्डे (के0स0से0 के चयन ग्रेड के अधिकारी) ने तारीख 31 दिसम्बर, 1985 के अपराह्न से उक्त पद का कार्यभार छोड़ा।

2. अन्वेषक/अन्वेषक (सा0अ0) के पद पर कार्यरत सर्वश्री आनन्द कुमार, टी0सी0 [illegible], बाबू लाल, वी0पी0 कटारिया, ओ0पी0 आहूजा, सुभाष ग[illegible] सी0 [illegible] और ए0के0 सिंह को सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया।

3. जनगणना कार्य निदेशालय, महाराष्ट्र में अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के पद पर कार्यरत श्री माधव श्याम को उसी क्षमता में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया।

4. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत सर्वश्री के0बी0 रोहतगी और आर0के0 सक्सेना और श्रीमती रेणु सम्भरवाल को, उनके अनुरोध पर, अन्वेषक/अन्वेषक (सा0अ0) के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया।

जनगणना कार्य निदेशालय

आन्ध्र प्रदेश

1. सर्वश्री [illegible] राव और वी0वी0एस0 शास्त्री, अन्वेषकों को सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पदों पर पदोन्नत किया गया।

असम

2. श्री निर्मल [illegible], अन्वेषक को सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया।

[illegible]

3. सर्वश्री [illegible] दास और [illegible] मोना, अन्वेषक/अन्वेषक (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया।

गुजरात

4. श्री एन0एन0 भटनागर, अन्वेषक को सहायक निदेशक जनगणना का तकन के पद पर पदोन्नत किया गया ।

हरियाणा

5. श्री जी0डी0 गिला, अन्वेषक को सहायक निदेशक जनगणना कार्य तकनी के पद पर पदोन्नत किया गया ।

जम्मू और कश्मीर

6. भारतीय प्रशासनिक सेवा जम्मू और कश्मीर संवर्ग के श्री नाजिर अहमद कमिली को जनगणना कार्यालय जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर में जनगणना कार्य नि के पद पर नियुक्त किया गया ।

कर्नाटक

7. श्री के0आर0 नारायण, अन्वेषक को सहायक निदेशक जनगणना कार्य तकनी के पद पर पदोन्नत किया गया ।

केरल

8. श्री के0 गोपीनाथन, अन्वेषक/अन्वेषक (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणन कार्य (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

मध्य प्रदेश

9. श्री एम0जी0 मोहरील, अन्वेषक/अन्वेषक (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

महाराष्ट्र

10. जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ भूगोलवेत्ता श्री के0एस0 ठाकुर को अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के पद पर पदोन्नत किया गया और जनगणना कार्य निदेशालय, महाराष्ट्र में तैनात किया गया ।

11. सर्वश्री के0के0 [illegible] और आर0एन0 [illegible], अन्वेषक/अन्वेषक (सा0अ0) को सहायक निदेशक [illegible] कार्य (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

[illegible]

12. डा0 [illegible] सिंह, [illegible] (सा0अ0) को सहायक निदेशक [illegible] के पद पर पदोन्नत किया गया ।

पंजाब

13. श्री कर्म सिंह, [illegible]/अन्वेषक (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य [illegible] के पद पर [illegible] किया गया ।

[illegible]

14. सर्वश्री [illegible] सिंह, आर0एम0 मीना, बी0एल0 टिक्कू, जी0डी0 अग्रवाल और एन0के0 पुरोहित, [illegible] (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य [illegible] के पद पर [illegible] [illegible] ।

[illegible]

15. सर्वश्री ए0जी0 [illegible], वी0 गंगाराजन, जे0टी0 मकाड़ों और आर0 [illegible], [illegible] (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य [illegible] के पद पर [illegible] किया गया ।

उत्तर प्रदेश

16. [illegible] सेवा [illegible] एस0सी0एस0 1977) के श्री चन्दन गोपाल, को [illegible] कार्य [illegible] उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर [illegible] किया गया ।

17. सर्वश्री [illegible] सिंह, लखन सिंह, [illegible], बुद्ध सिंह और राम कुबेर राम, [illegible] (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य [illegible] के पद पर [illegible] किया गया ।

अरुणाचल प्रदेश

18. श्री ए0के0 पाल, अन्वेषक/अन्वेषक (सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य(तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

चण्डीगढ़

19. श्री के0बी0 लखन पाल, अन्वेषक/अन्वेषक(सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य(तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

पाण्डिचेरी

20. श्री एम0 विद्यासागर, अन्वेषक/अन्वेषक(सा0अ0) को सहायक निदेशक जनगणना कार्य(तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

मुख्य रजिस्ट्रार का कार्यालय

हिमाचल प्रदेश

1. डा0 डी0एस0 चौहान के स्थान पर डा0 सी0एल0 मल्होत्रा ने निदेशक स्वास्थ्य सेवा और जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार सम्भाला ।

2. श्री एल0सी0 शर्मा, सहायक निदेशक(जीवनांक), जन्म और मृत्यु उप मुख्य रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश भी है ।

महाराष्ट्र

3. महाराष्ट्र में डा0 एच0एन0 रंगनाथन के स्थान पर डा0 वी0डी0 सोंतकी ने उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एच0आई0 और जीवनांक) और जन्म और मृत्यु के उप मुख्य रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार सम्भाला ।

तमिलनाडु

4. डा0 वी0 कापली के स्थान पर डा0 वी0 गौरीशंकर ने निदेशक, जन स्वास्थ्य और निवारक औषधि, तमिलनाडु के पद का कार्यभार सम्भाला ।

निधन सूचना

बड़े दुःख के साथ हम यह सूचित करते हैं कि भारत के महारजिस्ट्रार के [illegible] में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री टी0के0 ऐवट, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश के उप निदेशक श्री अब्दुल अहमद और [illegible] कार्य निदेशालय, [illegible] प्रदेश में [illegible] श्री पी0 रामा राव का क्रमशः तारीख 26 दिसम्बर, 1986 10 [illegible], 1986 और 24 [illegible], 1986 को निधन हो गया। हम शोक संतप्त [illegible] के सदस्यों को अपनी [illegible] संवेदना प्रकट करते हैं।

3. प्रकाशन

केन्द्रीय प्रकाशन

- भारत में जन्म और मृत्यु की कानूनन रजिस्ट्रीकरण (सांख्यिकीय रिपोर्ट 1983 का सार)
- सैम्पल रजिस्ट्रीकरण बुलेटिन, जून, 1986
- सै0र0प्र0 पर आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां, 1976-80
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की मूल्यांकन रिपोर्ट, 1971-1981

राज्य प्रकाशन

आन्ध्र प्रदेश

- भाग I-क - प्रशासनिक रिपोर्ट - गणना
- भाग III क और ख - खण्ड I से (IV) - सामान्य आर्थिक सारणियां
- भाग IV -क - सामाजिक और सांस्कृतिक सारणियां
- भाग V क और ख - प्रवास सारणियां
- भाग XIII -क और ख - विजयनगरम, प्रकाशम, निज़ामाबाद और नलगोण्डा जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका
- "परिवार के मुखिया के धर्म के अनुसार परिवार की जनसंख्या" सम्बन्धी पेपर ।

बिहार

- पलामू जिले की जिला जनगणना पुस्तिका का भाग क और ख

गुजरात

- भाग XIII क और ख - अहमदाबाद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जूनागढ़, खेड़ा, साबरकांठा और वलसाड़ जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका

हरियाणा

भाग XIII क और ख - अम्बाला और हिसार जिलों की जिला जनगणना स्तिका

ैर कश्मीर

- जन: क और ख - अनन्तनाग, करगिल और श्रीनगर जिलों की जिला

कर्नाटक

- भाग XII क और ख - बेल्लारी, चिकमंगलूर और चित्र[illegible] जिलों की जिला [illegible]

- भाग III क और ख - [illegible] आर्थिक सारणियां

मध्य प्रदेश

- भाग XIII क और ख - रायसेन, [illegible], शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और पन्ना जिले की जिला जनगणना पुस्तिका ।

[illegible]

- भाग XIII क और ख - [illegible], नांदेड, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, [illegible], [illegible], बीड और अकोला जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका

मेघालय

- भाग XIII क और ख - पूर्वी खासी हिल्स जिले की जिला जनगणना पुस्तिका

[illegible]

- वोखा जिले की जिला [illegible] पुस्तिका ।

- भाग III क और ख तथा भाग IV -क - सामान्य [illegible] सारणियां और [illegible] और सांस्कृतिक सारणियां ।

[illegible]

- भाग XIII [illegible] जिले की जिला जनगणना पुस्तिका ।

पंजाब

- भाग X क - राज्य कस्बा निर्देशिका, 1981
- भाग XIII क और ख - [illegible] और पटियाला जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका ।

राजस्थान

- भाग X क - राज्य कस्बा निर्देशिका, 1981

तमिलनाडु

- भाग XIII क और ख - मद्रास जिले की जिला जनगणना पुस्तिका ।
- भाग XIII ग - रामनाथपुरम, उत्तरी अरकाट और पेरियार जिलों की ग्राम और कस्बेवार प्राथमिक जनगणना सार ।
- वर्ष 1984 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट ।

त्रिपुरा

- भाग XIII क और ख - उत्तरी त्रिपुरा जिले की जिला जनगणना पुस्तिका ।
- वर्ष 1984 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट ।

उत्तर प्रदेश

- भाग XIII क और ख - बुलन्दशहर, ललितपुर और पीलीभीत जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका ।

अरुणाचल प्रदेश

- भाग XIII क और ख - दिवांग वैली, लोहित, तिराप और पश्चिमी सियांग जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका ।

चण्डीगढ़

- वर्ष 1985 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट ।

दिल्ली

- भाग XIII क और ख - दिल्ली की जिला जनगणना पुस्तिका ।

गोवा, दमन और दीव

- वर्ष 1985 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट ।

लक्षद्वीप

- भाग XIII क और ख - लक्षद्वीप की जिला जनगणना पुस्तिका ।

रिपोर्ट से सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी

वी0एस0 वर्मा
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

एस0एस0 श्रीवास्तव
संयुक्त महारजिस्ट्रार

के0एन0 श्रीनिवासन
सहायक महारजिस्ट्रार

टी0सी0 कंजानी
सहायक निदेशक, जनगणना कार्य

कर्मचारी

श्रीमती एस0एन0 बधवार,
सांख्यिकी सहायक

श्रीमती एस0 मित्तल,
संगणक

कु0 तरुणा धवन,
सहायक संकलनकर्ता

हिन्दी रूपान्तर

कृष्णानन्द पन्त
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

एन०के० अरोड़ा

आर०सी० बंसल

हिन्दी आशुलिपिक

कु० रीता माथुर

श्रीमती अनीता राज

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

कु० लक्ष्मी केसवानी

सुभाष चन्द्र शर्मा

उच्च श्रेणी लिपिक

हरी राम

हिन्दी टंकक

प्रेम सिंह सम्भरवाल

कर्मपाल सिंह

[illegible]

Newsletter is a [illegible] of the Registrar General[illegible] released in January, April, [illegible] every year.

The views expressed in analytical notes are of the authors and not necessarily of the Registrar General's Office or of the Government of India.

Enquiries or suggestions may be addressed to:

Joint Registrar [illegible]
Office of [illegible], India
[illegible] Division.
Ministry [illegible] Affairs,
West Block [illegible] Puram,
NEW DELHI - [illegible] 066 (INDIA)

C O N T E N T S

FROM REGISTRAR GENERAL'S DESK

The voluminous data returned at the 1981 census are being processed and released from time to time according to the scheduled programme for a detailed analysis of the levels and trends of the various demographic and socio-economic factors relating to population. In this regard, the report entitled "Fertility and Mortality differentials in Rajasthan" based on 20% data collected at the 1981 census, is being brought out.

The Sample Registration and the Civil Registration Systems continue to be under constant review both at the national and sub-national levels. In this connection, we have been organising regional-level conferences of Chief Registrars of Births and Deaths in order to review the functioning of the Civil Registration System and to explore measures to effects improvements therein. The first round of such conferences was complete in the year 1985 covering all the regions of the country. The second round of these conferences began in the quarter under review. The first Conference in the series covering States/UTs from the Southern region was organised at Bangalore during October 20-21, 1986. This conference reviewed in detail possibilities of further improvements in civil registration system, particularly in view of the declaration of the year 1986 as the year of good civil registration in the country by the Government of India. Similar regional conferences to cover remaining regions of the country - are on the anvil.

A publication Statutory Registration of Births and Deaths in India (A summary Statistical Report, 1983) based on Civil Registration data has been brought out. It gives data on births, deaths, infant deaths and medically certified deaths.

Birth, death and infant mortality rates based on the Sample Registration System for the year 1985 have also been released.

New Delhi
April 1, 1987.

I. CENSUS OF INDIA

Population

The voluminous data returned at the 1981 census are being processed and released from time to time according to the scheduled programme for a detailed analysis of the levels and trends of the various demographic and socio-economic factors relating to the population. Recently, the report entitled "Fertility and Mortality differentials in Rajasthan" based on 20% data collected at the 1981 census, has been finalise and is under print.

II. SAMPLE SURVEYS AND STUDIES

(i) A publication 'Statutory Registration of Births and Deaths in India' (A summary Statistical Repor 1983) based on Civil Registration data has been brought out. It gives data on births, deaths infant deaths and medically certified deaths. It also indicates the level of reporting and recording of vital events in different States/Union Territories.

(ii) A report on SRS based abridged Life Tables, 1976-80 has been brought out. It provides life table values at age 0, 1, 5 years and thereafter at quinquennial age-intervals for India and major States by sex and for rural and urban. The State-wise expectation of life at birth by sex for 1976-80, is given below :

States	Male	Female	Person
1	2	3	4
India	52.5	52.1	52.3
Andhra Pradesh	52.2	54.2	53.1
Assam	51.6	50.4	51.1
Gujarat	51.6	53.2	52.4
Haryana	56.7	52.5	54.8
Himachal Pradesh	58.1	54.9	56.6
Jammu & Kashmir	58.1	55.2	56.8
Karnataka	56.2	56.6	56.3

1	2	3	4
Kerala	63.5	67.6	65.5
Madhya Pradesh	49.4	48.7	49.0
Maharashtra	55.6	57.1	56.3
Orissa	50.0	48.4	49.1
Punjab	60.9	60.2	60.5
Rajasthan	51.0	53.0	51.9
Tamil Nadu	53.5	53.4	53.4
Uttar Pradesh	48.5	43.8	46.2

III. REGISTRATION ACTIVITIES

(i) At National Level

Regional-level meetings of Chief Registrars of Births & Deaths

The Office of the Registrar General, India periodically organises region-level meetings of the Chief Registrars of Births and Deaths in order to review the functioning of the Civil Registration System and for exploring possibilities of effecting improvements therein. One round of such meetings had been completed covering all regions of the country. These meetings were held at Madras, Chandigarh, Bhopal, Ahmedabad, Shillong and Puri in different periods during years 1981 and 1985 and were attended by the Chief Registrars and representatives of the States of regions concerned and also representatives of the selected large municipal corporations/committees in those States. The second round of regional-level meetings of Chief Registrars of States/Union Territories in the country had been started in 1986 and in this regard the first meeting was held at Bangalore on October 20-21, 1986 in respect of the Souther Region.

Publicity

To create awareness among the public regarding registration of births and deaths, the Office of the Registrar General, India has been doing extensive publicity

through various measures such as documentary films, cinema slides, radio spots, TV spots, posters, advertisements in the newspapers/magazines, etc. In addition, a quickie - "Pate Ki Baat" on the importance of registration of births and deaths, is being telecast from Delhi Doordarshan Kendras on regular basis. A new quickie namely "Apni Suvidha Apne Hath" on the importance of registration of births and deaths is being produced. Recently, about 8000 cinema slides on the importance of registration of births and deaths have been produced with the help of DAVP and sent to different States/Union Territories for regular exhibition. Besides, a new 20 seconds coloured TV Video spot in Hindi and English is also being produced in this regard.

Training

A training programme on Civil Registration for officers in-charge of Vital Statistics at State/District Headquarters was organised during November 10-18, 1986. It was attended by 30 officers from 13 States/Union Territories. A field visit to a few civil registration centres was also arranged as a part of training programme

(ii) At State Level

Publicity and other activities

Film shows on civil registration in different places of Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur and Rajasthan were arranged during the period under report. The shows attracted quite large number of viewers in each State. In addition, publicity to the registration of births and deaths through various measures is being given in states of Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Rajasthan and union territory of A &.N Islands.

Himachal Pradesh

The State Inter-Departmental Coordination Committee meeting was held on 23.12.1986 at Shimla, which was attended by Shri K.K. Rastogi, Deputy Director in the Office of the Registrar General, India. Major decisions taken at that meeting were as under:

1. District level coordination committee meetings should be held regularly at least once in a quarter and the districts which have not formed such committees should do so at the earliest.

2. The Director of Health Services assured to provide one vehicle for the use of officers connected with the civil registration work for the supervision purposes.

3. The provision of funds to be made in the budget for the year 1987-88 for the construction of record room for proper maintenance of registration record at district level.

Gujarat

The IDC, Gujarat was held on 16.10.1986 wherein the following major decisions were taken :

1. The production of birth certificate at the time of first entry in the schools is to be made compulsory. In this connection, Director of Education, Gujarat is required to take necessary action.

2. The birth certificate for the school entrance should also contain the name of child to be admitted in the school.

3. The post of Statistical Assistant is to be redesignated as "Statistical Assistant-cum-Inspector of Births and Deaths" and the post of Statistical Assistant at the district level to be upgraded so as to intensify supervision at the district level.

4. The notifiers should be asked to fill in form Nos. 2, 3 and 4 instead of form Nos. 5, 6 and 7 and handover to the local Registrar for Registration of events of births and deaths after obtaining the signature or thumb impression of the Head of the Household.

Kerala

The IDC, Kerala was held on 12.11.1986 at Trivandrum wherein the following important decisions were taken :

1. The Kerala Education rules need to be amended so as to make a provision for the production of birth certificate compulsory at the time of first admission of children in schools.

2. The salient features relating to the registration of births and deaths are to be published in a continuous process in the newspapers. Besides, slides on the importance of registration of births and deaths to be shown in cinema halls before exhibiting films.

3. The arrangements are required to be made for extending the scheme of medical certification of cause of death.

The year 1986 as the year of good civil registration was celebrated in state of Kerala. In this regard, all possible measures have been adopted to give wide publicity to the registration of births and deaths at the level of registration units. Besides, seminars from Panchayats to State level were organised where active discussions were made to stress on the importance of registration of births and deaths.

Maharashtra

Pune Municipal Corporation has started its second births and deaths registration centre at Sasoon General Hospital which will be kept open day and night for the convenience of the public. Pimpari-Chinchwad Municipal Corporation has also opened a new registration centre at Jijamata Hospital, Pimpari where the services are made available for 24 hours for benefit of the people.

Manipur

Nine Workshops on registration of births and deaths were organised at different places of the state in connection with the observance of the year 1986 as the year of good civil registration with a view to educate the people on the procedure and benefits of the civil registration system.

Orissa

Instructions have been issued for ensuring cent per cent registration of births and deaths events in respect of ICDS Blocks and 80% registration in non ICDS Blocks. Further, the multi-purpose health workers have been made responsible for reporting events of births and deaths to the PHCs.

West Bengal

A conference of all the Dy. Chief Medical officers of Health was held on 10.9.1986 at Retaunda in connection with the observance of the year 1986 as the year of good civil registration with a view to improve the registration of vital events.

A pilot study in respect of reporting of vital events by the multi-purpose health workers vis-a-vis of those by Chowkidars in the districts of Birbhum and Maldah has been conducted to improve the reporting system of births and deaths.

Andaman & Nicobar Islands

The IDC on vital statistics was held on 31.10.1986 under the Chairmanship of the Chief Secretary, A & N Administration. This meeting was attended by Shri R.K. Bhatia, Deputy Director in the Directorate of Census Operations, Andaman & Nicobar Islands. At this meeting, the registration work was reviewed in urban as well as rural areas with a note to improve the performance of vital events in rural areas.

Pondicherry

The IDC meeting on vital statistics was held on 15.10.1986 at Pondicherry, which was attended by Shri K.N. Shrinivasan, Assistant Registrar General in the Office of the Registrar General, India. Major decisions taken at that meeting were as under :

1. The anganwadi workers of the Social Welfare Department who function as notifiers are to be replaced by the Maternity Assistants and Lady Health Visitors.

2. The Local Administration Department is required to make arrangements for a refresher training course for the registration functionaries.

3. The scheme of medical certification of cause of death has to be extended to Maternity Hospital, Pondicherry in due course.

IV. DATA AT A GLANCE*

PROVISIONAL

i) Estimated annual birth and death rates - 1985

(Per mille)

Sl. No.	States/Union Territory	Area	Birth rate	Death rate
1	2	3	4	5
	STATES			
1.	Andhra Pradesh	Combined	29.3	10.1
		Rural	29.2	10.9
		Urban	29.6	7.0
2.	Assam	Combined	34.3	13.1
		Rural	35.0	13.5
		Urban	25.0	8.4
3.	Bihar	Combined	37.6	14.9
		Rural	38.3	15.5
		Urban	30.9	8.8
4.	Gujarat	Combined	32.7	10.7
		Rural	33.5	11.7
		Urban	31.1	8.7
5.	Haryana	Combined	35.5	9.1
		Rural	36.3	9.6
		Urban	32.6	7.0
6.	Himachal Pradesh	Combined	30.2	10.5
		Rural	30.7	10.8
		Urban	23.7	6.5
7.	Jammu & Kashmir	Combined	32.9	9.6
		Rural	35.1	10.3
		Urban	25.0	7.1
8.	Karnataka	Combined	29.0	8.6
		Rural	30.1	9.6
		Urban	26.2	6.1
9.	Kerala	Combined	22.9	6.4
		Rural	22.6	6.4
		Urban	24.1	6.6
10.	Madhya Pradesh	Combined	38.8	13.9
		Rural	40.3	15.1
		Urban	32.8	9.3
11.	Maharashtra	Combined	28.9	8.4
		Rural	29.6	9.4
		Urban	27.7	6.7

4. A scheme for strengthening of vital statistics cell has been planned under the budget proposal for the year 1987-88.

5. The Health Officer, Karaikal Municipality has to take steps to send pending monthly vital statistics reports immediately and also to ensure that these reports are sent within the prescribed time limit in future.

Training

Madhya Pradesh —

Training programmes for registration functionaries at district level were organised in respect of 29 districts of the State.

Manipur

A training programme on civil registration for Registrars and Sub-Registrars was organised wherein 56 participated in the training.

A two-day training programme was organised, the first day on the medical certification of cause of death, and on the second day on the survey of cause of death (Rural) at the Research and Development Wing, Medical Directorate, Imphal. Shri K.N. Shrinivasan, Assistant Registrar General in the Office of the Registrar General, India delivered lectures on both days to the participants. The number of participants on the first and second day were 42 and 32 respectively.

Punjab

10 weeks' certificate course in General and Health Statistics was organised at the Regional Health Statistics Training Centre, Punjab, Chandigarh during September 23 - November 28, 1986.

Two weeks' Demonstration Course in 'Health Statistics' for Medical Officers, was organised during December 9 - 23, 1986.

A day's training programme was also organised for the Junior Statistical Nosologists on October 28, 1986 where topics relating to the publicity, monitoring and evaluation were discussed.

1	2	3	4	5
12.	Manipur	Combined	27.5	7.4
		Rural	28.9	7.6
		Urban	23.4	6.8
13.	Meghalaya	Combined	39.1	12.7
		Rural	42.4	14.3
		Urban	24.1	5.6
14.	Nagaland	Combined	24.8	6.0
		Rural	27.7	6.7
		Urban	11.2	3.0
15.	Orissa	Combined	30.3	13.9
		Rural	30.6	14.5
		Urban	27.7	7.9
16.	Punjab	Combined	28.7	9.0
		Rural	29.1	9.9
		Urban	27.6	6.7
17.	Rajasthan	Combined	39.2	12.9
		Rural	40.7	13.8
		Urban	32.9	9.2
18.	Sikkim	Combined	33.1	10.7
		Rural	35.1	11.7
		Urban	24.2	6.2
19.	Tamil Nadu	Combined	24.8	9.5
		Rural	25.3	10.9
		Urban	23.8	6.9
20.	Tripura	Combined	27.1	9.8
		Rural	27.4	10.0
		Urban	24.1	7.7
21.	Uttar Pradesh	Combined	37.6	15.8
		Rural	39.0	17.2
		Urban	31.6	9.6
22.	West Bengal	Combined	28.6	9.1
		Rural	32.1	10.2
		Urban	19.9	6.4
	UNION TERRITORIES			
1.	A & N Islands	Combined	28.3	6.8
		Rural	30.6	7.9
		Urban	20.9	3.4
2.	Arunachal Pradesh	Combined	34.1	13.0
		Rural	34.4	13.8
		Urban	30.5	2.2

1	2	3	4	5
3.	Chandigarh	Combined	24.5	4.0
		Rural	32.3	6.1
		Urban	23.9	3.8
4.	Dadra & Nagar Haveli	Rural	36.9	11.8
5.	Delhi	Combined	32.5	7.8
		Rural	35.6	9.8
		Urban	32.2	7.7
6.	Goa, Daman & Diu	Combined	19.1	7.8
		Rural	19.0	8.7
		Urban	19.4	6.0
7.	Lakshadweep	Combined	35.0	7.2
		Rural	37.2	9.2
		Urban	32.7	5.0
8.	Mizoram	-	-	-
9.	Pondicherry	Combined	22.2	7.3
		Rural	26.3	8.6
		Urban	18.8	6.3
	INDIA	Combined	32.7	11.7
		Rural	34.0	12.9
		Urban	28.0	7.6

Source: Sample Registration System

PROVISIONAL

ii) Estimated Infant Mortality Rates - 1985

State	Rural	Urban	Combined
1	2	3	4
Andhra Pradesh	90	58	83
Assam	112	91	111
Bihar	109	59	105
Gujarat	112	64	98
Haryana	92	58	85
Himachal Pradesh	87	32	84
Jammu & Kashmir	94	44	86
Karnataka	80	41	71
Kerala	32	30	32
Madhya Pradesh	131	78	122
Maharashtra	78	49	68
Orissa	135	77	130
Punjab	77	51	71
Rajasthan	114	72	108
Tamil Nadu	93	53	80
Uttar Pradesh	152	77	140
West Bengal	85	48	77
INDIA	105	57	95

Source: Sample Registration System

V. PROGRESSIVE USE OF HINDI

All possible efforts are being made to encourage the progressive use of Hindi in the Office of the Registrar General, India and the Directorates of Census Operations in various states and union territories. In this regard, workshop was organised in the Office of the Registrar General, India during August 25 - September 2, 1986. In addition, similar workshops were also organised in the Directorates of Census Operations Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and Delhi. Inspection regarding progressive use of Hindi in the Directorate of Census Operations, Kerala, Trivandrum, was carried out by the First sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language during October, 1986. Besides, inspections of the Directorates of Census Operations, Andhra Pradesh and Tamil Nadu were conducted by the Office of the Registrar General, India.

'Hindi Week' was celebrated in this office during September 22-26, 1986 and also in the Directorates of Census Operations, Assam, Kerala, Maharashtra, Manipur and Delhi at different dates during the period October-November, 1986. The 'Hindi Day' was also organised in the Directorate of Census Operations, Delhi, on November 28, 1986.

Three officials of this office were sanctioned cash awards and personal pay for passing Hindi examination under the Hindi Teaching Scheme. Three officials have been deputed for training in various courses in Hindi during the period under report.

VI. CONFERENCES, WORKSHOPS ETC.

Dr. B.K. Roy, Deputy Registrar General in the Office of the Registrar General, India acted as a Discussant in the National Seminar on Wasteland Development organised by the Association for Wasteland Development during October 16-18, 1986 in the Parliament House and also presented a paper on "Are Wastelands : the last hope of the Poor". He also participated in the conference and presented a paper on "Landuse vis-a-vis land classification approaches for land use policy and planning". In this conference, he presided over a session on "Regional land use planning". At this conference, Shri P.S. Chhikara, Map Analyst also presented a paper on "Landuse Planning in Delhi Union Territory".

At the Sixth Annual Conference of Indian National Cartographic Association held at the Centre for Earth Sciences, Trivandrum during November 24-26, 1986, an exhibition of Census of India maps, atlases and books from 1881 to 1981, was organised by a team from the Map Division of the Office of the Registrar General, India under the supervision of Shri Mahesh Ram, Research Officer (Map).

Miscellaneous

Shri J.S. Rastogi, Assistant Director of Census Operations (Technical) attended the meeting at Lucknow concerning Civil Registration System in Uttar Pradesh State. He also visited a few blocks of Badaun district of that state during October 6-10, 1986 to ascertain the position regarding concurrent registration of vital events. Besides, he discussed the matters connected with the Survey of Causes of Death with the concerned Officials of that State.

VII. APPOINTMENTS, TRANSFERS ETC.

Office of the Registrar General, India

1. Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri V.P. Pandey (Selection Grade Officer of C.S.S.) working as Joint Registrar General, India relinquished the charge of that post with effect from the afternoon of the 31st December, 1986.

2. S/Shri Anand Kumar, T.C. Vanjani, Babu Lal, V.P. Kataria, O.P. Ahuja, Subhash Garg, C. Chakravorty and A.K. Singh, Investigators/Investigators (SS) were promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

3. Shri Madhav Shyam, Research Officer (Map), in the Directorate of Census Operations, Maharashtra, was transferred to the Office of the Registrar General, India, in the same capacity.

4. S/Shri K.B. Rohtagi and R.K. Saxena and Smt. Renu Sabharwal, holding the post of Assistant Director of Census Operations (Technical) on ad-hoc basis, were reverted to the post of Investigator/Investigator (SS), on their own request.

Directorates of Census Operations

Andhra Pradesh

1. S/Shri M.V. Rao and V.V.S. Sastry, Investigators were promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Assam

2. Shri Nirmal Bhattacharya, Investigator was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Bihar

3. S/Shri A.L. Das and H.S. Meena, Investigators/ Investigators (SS) were promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Gujarat

4. Shri N.S. Bhatnagar, Investigator was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Haryana

5. Shri G.D. Singla, Investigator was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Jammu & Kashmir

6. Shri Nazir Ahmed Kamili belonging to IAS Cadre, Jammu & Kashmir, was appointed as Director of Census Operations, Jammu & Kashmir, Srinagar.

Karnataka

7. Shri K.R. Narayana, Investigator was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical)

8. Kerala

Shri K. Gopinathan, Investigator/Investigator (SS) was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Madhya Pradesh

9. Shri M.G. Mohril, Investigator/Investigator (SS) was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical)

Maharashtra

10. Shri K.S. Thakur, Senior Geographer in the Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh was promoted as Research Officer (Map) and posted to the Directorate of Census Operations, Maharashtra.

11. S/Shri K.K. Akolkar and R.N. Pongurlekar, Investigators/Investigators (SS) were promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Manipur

12. Dr. H.K.B. Singh, Investigator/Investigator (SS) was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Punjab

13. Shri Karan Singh, Investigator/Investigator (SS) was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Rajasthan

14. S/Shri Shamsher Singh, R.S. Meena, B.L. Tikku, G.D. Agarwal and N.K. Purohit, Investigators/Investigators (SS) were promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Tamil Nadu

15. S/Shri A.G. Bhaskaran, V. Gangarajan, J.T. Machado and R. Narayanan, Investigators/Investigators (SS) were promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Uttar Pradesh

16. Shri Chandan Gopal, Indian Administrative Service (U.P.:SCS:1977) was appointed as Director of Census Operations in the Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow.

17. S/Shri R.M. Singh, Lakhan Singh, J.P. Baranwal, Budh Singh and Ram Kuber Ram, Investigators/Investigators (SS) were promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Arunachal Pradesh

18. Shri A.K. Paul, Investigator/Investigator (SS) was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical)

Chandigarh

19. Shri K.B. Lakhan Pal, Investigator/Investigator (SS) was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Pondicherry

20. Shri M. Vidyasagar, Investigator/Investigator (SS) was promoted as Assistant Director of Census Operations (Technical).

Office of the Chief Registrars

Himachal Pradesh

1. Dr. C.L. Malhotra took over the charge of the post of Director of Health Services and Chief Registrar of Births & Deaths, Himachal Pradesh, in place of Dr. D.S. Chauhan.

2. Shri L.C. Sharma, Assistant Director (VS) also holds the post of Dy. Chief Registrar of Births and Deaths, Himachal Pradesh.

Maharashtra

3. Dr. V.D. Sontakkey took over the charge of the post of Dy. Director of Health Services (HI & VS) and Dy. Chief Registrar of Births & Deaths in Maharashtra in place of Dr. H.N. Ranganathan.

Tamil Nadu

4. Dr. B. Gowrishankar took over the charge of the post of Director of Public Health and Preventive Medicine, Tamil Nadu, in place of Dr. V. Kapali.

OBITUARY

With profound regret, we announce the deaths of Shri T.K. Aikat, Senior Research Officer in the Office of the Registrar General, India, Shri Akhlaq Ahmed, Deputy Director of Census Operations, Uttar Pradesh and Shri P. Rama Rao, Driver in the Directorate of Census Operations, Arunachal Pradesh, on December 26, 1986, December 10, 1986 and December 24, 1986 respectively. We convey our heart felt condolences to the members of bereaved families.

VIII. PUBLICATIONS

Central Publications

- Statutory Registration of Births and Deaths in India (A Summary Statistical Report 1983).
- Sample Registration Bulletin June, 1986.
- SRS Based Abridged Life Tables, 1976-80.
- Report on the 'Evaluation of Birth and Death Registration, 1971-1981'.

State Publications

Andhra Pradesh

- Part 1-A - Administration Report - Enumeration.
- Part III A&B - volumes (I) to (IV) - General Economic Tables.
- Part IV-A - Social and Cultural Tables.
- Part V-A&B - Migration Tables.
- Part XIII-A&B - District Census Handbook of districts of Vizianagaram, Prakasam, Nizamabad and Nalgonda.
- Paper on 'Household Population by Religion of Head of Household'.

Bihar

- District Census Handbook parts A&B of district of Palamu.

Gujarat

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Ahmedabad, Banskantha, Bhar-uch, Bhavnagar, Junagarh, Kheda, Sabarkantha and Valsad.

Haryana

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Ambala and Hisar.

Jammu & Kashmir

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Anantnag, Kargil and Srinagar.

Karnataka

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Bellary, Chikmagalur and Chitradurga.
- Part III A&B - General Economic Tables.

Madhya Pradesh

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Raisen, Narsimhapur, Shivpuri, Datia, Gwalior and Panna.

Maharashtra

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Ahmadnagar, Nanded, Yavatmal, Nagpur, Bhandara, Chandrapur, Aurangabad, Bid and Akola.

Meghalaya

- Part XIII A&B - District Cenus Handbook of district of East Khasi Hills.

Nagaland

- District Census Handbook of district of Wokha.
- Part III A&B and Part IV-A - General Economic Tables and Social and Cultural Tables.

Orissa

- Part XIII B - District Census Handbook of district of Phulabani.

Punjab

- Part X-A - State Town Directory, 1981.
- Part XIII A&B District Census Handbook of districts of Hoshiarpur and Patiala.
- Rajasthan
- Part X-A - State Town Directory, 1981.

Tamil Nadu

- Part XIII A&B - District Census Handbook of district of Madras.

- Part XIII B - Village and Town-wise Primary Census Abstract of districts of Ramanathapuram, North Arcot and Periyar.

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 for the year 1984.

Tripura

- Part XIII A&B - District Census Handbook of district of North Tripura.

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 for the year 1984.

Uttar Pradesh

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Bulandshahar, Lalitpur and Pilibhit.

Arunachal Pradesh

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Dibang Valley, Lohit, Tirap and West Siang.

Chandigarh

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1985.

Delhi

- Part XIII A&B - District Census Handbook of Delhi.

Goa, Daman & Diu

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1985.

Lakshadweep

- Part XIII A&B - District Census Hanbook of Lakshadweep.

OFFICERS AND STAFF ASSOCIATED WITH THIS PUBLICATION

V.S. VERMA
Registrar General & Census Commissioner for India

S.S. SRIVASTAVA
Joint Registrar General

K.N. SHRINIVASAN
Assistant Registrar General

T.C. VANJANI
Assistant Director of Census Operations

STAFF

Smt. S.P. Badhwar,
Statistical Assistant

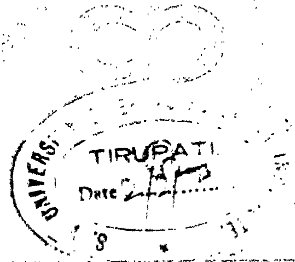
Smt. S. Mittal
Computor

Kum. Taruna Dhawan,
Assistant Compiler

Reprography

C.D. Ajbani,
Computor





Registrar General's News Letter

जुलाई
JULY 1989

खण्ड
VOLUME [illegible]

संख्या
NUMBER 3

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार की पत्रिका

REGISTRAR GENERAL'S NEWSLETTER

जुलाई - 1989 JULY - 1989

खण्ड - 20 VOLUME - XX

संख्या - 3 NUMBER - 3

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग

VITAL STATISTICS DIVISION

पश्चिमी खण्ड 1, रामकृष्णपुरम्,

WEST BLOCK 1, RAMAKRISHNA PURAM,

नई दिल्ली - 110066

NEW DELHI - 110066

पाठकों के लिये

****

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की यह तिमाही पत्रिका प्रति वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर में प्रकाशित की जाती है ।

• •

• •

• •

विश्लेषणात्मक टिप्पणियों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के ही हैं । यह आवश्यक नहीं है कि वे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय या भारत सरकार के हों ।

• •

• •

• •

किसी भी प्रकार की पूछताछ और सुझाव निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं ।

• •

• •

• •

संयुक्त महारजिस्ट्रार, भारत
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय,
जीवनांक प्रभाग, गृह मंत्रालय
पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066 (भारत)

[illegible]

महारजिस्ट्रार के कार्यालय से

1991 की जनगणना का द्वितीय पूर्व-परीक्षण 19 जून और 10 जुलाई, 1989 के दौरान देश के चुने हुए ब्लाकों में किया गया। द्वितीय पूर्व-परीक्षण का प्रयोजन, जनसंख्या, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए जनगणना अनुसूचियों की उपयुक्तता का पता लगाना था।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण और सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों की राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती रही।

वर्ष 1987 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण के बारे में महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है जिसमें सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली और देश में रजिस्ट्रीकरण के स्तर को सुधारने के लिए किये गये दीर्घकालीन प्रयासों का सामान्य ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा, भारत की जन्म-मृत्यु सांख्यिकी के बारे में 1984 की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई है। उक्त रिपोर्ट में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली की समीक्षा की गई है और साथ ही रजिस्ट्रीकरण की प्रवृत्तियों और इसकी सीमाओं पर प्रकाश डाला गया है।

नई दिल्ली
तारीख : 19 अगस्त, 1989

1. भारत की [illegible]

1. नई दिल्ली में 18-20 अप्रैल, 1988 के दौरान आयोजित आंकड़े [illegible] के प्रथम सम्मेलन के साथ 1991 की जनगणना की जो तैयारियां शुरू की गई थीं उन्हें और आगे जारी रखा जा रहा है । प्रथम पूर्व परीक्षण में, जो कि [illegible], 1988 के दौरान चयनित जनगणना ब्लाकों में आयोजित किया गया था, प्राप्त किए गए क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर द्वितीय पूर्व [illegible] की [illegible] [illegible]लियों को अन्तिम रूप दिया गया । द्वितीय पूर्व [illegible] [illegible] और नागर हवेली और दमन एवं दीव को छोड़कर सभी राज्यों और संघ [illegible] के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों, प्रत्येक में 5 चयनित ब्लाकों में, 19 जून से 10 जुलाई, 1989 के दौरान आयोजित किया गया । द्वितीय पूर्व [illegible] में [illegible] भरी गईं - मकान सूची, उद्यम सूची, परिवार अनुसूची और [illegible] पर्ची ।

2. [illegible] से सम्बन्धित विभिन्न जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक घटकों के स्तरों तथा प्रवृत्तियों के विस्तृत विश्लेषण के लिए 1981 की जनगणना में प्राप्त [illegible] आंकड़ों का संसाधन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है [illegible] [illegible] पर प्रकाशित किया जा रहा है । हाल ही में, आन्ध्र प्रदे[illegible] में "[illegible] और [illegible] अनुमान" रिपोर्ट-1988 का प्रासंगिक पेपर संख्या 1 [illegible] किया गया ।

2. रजिस्ट्रीकरण कार्यकलाप

(i) राष्ट्रीय स्तर पर

वर्ष 1987 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण के बारे में महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट।

उक्त रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है जिसमें सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली और देश में रजिस्ट्रीकरण के स्तर को सुधारने के लिये किए गए दीर्घकालीन प्रयासों का सामान्य ब्यौरा दिया गया है।

वर्ष 1984 के लिए "भारत की जन्म मृत्यु सांख्यिकी" के बारे में रिपोर्ट

भारत की जन्म-मृत्यु सांख्यिकी के बारे में 1984 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इस रिपोर्ट में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली की समीक्षा की गई है। इसमें वर्ष 1984 के रजिस्ट्रीकरण आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं और रजिस्ट्रीकरण की प्रवृत्तियों और सीमाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

सिविल रजिस्ट्रीकरण पुस्तिका

सिविल रजिस्ट्रीकरण पुस्तिका संशोधित कर दी गई है और इसे अद्यतन बना दिया गया है। इसका संशोधित संस्करण भी जारी कर दिया गया है। इसमें जन्म मृत्यु सांख्यिकी को समन्वित रूप से बढ़ावा देने के लिए किये जाने वाले उपायों के अलावा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियन, 1969 के विभिन्न उपबंधों, अधिनियम के कानूनी उपबंधों पर स्पष्टीकरण, संगठनात्मक ढांचे, रजिस्ट्रीकरण कार्य विधियां और पद्धतियां दी गई हैं।

प्रचार

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सिनेमा स्लाइड, टी०वी० स्पाट, पोस्टरों, दीवार लटकनों, डाक लेखन सामग्री, पिन कोड डायरेक्टरी और समाचार पत्रों/मैगजीनों में विज्ञापन के माध्यमों से व्यापक प्रचार कर रहा है।

इसके अलावा दो फिल्में एक "पते की बात" और दूसरी "अपनी सुविधा अपने हाथ" विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित की जा रही हैं।

दिल्ली

जिला रजिस्ट्रारों और नगर निगमों/बड़ी नगर पालिकाओं के रजिस्ट्रारों के लिये सिविल रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रैल, 24-28 के दौरान आयोजित किया गया। इसमें बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के 8 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक दिन के क्षेत्रीय दौरे का प्रबन्ध भी किया गया।

मार्च-जून, 1989 के दौरान सांख्यिकी में जूनियर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सत्र 1988-89 के प्रशिक्षणार्थियों के लिए जन्म मृत्यु सांख्यिकी और लार्ज स्केल सैम्पल सर्वेक्षण के क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

2) राज्य स्तर पर

प्रचार और अन्य कार्यकलाप

बिहार

मई 26-28, 1989 के दौरान राज्य स्तर पर जिला सांख्यिकीय अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्य की समीक्षा की गई ताकि इस कार्य में आगे और सुधार किया जा सके।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अस्पतालों के उन प्रभारी अधिकारियों को सिविल रजिस्ट्रीकरण पर प्रशिक्षण दिया गया जो राज्य में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किये गये थे।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की अन्तर-विभागीय समन्वय समिति की बैठक 13 जून, 19 को शिमला में हुई थी। यह बैठक आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में होनी थी परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के कार्य में व्यस्त रहने के कारण बैठक भारत के स्थानापन्न महारजिस्ट्रार की अध्यक्षता में हुई। राज्य के विभिन्न

विभागों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया । बैठक में राज्य में सिविल रजिस्ट्रीकरण पद्धति की प्रगति की समीक्षा करते समय निम्नलिखित मुख्य मदों पर चर्चा हुई :-

1) जिला स्तर की एक समन्वय समिति, जिसका अध्यक्ष उपायुक्त होता है, राज्य के प्रत्येक जिले में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित कार्य में समन्वय लाने के लिए कार्य करती है । इस सम्बन्ध में उपायुक्तों से अनुरोध किया गया कि सिविल रजिस्ट्रीकरण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा भी जिला स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठकों में करें । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय भी राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजने पर विचार कर रहा है कि सिविल रजिस्ट्रीकरण विषय की समीक्षा करने के लिये इसे राज्य स्तर की 20 सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति में शामिल कर लिया जाए ।

2) पंचायत सचिवों (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रजिस्ट्रारों) के लिये ब्लाक स्तर पर सिविल रजिस्ट्रीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ।

3) स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश से अनुरोध किया जाए कि सिविल रजिस्ट्रीकरण के विषय को उच्च कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर लिया जाए । सिविल रजिस्ट्रीकरण का विषय, ओरियन्टेशन प्रशिक्षण कैम्पों में शामिल करने के लिए कदम उठाये जायें जो कि राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे हैं ।

4) राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से कहा जाए कि शिमला शहर में राशन कार्ड में नवजात शिशु का नाम दर्ज कराने के समय जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को अनिवार्य बना दें ।

5) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड के रख रखाव के लिए रिकार्ड कक्ष का निर्माण करने के लिए धन उपलब्ध कराने की बड़ी सराहना की गई । इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि रिकार्ड कक्षों के निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ।

6) यह निर्णय लिया गया कि ओ०पी०डी० की टिकटों पर सिविल रजिस्ट्रीकरण के बारे में आकर्षक नारों का मुद्रण राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए ।

7) पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक(सा०) को एक वाहन उपलब्ध कराया जाना है ।

8) सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली की प्रगति की संवीक्षा करने के लिए जिला और उप-मण्डल स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित की जानी हैं ।

9) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा सिविल रजिस्ट्रीकरण के कार्य के लिए ब्लाक स्तर पर एक सांख्यिकीय सहायक उपलब्ध कराया जाना है ।

सिविल रजिस्ट्रीकरण पर तारीख 17 जून, 1980 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन ग्रामीण विकास के राज्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जिला कलैक्टरों, खण्ड विकास अधिकारियों और राज्य के योजना अधिकारियों तथा दस ग्रामपंचायतों के प्रधानों ने भाग लिया । जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण पर तैयार की गई "तत्परता ---- है" नामक फिल्म भी प्रतिनिधियों को दिखाई गई ।

जम्मू और कश्मीर

रजिस्ट्रीकरण कार्य में कार्यरत ग्रामीण चौकीदारों को प्रशिक्षण देने के लिए ---- जिले में तहसील स्तर पर प्रशिक्षण कैम्प लगाए गए ।

मिजोरम

श्री पू. लालखामा, मुख्य सचिव और जन्म मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार, मिजोरम की अध्यक्षता में तारीख 29 मई, 1989 की जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक आइजोल में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए :-

1) नियन्त्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री का अन्तर्विभागीय समन्वय समिति के सदस्य के रूप में प्रवेश कराना।

2) सरकारी मुद्रणालयमें रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित फार्मों और रजिस्टरों का मुद्रण कराना।

3) ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण नामक योजना लागू करना।

4) स्कूल में प्रथम प्रवेश के समय और परिवार के राशन कार्ड में नवजात शिशु के नाम को दर्ज कराने के समय भी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाना।

महाराष्ट्र

अप्रैल-मई, 1989 के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर सिविल रजिस्ट्रीकरण पर कुल 629 फिल्म शो दिखाने के प्रबन्ध किए गए जिन्हें काफी संख्या में दर्शकों ने देखा।

वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दस अच्छी रजिस्ट्रीकरण की इकाइयों को 100/-रु० का नकद पुरस्कार देने के लिए एक योजना प्रारम्भ की गई। ये पुरस्कार भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के अतिरिक्त हैं।

पंजाब

क्षेत्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रशिक्षण केन्द्र, पंजाब, चण्डीगढ़ में तारीख 3 अप्रैल से 9 जून, 1989 के दौरान "सामान्य स्वास्थ्य सांख्यिकी" पर दस सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के 9 व्यक्तियों ने

.....7-

भाग लिया । इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, खरड में 2-3 जून, 1989 के दौरान "चिकित्सीय मैनुअल" पर दो दिवसीय [illegible] का आयोजन भी किया गया जिसमें राज्य मुख्यालयों के सिविल सर्जनों और अधिकारियों ने भाग लिया । राज्य मुख्यालयों में रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं के लिए [illegible] रजिस्ट्रीकरण पर एक दिवसीय विषय परिचायक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया जिसमें 19 अधिकारियों ने भाग लिया ।

राजस्थान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार, राजस्थान द्वारा राज्य में सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्य की संवीक्षा की गई ।

रिपोर्टाधीन [illegible] के दौरान जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया जाता रहा ।

सिविल रजिस्ट्रीकरण पर नगर पालिकाओं के विकास अधिकारियों और रजिस्ट्रारों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए गए और इन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र के स्थानीय रजिस्ट्रारों के लिए भी प्रशिक्षण कैम्पों की व्यवस्था करें ।

दिल्ली

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार, दिल्ली की अध्यक्षता में तारीख 18 मई, 1989 को नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण की संवीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया ।

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में जनता द्वारा महसूस की जा रही परेशानियों को दूर करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र को [illegible] कर दिया गया और बड़े अस्पतालों को 6 रजिस्ट्रीकरण केन्द्रों के साथ सम्बद्ध कर दिया गया । इस परिवर्तन से जनता को जन्म और मृत्यु के प्रमाणपत्र [illegible] से प्राप्त करने में सुविधा होगी । इसके अतिरिक्त, उन स्थानों को दर्शित

करते हुए बोर्डों की सूची दिल्ली नगर पालिका के 9 शमशान गृहों पर भी लगाई गई जहां पर से दिल्ली में घटित मृत्यु की घटनाओं के बारे में मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं । अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की योजना बनाई जा रही है ।

पाण्डिचेरी

कमबन काज़गाम द्वारा जारी की जाने वाले "स्मारिका" में मई, 1989 के दौरान जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का महत्त्व (तमिल भाषा में) पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया ।

III आंकड़े एक दृष्टि में

i) अनुमानित वार्षिक जन्म और मृत्यु-दरें- 1987

प्रति हजार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षे.	क्षे.	जन्म दर	मृत्यु दर
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	यौगिक	30.3	9.9
		ग्रामीण	30.9	10.7
		नगरीय	28.2	7.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	यौगिक	36.3	13.2
		ग्रामीण	37.0	14.2
		नगरीय	29.0	2.6
3.	असम	यौगिक	34.2	11.6
		ग्रामीण	34.9	11.9
		नगरीय	25.7	8.1
4.	बिहार	यौगिक	36.6	13.1
		ग्रामीण	37.3	13.6
		नगरीय	30.1	8.0
5.	गोवा	यौगिक	18.9	7.5
		ग्रामीण	19.4	8.5
		नगरीय	18.0	5.4
6.	गुजरात	यौगिक	30.8	9.8
		ग्रामीण	31.6	10.8
		नगरीय	29.0	7.6
7.	हरियाणा	यौगिक	34.5	8.8
		ग्रामीण	35.4	9.4
		नगरीय	31.3	6.9
8.	हिमाचल प्रदेश	यौगिक	30.8	8.5
		ग्रामीण	31.4	8.7
		नगरीय	22.7	5.3
9.	जम्मू और कश्मीर	यौगिक	31.0	7.7
		ग्रामीण	32.6	8.0
		नगरीय	25.1	6.4

..

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	यौगिक	28.9	8.7
		ग्रामीण	29.9	9.7
		नगरीय	26.3	6.1
11.	केरल	यौगिक	21.7	6.1
		ग्रामीण	21.5	6.1
		नगरीय	22.3	6.2
12.	मध्य प्रदेश	यौगिक	36.4	13.3
		ग्रामीण	37.5	14.6
		नगरीय	31.9	8.0
13.	महाराष्ट्र	यौगिक	28.9	8.3
		ग्रामीण	30.2	9.5
		नगरीय	26.6	6.1
14.	मणिपुर	यौगिक	25.9	5.6
		ग्रामीण	27.7	5.9
		नगरीय	19.9	4.5
15.	मेघालय	यौगिक	34.9	9.1
		ग्रामीण	38.6	10.2
		नगरीय	17.6	3.6
16.	नागालैण्ड	यौगिक	21.7	4.9
		ग्रामीण	25.7	5.5
		नगरीय	13.0	2.6
17.	उड़ीसा	यौगिक	31.0	13.1
		ग्रामीण	31.6	13.7
		नगरीय	25.7	7.8
18.	पंजाब	यौगिक	28.7	8.1
		ग्रामीण	28.9	8.5
		नगरीय	27.9	7.1
19.	राजस्थान	यौगिक	35.1	11.6
		ग्रामीण	36.3	12.5
		नगरीय	29.8	7.8
20.	सिक्किम	यौगिक	33.3	10.3
		ग्रामीण	34.6	11.4
		नगरीय	27.2	5.4

....

1	2	3	4	5
21.	तमिलनाडु	यौगिक	24.0	9.9
		ग्रामीण	24.1	11.1
		नगरीय	23.7	7.6
22.	त्रिपुरा	यौगिक	28.2	9.2
		ग्रामीण	29.1	9.5
		नगरीय	19.5	6.3
23.	उत्तर प्रदेश	यौगिक	37.9	14.5
		ग्रामीण	39.3	15.5
		नगरीय	32.1	9.9
24.	पश्चिम बंगाल	यौगिक	30.7	8.8
		ग्रामीण	34.6	9.7
		नगरीय	20.9	6.5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	यौगिक	26.9	6.1
		ग्रामीण	28.8	6.5
		नगरीय	20.1	4.5
2.	चंडीगढ़	यौगिक	23.9	3.8
		ग्रामीण	29.8	5.8
		नगरीय	23.4	3.7
3.	दादरा और नागर हवेली	ग्रामीण	35.8	11.3
4.	दमन और दीव	यौगिक	27.2	7.1
		ग्रामीण	31.8	8.6
		नगरीय	20.3	4.8
5.	दिल्ली	यौगिक	30.4	7.5
		ग्रामीण	35.6	8.5
		नगरीय	30.2	7.4
6.	लक्षद्वीप	यौगिक	30.5	6.3
		ग्रामीण	34.7	6.8
		नगरीय	25.9	5.7
7.	पांडिचेरी	यौगिक	22.4	8.0
		ग्रामीण	22.6	8.9
		नगरीय	22.2	7.3
	भारत	यौगिक	32.2	10.9
		ग्रामीण	33.7	12.0
		नगरीय	27.4	7.4

स्रोत – सैम्पल रजिस्ट्रीकरण पद्धति

iii) अनुमानित शिशु मृत्यु दरें - 1987

राज्य	ग्रामीण	नगरीय	यौगिक
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	84	58	79
असम	104	69	102
बिहार	104	72	101
गुजरात	113	59	97
हरियाणा	93	61	87
हिमाचल प्रदेश	84	44	82
जम्मू और कश्मीर	77	47	71
कर्नाटक	86	41	75
केरल	29	25	28
मध्य प्रदेश	128	81	120
महाराष्ट्र	76	47	66
उड़ीसा	131	75	126
पंजाब	62	63	62
राजस्थान	108	69	102
तमिलनाडु	86	54	76
उत्तर प्रदेश	136	80	127
पश्चिम बंगाल	77	43	71
भारत	104	61	95

स्रोत - सैम्पल रजिस्ट्रीकरण पद्धति

4. सम्मेलन, कार्यशाला आदि

1) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में उप महारजिस्ट्रार (भाषा) के पद पर कार्यरत डा० बी॰पी॰महापात्र ने तारीख 9-10 मई, 1989 के दौरान नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता द्वारा "कम्प्यूटरीकरण के लिए विशेषकों का मानकीकरण" नामक विषय पर आयोजित किए गए सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने तारीख 12-16 जून, 1989 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा "अनुवाद" एवं "अनौपचारिक शिक्षा" पर आयोजित की गई कार्यशाला में भी भाग लिया।

2) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) के पद पर कार्यरत डा० बी॰के॰राय ने अप्रैल, 1989 के दौरान बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए भारत में नगरीय परिवर्तनों के पैटर्न पर राष्ट्रीय सम्मेलन में "मेट्रोपॉलिटेन सिटीज़" पर आयोजित एक सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने इस सेमिनार में "अरबन कारीडरज़: एन इश्यू टू नैशनल अरबनाइज़ेशन" पर एक लेख भी प्रस्तुत किया।

विदेश

1) जनगणना कार्यालय, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के पद पर कार्यरत सर्वश्री के०एल० ठाकुर और श्याम देव ने जनवरी-अप्रैल, 1989 के दौरान भारत-ब्रिटेन तकनीकी सहयोग प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्लासगो विश्वविद्यालय, ब्रिटेन में प्रशिक्षण में भाग लिया।

2) नागालैण्ड में उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत श्री [illegible] सिंह ने जनवरी-मई, 1989 के दौरान साउथ कैम्पस विश्वविद्यालय, ब्रिटेन में सामाजिक सांख्यिकी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

5. <u>हिन्दी का प्रगामी प्रयोग</u>

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और जनगणना कार्य निदेशालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सिक्किम, गोवा, दमन व दीव और दिल्ली की विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, 18 से 20 मई, 1989 के दौरान भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार महोदय की अध्यक्षता में पत्रिका समिति की बैठक नैनीताल में आयोजित की गई। इस बैठक में जनगणना संगठन के कार्यकलापों से सम्बन्धित एक प्रासंगिक लेख हिन्दी में निकालने के लिए एक सम्पादकीय मण्डल का गठन किया गया।

1.	उप निदेशक (रा0भा0) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	संयोजक
2.	जनगणना कार्य निदेशक उत्तर प्रदेश	सदस्य
3.	उप निदेशक जनगणना कार्य दिल्ली।	सदस्य

संदर्भाधीन अवधि के दौरान जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़ और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में निरीक्षण किये गये।

वर्ष 1988-89 के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के 7 कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग और अन्य सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

6. नियुक्तियां, स्थानान्तरण आदि

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

1. श्री वी०एस० वर्मा ने 31 मई, 1989 को भारत के महारजिस्ट्रार के पद का कार्यभार छोड़ दिया। डा० एस०एस० श्रीवास्तव संयुक्त महारजिस्ट्रार [जीवनांक] इस समय भारत के महारजिस्ट्रार के पदभार को देख रहे हैं।

2. सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप श्री एस०एस० बाहरी, सहायक निदेशक जनगणना कार्य [तकनीकी] 30 अप्रैल, 1989 से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए।

जनगणना कार्य निदेशालय

केरल

भारतीय प्रशासनिक सेवा, केरल संवर्ग के श्री एन०एम० सैमुयल को जनगणना कार्य निदेशालय, केरल में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

मणिपुर

2. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के श्री आर०सी० कथूरिया, सहायक निदेशक जनगणना कार्य [तकनीकी] को पदोन्नत करके उप निदेशक, जनगणना कार्य बनाया गया तथा उन्हें जनगणना कार्य निदेशालय, मणिपुर में तैनात किया गया।

मुख्य रजिस्ट्रारों के कार्यालय

गोवा

1. श्री जी०वी० कामत ने श्री जे०एन० अग्रवाल के स्थान पर गोवा में निदेशक योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन और मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, के पद का कार्यभार संभाला।

गुजरात

2. श्रीमती सैयरा शिनोय ने श्री विजय रंजन के स्थान पर गुजरात में स्वास्थ्य आयुक्त, चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के पद का कार्यभार संभाला ।

7· प्रकाशन

क· भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

- वर्ष 1987 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट ।

- सिविल रजिस्ट्रीकरण पर पुस्तिका (दूसरा संस्करण)

  मूल्य : भारत में - 10·00 रु०
  विदेश में - £ 1·17 या $ 3·6

- वर्ष 1984 के लिए "भारत की जन्म-मृत्यु सांख्यिकी" पर रिपोर्ट ।

- गोवा, दमन और दीव, राजस्थान और मेघालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बारे में 1981 की जनगणना मानचित्रावली मुद्रित की गई । अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के ऐसे ही खण्ड अभी मुद्रणाधीन हैं ।

- जनगणना आंकड़ों का मूल्यांकन और अध्ययन करने के लिए भारत का क्षेत्रीय विभाजन - मानचित्रीय विश्लेषण के अन्तर्गत बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, नागालैण्ड और गोवा, दमन और दीव राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के खण्डों को भी मुद्रित किया जा चुका है । आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इसी प्रकार के खण्ड अभी मुद्रणाधीन हैं ।

- 1988 के प्रासंगिक पेपर 3 - नगरीयकरण के नकारात्मक पहलू - श्रेणी I और II नगरों की अधिसूचित गन्दी बस्तियों में उपलब्ध सिविल और अन्य सुविधाओं पर एक अध्ययन, 1981 की जनगणना ।

ख. जनगणना कार्य निदेशालय

आन्ध्र प्रदेश

- भाग 10-क- राज्य स्तरीय नगर निदेशिका ।

असम

- श्रृंखला 3 - भाग 10 घ -इनेटी सिल्क उद्योग §1981 की जनगणना§ पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

बिहार

- श्रृंखला 4 - भाग 10 - ग - ग्राम मेरोमडेगा §1971 की जनगणना§ पर सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- श्रृंखला 4 - भाग 10-ग-ग्राम जमकानली §1981 की जनगणना§ पर सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

कर्नाटक

- श्रृंखला 9 - भाग 10-ग- ग्राम अरलामेलीज §1981 की जनगणना§ पर सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

महाराष्ट्र

- भाग 9 §11§ अनुसूचित जातियों पर विशेष सारणियां ।

मणिपुर

- श्रृंखला 13 - भाग 10 ग, ग्राम इथिंग §1981 की जनगणना§ पर सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

मिजोरम

- श्रृंखला 15 - भाग 10-घ- बांस और केन कार्य §1981 की जनगणना§ पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

नागालैण्ड

- भाग 10 - घ - दीमापुर पर कस्बा सर्वेक्षण रिपोर्ट (मुद्रणाधीन) ।

उड़ीसा

- शृंखला 17 - भाग 10-घ- टाई और डाई पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट (1981 की जनगणना) ।

पश्चिम बंगाल

- भाग 9 (1) - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सारणियाँ ।
- भाग 2 - प्राथमिक जनगणना सार ।

चण्डीगढ़

- जनसंख्या की रूपरेखा ।
- कैम्बवाला ग्राम पर एक अध्ययन रिपोर्ट (मुद्रणाधीन) ।

ग. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

असम

- वर्ष 1987 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट ।

जम्मू व कश्मीर

- भाग 13 क और ख - जम्मू, लद्दाख (लेह) और राजौरी जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका ।

मणिपुर

- वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट ।

राजस्थान

- वर्ष 1987 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट ।

उत्तर प्रदेश

- भाग 13 क - प्रतापगढ़ जिले की जिला जनगणना पुस्तिका ।

पश्चिम बंगाल

- भाग 13 क - चौबीस परगना जिले की जिला जनगणना पुस्तिका ।

दिल्ली

- वर्ष 1986 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट ।

इस प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी

एस0एस0 श्रीवास्तव

स्थानापन्न महारजिस्ट्रार

ओ0पी0 विग

उप महारजिस्ट्रार

एम0 के0 आहूजा

उप निदेशक जनगणना कार्य

टी0सी0 पंजानी

कर्मचारी

श्रीमती एस.पी.बधवार

सांख्यिकीय सहायक

श्रीमती एस0 मित्तल

टंकक

कुमारी कृष्णा धवन

सहायक संगणनकर्ता

हिन्दी रूपान्तर



कृष्णानन्द पन्त

उप निदेशक (रा.भा.)



महेश चन्द्र

सहायक निदेशक (रा.भा.)



वरिष्ठ अनुवादक

श्री आर.सी. बंसल

श्रीमती उषा मल्होत्रा

कनिष्ठ अनुवादक

श्री सुभाष शर्मा

श्री प्रीतम दास

आशुलिपिक

श्रीमती अनिता राज

श्रीमती रीता माथुर

हिन्दी टंकक

श्री प्रेम सिंह सम्भरवाल

श्री कर्मपाल सिंह

TO OUR READERS

Newsletter is a quarterly publication of the Registrar General, India and is released in January, April, July and October every year.

The views expressed in analytical notes are of the authors and not necessarily of the Registrar General's Office or of the Government of India.

Enquiries or suggestions may be addressed to :

Joint Registrar General, India
Office of the Registrar General, India
Vital Statistics Division,
Ministry of Home Affairs,
West Block No. 1, R.K. Puram,
NEW DELHI - 110066(INDIA)

C O N T E N T S

FROM THE REGISTRAR GENERAL'S DESK

The second pre-test of the 1991 census was conducted in selected blocks of the country during June 19 and July 10, 1989. The purpose of the second pre-test was to ascertain the suitablity of the census schedules for collecting the data pertaining to demographic, social, cultural and economic aspects of the population.

The Sample Registration and Civil Registration System continue to be under constant review both at national and sub-national levels.

Registrar General's Report on the working of the RBD Act, 1969 for the year 1987 has been brought out which provides a general description of the civil registration system and the sustained efforts put in to bring up the level of registration in the country. Besides, annual report on Vital Statistics of India for the year 1984 has been released. The report reviews the Civil Registration System and also highlights the trends in registration rates and their inherent limitations.

New Delhi.

Dated : 19.8.89

I. CENSUS OF INDIA

i) Preparations for 1991 census which began with organising of the First Data Users' Conference at New Delhi during April 18-20, 1988 are further continuing. Based on the field experience gained during the First Pre-test which was organised in selected enumeration blocks in the country during November-December, 1988, the Census questionnaires for the Second Pre-test were finalised. The Second-Pre-test was conducted in selected 5 blocks each in rural and urban areas of all States and Union Territories except Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu during June 19 - July 10, 1989. The Census Schedules Convassed in the Second Pre-test are : Houselist, Enterprise list, Household Schedule and Individual Slip.

ii) The voluminous data returned at the 1981 census are being processed and released from time to time according to the scheduled programme for a detailed analysis of levels and trends of various demographic and socio-economic factors relating to population. Recently, report on "Fertility and Child Mortality Estimates" in respect of Andhra Pradesh State - Occasional Paper No. 11 of 1988, has been brought out.

II. REGISTRATION ACTIVITIES

i) At National Level

Registrar General's Report on the working of the RBD Act, 1969 for the year 1987.

The above report has been brought out which provides a general description of the civil registration system and also the sustained efforts put in to bring up the level of registration in the country.

Contd...3/-

Report on "Vital Statistics of India" for the year 1984.

Annual report on "Vital Statistics of India" for the year 1984 has been released. The report reviews the Civil Registration System. It presents registration data for the year 1984 and also highlights the trends in registered rates and their inherent limitations.

Handbook on Civil Registration

The Handbook on Civil Registration has been revised and updated. Its revised edition has been released. It contains various provisions of the Registration of Births & Deaths Act, 1969, clarifications on legal provisions of the Act, organisational frame work, registration practices and procedures besides suggestive measures for co-ordinated development of vital statistics.

Publicity

To create awareness among the public regarding registrati of births and deaths, the Office of the Registrar General, Indi has been doing extensive publicity through various measures suc as cinema slides, T.V. spots, posters, wall hangers, postal stationery, Pin-code Directory and advertisements in the newspapers/magazines. In addition, two quickies - one entitled "Pate Ki Baat" and another "Apni Suvidha Apne Haath" are being telecast from various Doordarshan Kendras.

Contd...4/

Training

A training programme on Civil Registration for District Registrars and Registrars of Municipal Corporations/Large Municipalities was organised during April 24-28, 1989. It was attended by 8 officers from the States of Bihar, Goa, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal. A day's field visit was also arranged as a part of the training programme.

A training programme was also organised in the field of Vital Statistics and large scale sample survey during May - June 1989 for the trainees of Junior Certificate Course in Statistics 1988-89 session.

ii) At State Level

Publicity and other activities

Bihar

A meeting was organised at state level of District Statistical Officers during May 26-28, 1989 wherein the civil registration work was reviewed with a view to achieve further improvements therein.

A training on Civil Registration was imparted during the period under report to those officers-in-charge of Hospitals who have been appointed as Registrars of Births & Deaths in the State.

Himachal Pradesh

The Inter-Departmental Coordination Committee of Himachal Pradesh met on June 13, 1989 at Shimla. The Commissioner and Secretary (Health) was to preside over this meeting but for his pre-occupation in Himachal Pradesh Vidhan Sabha, the meeting was chaired by Dr. S.S. Srivastava, officiating Registrar General, India. The representatives from various Departments of the

State participated in the meeting. While reviewing the progress of the civil registration system in the State, the following major items were discussed at that meeting :-

1) A district level co-ordination committee, with Dy. Commissioner as the Chairman, functions in each district in the State to co-ordinate the activities connected with the registration of births and deaths. In this connection, Dy. Commissioners have been requested to review the implementation of the civil registration scheme also at the district level in the monthly review meetings of 20 point programme. Further, the Directorate of Health and Family Welfare is planning to approach the State Govt. to include the topic on civil registration for review in the State level 20 point programme review committee.

2) Training programmes on civil registration are to be organised for the Panchayat Secretaries (local Registrars in rural areas) at the block level.

3) School Education Board, Himachal Pradesh is to be requested to incorporate a topic on civil registration in the text books for Higher Classes. Also steps to be taken to introduce the topic on civil registration in the orientation training camps which are being organised by the Health & Family Welfare Department of the State.

4) Food and Civil Supplies Department of the State is to introduce the element of compulsion of birth certificate at the time of entry of new born in the ration card in Shimla town.

5) Funds provided by the State Govt. for the construction of Record Room in each District for maintenance of registration records have been considered as the most progressive step. In this connection, it has been decided that the work relating to the construction of Record Rooms is to be completed expeditiously.

Contd..6/-

6) Printing of catchy slogans on civil registration on OPD tickets is to be ensured by the Health Department of the State.

7) For supervisions and training purposes, a vehicle is to be provided by the Directorate of Health and Family Welfare to the Assistant Director (St.).

8) Meetings of District and Sub-Divisional level Co-ordination Committees are to be held regularly to review the progress of civil registration system.

9) One Statistical Assistant at block level for civil registration work is to be provided by the Directorate of Health and Family Welfare.

A training programme on Civil Registration was organised at Shimla on June 17, 1989 which was inaugurated by Hon'ble State Minister for Rural Development. All District Collectors, Block Development Officers and Project Officers of the State and ten Gram Panchayat Pradhans participated in the training programme. A film on registration of births and deaths namely "Promptness Pays" was also shown to the participants.

Jammu & Kashmir

Training camps were organised at Tehsil level of district Srinagar to impart training to village chowkidars engaged in the registration work.

Mizoram

A meeting of the Inter-Departmental Coordination Committee on Registration of Births and Deaths was held at Aizawl on May 29, 1989 under the Chairmanship of Pu Lalkhama, Chief Secretary and Chief Registrar of Births & Deaths, Mizoram. The following major decisions were taken in the meeting :

Contd...7/-

1) Induction of Controller of Printing & Stationery as a Member of the IDC.

2) Printing of registration forms and registers at the Government Press.

3) Introduction of a scheme of Medical Certification of Cause of Death in Hospitals in rural areas.

4) Introduction of element of compulsion of birth certificate at the first school admission and also at the time of addition of new-born child in family ration card.

Maharashtra

In all, 629 film fhows on civil registration were arranged in different places of the State during April-May, 1989 which attracted quite large number of viewers.

A scheme for giving cash award of Rs. 100/- to ten good registration units in rural areas of the State has been introduced for the year 1989-90. This is besides the awards given by the Office of the Registrar General, India.

Punjab

Ten weeks' Certificate Course on "General Health Statistics" was conducted at the Regional Health Statistics Training Centre, Punjab, Chandigarh, during April 3 - June 9, 1989 which was attended by 9 candidates from the State. Besides, two days' workshop on "Medical Manual" was held at the Health and Family Welfare Training Centre, Kharar during June 2-3, 1989 wherein Civil Surgeons and officers of the State Headquarters participated. One days's orientation training on civil registration was also organised for registration functionaries at the State Headquarters which was attended by 19 officials.

Contd...8/-

Rajasthan

The civil registration work in the State was reviewed by the Chief Registrar of Births and Deaths, Rajasthan during the period under report.

Publicity in regard to births and deaths through various measures is continued during the quarter under review.

District Registrars were instructed to organise district level training programmes on civil registration for Vikas Adhikaries and Registrars of Municipalities and also to instruct these officers to arrange training camps for the local Registrars in their areas.

Delhi

A meeting was held on May 18, 1989 under the Chairmanship of the Director of Health Services and Chief Registrar of Births and Deaths, Delhi to review the implementation of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 in NDMC Area.

Keeping in view the difficulties faced by the public in the matter of registration of births and deaths, the NDMC Area has been decentralised by attaching eight major hospitals to six registration centres. This change will facilitate the public in obtaining birth and death certificates quickly. Further, Boards indicating places from where death certificates in respect of the death events occurring in Delhi, can be obtained, have been prepared and are being exhibited at 9 cremation grounds of Municipal Corporation of Delhi. Similar activity in other areas is being planned.

Pondicherry

A advertisement on the importance of registration of births and deaths (Tamil version) published during May, 1989, in the "Souvenir" released by Kamban Kazhagam.

III DATA AT A GLANCE

i) ESTIMATED ANNUAL BIRTH AND DEATH RATES - 1987

Per Mille

Sl. No.	States/Union Territories	Area	Birth Rate	Death Rate
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	Combined	30.3	9.9
		Rural	30.9	10.7
		Urban	28.2	7.3
2.	Arunachal Pradesh	Combined	36.3	13.2
		Rural	37.0	14.2
		Urban	29.0	2.6
3.	Assam	Combined	34.2	11.6
		Rural	34.9	11.9
		Urban	25.7	8.1
4.	Bihar	Combined	36.6	13.1
		Rural	37.3	13.6
		Urban	30.1	8.0
5.	Goa	Combined	18.9	7.5
		Rural	19.4	8.5
		Urban	18.0	5.4
6.	Gujarat	Combined	30.8	9.8
		Rural	31.6	10.8
		Urban	29.0	7.6
7.	Haryana	Combined	34.5	8.8
		Rural	35.4	9.4
		Urban	31.3	6.9
8.	Himachal Pradesh	Combined	30.8	8.5
		Rural	31.4	8.7
		Urban	22.7	5.3
9.	Jammu & Kashmir	Combined	31.0	7.7
		Rural	32.6	8.0
		Urban	25.1	6.4
10.	Karnataka	Combined	28.9	8.7
		Rural	29.9	9.7
		Urban	26.3	5.1

Contd...10/-

1	2	3	4	5
11.	Kerala	Combined	21.7	6.1
		Rural	21.5	6.1
		Urban	22.3	6.2
12.	Madhya Pradesh	Combined	36.4	13.3
		Rural	37.5	14.6
		Urban	31.9	8.0
13.	Maharashtra	Combined	28.9	8.3
		Rural	30.2	9.5
		Urban	26.6	6.1
14.	Manipur	Combined	25.9	5.6
		Rural	27.7	5.9
		Urban	19.9	4.5
15.	Meghalaya	Combined	34.9	9.1
		Rural	38.6	10.2
		Urban	17.6	3.6
16.	Nagaland	Combined	21.7	4.9
		Rural	23.7	5.5
		Urban	13.0	2.6
17.	Orissa	Combined	31.0	13.1
		Rural	31.6	13.7
		Urban	25.7	7.8
18.	Punjab	Combined	28.7	8.1
		Rural	28.9	8.5
		Urban	27.9	7.1
19.	Rajasthan	Combined	35.1	11.6
		Rural	36.3	12.5
		Urban	29.8	7.8
20.	Sikkim	Combined	33.3	10.3
		Rural	34.6	11.4
		Urban	27.2	5.4
21.	Tamil Nadu	Combined	24.0	9.9
		Rural	24.1	11.1
		Urban	23.7	7.6
22.	Tripura	Combined	28.2	9.2
		Rural	29.1	9.5
		Urban	19.5	6.3

1	2	3	4	5
23.	Uttar Pradesh	Combined	37.9	14.5
		Rural	39.3	15.5
		Urban	32.1	9.9
24.	West Bengal	Combined	30.7	8.8
		Rural	34.6	9.7
		Urban	20.9	6.5
1.	A & N Islands	Combined	26.9	6.1
		Rural	28.8	6.5
		Urban	20.1	4.5
2.	Chandigarh	Combined	23.9	3.8
		Rural	29.8	5.8
		Urban	23.4	3.7
3.	Dadra & Nagar Haveli	Rural	35.8	11.3
4.	Daman & Diu	Combined	27.2	7.1
		Rural	31.8	8.6
		Urban	20.3	4.8
5.	Delhi	Combined	30.4	7.5
		Rural	33.6	8.5
		Urban	30.2	7.4
6.	Lakshadweep	Combined	30.5	6.3
		Rural	34.7	6.8
		Urban	25.9	5.7
7.	Pondicherry	Combined	22.4	8.0
		Rural	22.6	8.9
		Urban	22.2	7.3
	INDIA	Combined	32.2	10.9
		Rural	33.7	12.0
		Urban	27.4	7.4

Source : Sample Registration System.

Contd...12/-

ii) Estimated Infant Mortality Rates - 1987

States	Rural	Urban	Combined
1	2	3	4
Andhra Pradesh	84	58	79
Assam	104	69	102
Bihar	104	72	101
Gujarat	113	59	97
Haryana	93	61	87
Himachal Pradesh	84	44	82
Jammu & Kashmir	77	47	71
Karnataka	86	41	75
Kerala	29	25	28
Madhya Pradesh	128	81	120
Maharashtra	76	47	66
Orissa	131	75	126
Punjab	62	63	62
Rajasthan	108	69	102
Tamil Nadu	86	54	76
Uttar Pradesh	136	80	127
West Bengal	77	43	71
INDIA	104	61	95

Source : Sample Registration System.

Contd...13/-

IV. CONFERENCES, WORKSHOPS ETC.

i) Dr. B.P. Mahapatra, Deputy Registrar General (Language) in the Office of the Registrar General, India, participated in the conference on "Standardization of Diacritics for Computerization" organised by the National Library, Calcutta during May 9-10, 1989. He also attended a workshop on "Translation" and "Non-formal Education" organised by the National Council of Education Research and Training, New Delhi during June 12-16, 1989.

ii) Dr. B.K. Roy, Deputy Registrar General (Map) in the Office of the Registrar General, India, chaired a session on "Metropolitan Cities" in the National Seminar on Patterns of urban change in India held at Banaras Hindu University in April 1989. He also presented a paper on "Urban Corridors : an issue to national urbanization" at that Seminar.

Miscellaneous

i) S/Shri K.S. Thakur and Shyam Deo, Research Officer (Map) in the Directorates of Census Operations, Maharashtra and Andhra Pradesh respectively were imparted training at Glasgo University, U.K. during January-April, 1989 under the Indo-British Technical Co-operation Programme.

ii) Shri Harbhajan Singh, Deputy Director of Census Operations, Nagaland, attended a training course in Social Statistics at Southampton University, U.K. during January-May, 1989.

Contd...14/-

V. PROGRESSIVE USE OF HINDI

All possible efforts are being made to encourage the progressive use of Hindi in the Office of the Registrar General, India and also in the Directorates of Census Operations. In this regard, meetings of the Departmental Official Language Implementation Committee were organised in respect of the Directorates of Census Operations, Sikkim, West Bengal, Goa, Daman & Diu and Delhi during the period under report. Besides, a meeting of the Patrika Samiti was held at Nainital during May 18-20, 1989 under the Chairmanship of Joint Registrar General India. At this meeting, the Editorial Committee was constituted with a view to bringing out Occasional Paper in Hindi connected with the activities of the Census Operation. The composition of that Committee is as under :-

1.	Deputy Director (OL) Office of the Registrar General, India	Convenor
2.	Director of Census Operations, Uttar Pradesh	Member
3.	Deputy Director of Census Operations, Delhi.	Member

Inspections regarding progressive use of Hindi were carried out in respect of Directorates of Census Operations, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh and A&N Islands during the period under review.

Seven Officials from the Office of the Registrar General, India, were given cash awards for doing noting, drafting and other official business in Hindi during the year 1988-89.

Contd...15/-

VI. APPOINTMENTS, TRANSFERS ETC.

Office of the Registrar General, India

1. Shri V.S. Verma relinquished the charge of the post of Registrar General, India on May 31, 1989. Dr. S.S. Srivastava, Joint Registrar General (VS) is currently looking after the charge of the post of Registrar General, India.

2. Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri S.S. Bahri, Assistant Director of Census Operations (Technical) retired from Government service on April 30, 1989.

Directorates of Census Operations

Kerala

1. Shri N.M. Samuel, an officer belonging to the Kerala Cadre of Indian Administrative Service, was appointed as Director of Census Operations, Kerala.

Manipur

2. Shri R.C. Kathuria, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the Office of the Registrar General, India, was promoted to the post of Deputy Director of Census Operations and posted in the Directorate of Census Operations, Manipur.

Offices of the Chief Registrars

Goa

1. Shri G.V. Kamat took over the charge of the post of Director of Planning, Statistics and Evaluation and Chief Registrar of Births & Deaths, Goa, vice Shri J.N. Agrawal.

Contd...16/-

Gujarat

2. Smt. Nethra Shenoy took over the charge of the post of the Commissioner of Health, Medical Services & Medical Education and Chief Registrar of Births and Deaths, Gujarat, in place of Shri Vijay Ranchan.

VIII PUBLICATIONS

A. Office of the Registrar General, India

- Registrar General's Report on the working of the RBD Act, 1969 for the year 1987.
- Handbook on Civil Registration (Second Edition)
  Price : Inland - Rs. 10.00,
  Foreign Foreign - £ 1.17 or $ 3.6
- Report on 'Vital Statistics of India' for the year 1984.
- Census Atlases of 1981 in respect of States/UTs of Meghalaya, Rajasthan and Goa Daman & Diu, have been printed. Similar Volumes for Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Orissa, Punjab, Tripura, Uttar Pradesh, A&N Islands and Lakshadweep, are under print.
- Under the Regional Divisions of India to Study and Evaluate Census Data - A Cartographic analysis, Stat/UT Volumes in respect of Bihar, Gujarat, Kerala, Karnataka, Nagaland and Goa, Daman & Diu, have also been printed. Similar Volumes for Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal, are under print.
- Occassional paper No. 3 of 1988 - Negative Aspects of Urbanisation - A study on the Civic and other Amenities available in Notified slums of Class I & II Towns', Census of India, 1981.

Contd...17/-

B. Directorates of Census Operations

Andhra Pradesh

- Part X-A - State level Town Directory.

Assam

- Series 3 - Part X-D - Handicraft Survey Report on Endi Silk Industries (1981 Census).

Bihar

- Series 4 - Part X-C - Survey Report on Village Meromdega (1971 Census).
- Series 4 - Part X-C - Survey Report on Village Jamkanali (1981 Census).

Karnataka

- Series 9 - Part X-C - Survey Report on Village Aralamallige (1981 Census).

Maharashtra

Part IX (ii) - Special Tables on Scheduled Castes.

Manipur

- Series 13 - Part X-C - Survey Report on village Ithing (1981 Census).

Mizoram

- Series 15 - Part X-D - Handicraft Survey Report on Bamboo & Cane work (1981 Census).

Nagaland

- Part X-B - Town Survey Report on Dimapur (under print).

Orissa

- Series 17 - Part X-D - Handicraft Survey Report on Tie and Dye (1981 census).

Contd...18/-

West Bengal

- Part IX (i) - Special Tables for Scheduled Castes.
- Part II - Primary Census Abstract.

Chandigarh

- A Portrait of Population.
- Report on village study of Kaimbwala (under print).

C. States/UTs

Assam

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1987.

Jammu & Kashmir

- Part XIII A&B - District Census Handbook of districts of Jammu, Ladakh(Leh) and Rajauri.

Manipur

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1988.

Rajasthan

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1987.

Uttar Pradesh

- Part XIII A - District Census Handbook of district of Pratapgarh.

West Bengal

- Part XIII A - District Census Handbook of district of Twenty Four Parganas.

Delhi

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1986.

OFFICERS AND STAFF ASSOCIATED WITH THIS PUBLICATION

S.S. SRIVASTAVA
Officiating Registrar General, India

O.P. VIG
Deputy Registrar General.

M.K. AHUJA
Deputy Director of Census Operations

T.C. VANJANI
Assistant Director of Census Operations

STAFF

Smt. S.P. Badhwar,
Statistical Assistant.

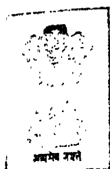
Smt. S. Mittal.
Computor.

Reprography by :

Kum. Taruna Dhawan,
Assistant Compiler.

600 Copies —1989

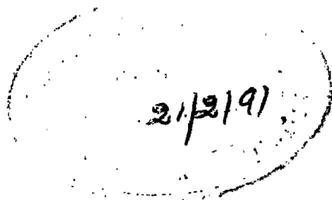
Sunlight Printers, 2265, Dr. Sen Marg, Delhi-6 Ph. 233363



महारजिस्ट्रार की पत्रिका

Registrar General's News Letter

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत सरकार



भारत के महारजिस्ट्रार की पत्रिका

REGISTRAR GENERAL'S NEWSLETTER

अप्रैल एवम् जुलाई - 1990		APRIL & JULY - 1990	
खण्ड	- 21	VOLUME	- XXI
संख्या	- 2 एवम् 3	NUMBER	- 2 & 3

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग

VITAL STATISTICS DIVISION

पश्चिमी खण्ड 1, रामाकृष्णापुरम्,

WEST BLOCK 1, RAMAKRISHNA PURAM,

नई दिल्ली - 110066

NEW DELHI - 110066

पाठकों के लिये

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की यह तिमाही पत्रिका प्रति वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर में प्रकाशित की जाती है ।

विश्लेषणात्मक टिप्पणियों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के ही हैं । यह आवश्यक नहीं है कि वे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय या भारत सरकार के हों ।

किसी भी प्रकार की पूछताछ और सुझाव निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं ।

संयुक्त महारजिस्ट्रार, भारत
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय,
जीवनांक प्रभाग, गृह मंत्रालय,
पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066 (भारत)

विषय सूची

महारजिस्ट्रार की ओर से

1991 की जनगणना का पहला चरण अर्थात् मकानसूचीकरण का कार्य असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप और मिजोरम में अप्रैल, 1990 में आरम्भ किया गया था। इस कार्य को पूरे देश में सितम्बर, 1990 तक चरणबद्ध ढंग से पूरा कर लिया जाएगा जिसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है।

जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों का प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन 24-25 अप्रैल, 1990 को हैदराबाद में आयोजित किया गया।

मृत्यु के कारण का सर्वेक्षण(ग्रामीण) की वर्ष 1988 की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इस रिपोर्ट में सम्मिलित निष्कर्ष परा-चिकित्सा कार्मिकों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्यालय ग्रामों में "ले डायग्नोसिस रिपोर्टिंग" पद्धति का प्रयोग करके निरन्तर किए जा रहे सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण योजना के आधार पर मुख्य राज्यों के 1981-85 के लिए जन्म की सम्भावना के आंकड़े निकाले गए हैं। इस अध्ययन के परिणाम एक अलग प्रकाशन में प्रकाशित किए गए हैं।

नई दिल्ली
दिनांक : 1 अक्टूबर, 1990

1. भारत की जनगणना

1991 की जनगणना की समय सारणी को अन्तिम रूप दे दिया गया है। समय योजना के अनुसार, दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर जिनकी गणना के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की गई हैं, सारे देश में गणना अवधि 9 से 28 फरवरी, 1991 नियत की गई है। संदर्भ काल 1 मार्च, 1991 का सूर्योदय होगा।

1991 की जनगणना के प्रथम चरण अर्थात् मकानसूचीकरण के लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। 1991 की मुख्य जनगणना की तैयारियां भी की जा रही हैं। व्यक्तिगत पर्चों और परिवार अनुसूची भरने के लिए प्रगणकों के लिए अनुदेशों को अन्तिम रूप देकर मुद्रण के लिए भेज दिया गया है। 1991 की जनगणना के तकनीकी मामलों से सम्बन्धित सलाहकार समिति की बैठक 23 फरवरी, 1990 को आयोजित की गई। भारत के महारजिस्ट्रार ने सलाहकार समिति के परामर्श से मकानसूची और व्यक्तिगत पर्चों के आंकड़ों के संसाधन के लिए अपनाए जाने वाले सैम्पल डिजायन को अन्तिम रूप दे दिया है।

1991 की जनगणना में एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण और सारणीकरण के लिए तैयार की गई सारणीकरण योजना को अन्तिम रूप देने के लिए 2-3 मार्च, 1990 को आंकड़े प्रयोक्ताओं का द्वितीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

भारत के महारजिस्ट्रार ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में मकानसूची कार्य के लिए किए गए प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिए 5-8 फरवरी, 1990 को जनगणना कार्य निदेशकों का दूसरा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 1991 की मुख्य गणना में जनगणना अनुसूचियों को भरने के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों को जारी किए जाने वाले अनुदेशों से जनगणना कार्य निदेशकों को अवगत कराया गया।

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने जनता में जागरूकता पैदा करने और मकानसूचीकरण तथा साथ ही 1991 की मुख्य गणना के लिए उचित वातावरण बनाने के उद्देश्य से प्रचार के बहुत से साधन आरम्भ किए है। आवश्यक प्रचार के लिए भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, आकाशवाणी,

दूरदर्शन और क्षेत्र प्रचार निदेशालय, महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल है । समाचार पत्रों में विज्ञापन, [illegible] स्पाटों, क्विकीज़ और रेडियों स्पाटों के माध्यम से प्रचार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है । मकानसूचीकरण के सम्बन्ध में सारे देश में क्षेत्रीय प्रचार [illegible] के माध्यम से प्रचार फोल्डर वितरित करने के प्रबन्ध किए गए है । इसके अलावा उप महारजिस्ट्रार (जनगणना और सारणीकरण) ने 30 मार्च, 1990 को आकाशवाणी पर एक भेंट वार्ता भी दी ।

सारे देश के लिए मकानसूचीकरण के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है । मकानसूचीकरण का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा :-

अप्रैल-मई, 1990	असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड और उड़ीसा और संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप और मिज़ोरम ।
मई-जून, 1990	सिक्किम, त्रिपुरा और संघ राज्यक्षेत्र दादर और नागर हवेली ।
जून-जुलाई, 1990	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दमन व दीव और पाण्डिचेरी ।
जुलाई-अगस्त, 1990	मणिपुर और तमिलनाडु ।
अगस्त-सितम्बर, 1990	पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, [illegible] और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली ।

विभिन्न राज्यों में समीक्षाधीन तिमाही में क्षेत्रीय कार्य की प्रगति निम्नानुसार सूचित की गई है :-

बिहार

चार्ज रजिस्टर तैयार करने और उनकी संवीक्षा करने का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

....../-3

चार्ज अधिकारियों के स्तर तक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य पूरा हो गया है । प्रगणकों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति करने का काम पूरा होने वाला है । सभी जिला जनगणना अधिकारियों को मकानसूचीकरण और आर्थिक जनगणना करने का प्रशिक्षण दे दिया गया है । राज्य में 82 उप मण्डलों में से 75 उप मण्डलों के जनगणना अधिकारियों को भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। समीक्षाधीन तिमाही में चार्ज अधिकारियों के प्रशिक्षण का पहला दौर चल रहा था। इसके अलावा श्री आर०सी० अरोड़ा, भूमि सुधार आयुक्त, बिहार द्वारा मकानसूचीकरण और आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए जिला जनगणना अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया ।

गोवा

मकानसूचीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्य 2 अप्रैल, 1990 से आरम्भ हुआ ।

केरल

1991 की जनगणना के प्रथम चरण अर्थात् मकानसूचीकरण के लिए जनगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण का पहला चरण मार्च, 1990 में पूरा किया गया । केरल के राज्यपाल और मुख्य मंत्री ने क्रमशः 20 और 31 मार्च, 1990 को इस कार्य के बारे में दूरदर्शन पर जनता के नाम एक विशेष संदेश दिया । 1991 की जनगणना की विभिन्न मदों के बारे में जनता से तत्काल उत्तर देने का अनुरोध करना इन संदेशों का उद्देश्य था ।

नागालैण्ड

जनगणना कार्य निदेशालय, नागालैण्ड ने नागालैण्ड में मकानसूचीकरण कार्य के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दीं । निदेशालय ने 1991 की जनगणना के सम्बन्ध में 17 फरवरी, 1990 को जोनल काउंसिल हाल, कोहिमा में प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया । निदेशालय ने मकानसूचीकरण के लिए उपायुक्त के मुख्यालय में चार्ज अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा किया ।

निदेशालय ने मकानसूचीकरण के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति के कार्य को भी अन्तिम रूप दे दिया ।

..../-4

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार द्वारा जिला, तालुका और म्युनिसिपल स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित कर दी गई है ।

मकानसूचीकरण के बारे में जिला मुख्यालय में 15 जिलों के लिए जिला स्तर का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया । जनगणना निदेशालय द्वारा जिला जनगणना पुस्तिकाएं तैयार करने के लिए सुसंगत जानकारी एकत्रित करने का कार्य भी आरम्भ किया गया । ग्राम और नगर निदेशिका के लिए सम्बन्धित एजेंसियों/विभागों से जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो गई है ।

उत्तर प्रदेश

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा 1991 की जनगणना के सम्बन्ध में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रचार अभियान आरम्भ किया गया । जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पूर्व निदेशक श्री चन्दन गोपाल ने 2.1.90 को लखनऊ दूरदर्शन पर एक भेंटवार्ता दी । लखनऊ दूरदर्शन से "घर की दुनिया" नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत "1991 की जनगणना की तैयारियां और गृहणियों की भूमिका" विषय पर श्री आर0के0 सिंह, उप निदेशक जनगणना कार्य की एक वार्ता भी प्रसारित की गई ।

उत्तर प्रदेश के जिला और शहरी जनगणना अधिकारियों के लिए 19-21 फरवरी, 1990 के दौरान राज्य स्तर का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर0के0 भार्गव और भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त श्री अमूल्य रत्न नन्द ने भी इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों को सम्बोधित किया ।

2. सैम्पल सर्वेक्षण और अध्ययन

(1) सैम्पल रजिस्ट्रीकरण योजना

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण योजना के बारे में तकनीकी समिति की सिफारिशों पर जनवरी-जून, 1990 की अवधि के अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण से क्षेत्र में भरने के लिए प्रभावी विवाह के समय आयु, पहले और वर्तमान जीवित जन्म के बीच अन्तराल और जीवित जन्म क्रम के बारे में अतिरिक्त मदें शामिल की गई हैं । तदनुसार फार्म 3, 9, 9क तथा 10 में समुचित संशोधन किए गए हैं और साथ ही एक नया फार्म 13 भी लागू किया गया है ।

से0र0यो0 में अतिरिक्त मदों को भरने के बारे में चण्डीगढ़, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, पणजी और गुवाहाटी नामक 5 चुने गए क्षेत्रीय शहरों में ओरियन्टेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए । सैम्पल रजिस्ट्रीकरण योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

(2) मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण (ग्रामीण)

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण (ग्रामीण) पर वर्ष 1988 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जारी की है । जन्म-मृत्यु सांख्यिकी में सुधार लाने के लिए सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में इस योजना को आरम्भ किया गया था और पहले इसे "आद.. रजिस्ट्रीकरण योजना" कहा जाता था । वर्ष 1982 में इसका नाम बदलकर "मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण(ग्रामीण)" कर दिया गया ।

ग्रामों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्यालय में यह सर्वेक्षण सतत सैम्पल के तौर पर किया जाता है । इसमें "सामान्य रोग निदान रिपोर्टिंग" तकनीक अपनाई जाती है और इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पैरा-चिकित्सीय कार्मिकों को नियुक्त किया जाता है । इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कार्मिकों की कमी और चिकित्सा प्रमाणीकरण सुविधाओं के न होने के कारण होने वाली मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

....../-6

1988 की रिपोर्ट से पिछले 5 वर्षों की अवधि में मृत्यु के कारणों का तुलनात्मक विवरण मिलता है । संकेत से पता चलता है कि मृत्यु के मुख्य कारण समूहों में "बुढ़ापा" और "खांसी" का क्रमश: प्रथम और द्वितीय स्थान है । मृत्यु के मुख्य कारण समूह में "बाल्यावस्था की विशिष्ट बीमारियां" 1984 में 11.0% थी, जो 1988 में घटकर 9.8% रह गई । रिपोर्ट में वर्ष 1988 को आयु समूहों के अनुसार चुनी गई बीमारियों से हुई मृत्युओं का विश्लेषण भी किया गया है ।

§3§ रजिस्ट्रीकरण कार्यकलाप

जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के क्षेत्रीय सम्मेलन

जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के क्षेत्रीय सम्मेलनों का तीसरा चरण इस श्रृंखला के पहले सम्मेलन की तरह 24-25 अप्रैल, 1990 के दौरान हैदराबाद में हुआ था । आन्ध्र प्रदेश के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में दक्षिण क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रारों ने भाग लिया । साथ में कुछ अन्य राज्यों को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया जिससे कि दक्षिण क्षेत्रों में सिविल रजिस्ट्रीकरण के वर्तमान तरीकों, समस्याओं और उनके समाधान आदि से उनको अवगत कराया जा सके । इसके अतिरिक्त विशिष्टताओं वाले नगर क्षेत्रों की सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में विशिष्ट अनुभव रखने वाले बड़े निगमों के रजिस्ट्रारों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया । ये निगम प्रतिनिधि हैदराबाद, विशाखापटनम, बंगलौर, मैसूर, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, मद्रास, कोयम्बतुर, भोपाल, इन्दौर, बम्बई, पूणे, अमृतसर और लुधियाना शहरों के थे ।

राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए सम्मेलन कक्ष में इस सम्मेलन के भागार्थियों ने विचार विमर्श किया ।

जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार और निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आन्ध्र प्रदेश डा0 जी0वी0एस0 नागभूषण राव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की । राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान के निदेशक, डा0 एम0 मोहन राम ने स्वागत भाषण दिया जबकि भारत के

महारजिस्ट्रार के कार्यालय, नई दिल्ली में संयुक्त महारजिस्ट्रार (जीवनांक) डा० एस०एस० श्रीवास्तव ने उद्घाटन भाषण दिया ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डा० नागभूषण राव ने महसूस किया कि जन्म औ मृत्यु रजिस्ट्रीकरण केन्द्रीय अधिनियम 20 वर्ष पुराना होने के कारण सिविल रजिस्ट्र करण प्रणाली बहुत से कारणों के कारण कुशलता के वांछित स्तर को नहीं पा सकी है यद्यपि कई बार इस प्रणाली में सुधार के प्रयास किए गए परन्तु वित्तीय दबाव सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में सुधार लाने में मुख्य बाधा हैं । डा० राव की राय में जब तक नपे-तुले बजट के आवंटन की प्रथा के स्थान पर इस प्रणाली को सही रूप से चलाने के लिए उदार निधि उपलब्ध कराने पर विचार नहीं किया जाता तब तक इस प्रणाली में सुधार लाना कठिन है ।

डा० एम० मोहन राम ने सम्मेलन में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए यह मत व्यक्त किया कि सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली द्वारा दिए गए आंकड़े क्षेत्रों के समुदाय के स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण संकेत देते हैं जिससे कि आहारविदों को पोषाहार और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में सहायता मिलती है । इसके लिए आहारविदों को समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम और पोषाहार के कार्यान्वयन पर सिविल रजिस्ट्रीकरण योजना के लिए विश्वस्त आंकड़े देखने पड़ेंगे ।

संयुक्त महारजिस्ट्रार (जीवनांक) डा० एस०एस० श्रीवास्तव ने सामाजिक आर्थिक और विकास योजना के संदर्भ में जन्म-मृत्यु सांख्यिकी के महत्व पर बल दिया उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि जनसंख्या विकास से सम्बन्धित छोटे क्षेत्र के आंकड़े प्रस्तुत करने और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए केवल सिविल रजिस्ट्रीकरण ही सक्षम है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अखिल भारतीय जनअध्ययन सर्वेक्षण, जिला स्तर पर सिविल रजिस्ट्रीकरण की तरह आंकड़े नहीं प्राप्त कर सकता और न ही इस तरह के सर्वेक्षण बार-बार करना सम्भव ही है, उनका यह मत था कि सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का कोई और विकल्प नहीं है ।

इन परिस्थितियों में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को ही सभी स्तरों पर वांछित सक्षमता और विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। डा० श्रीवास्तव ने यह सुझाव दिया कि अन्य उपायों के साथ मुख्य रजिस्ट्रारों के लिए यह जरूरी है कि वे अधिक से अधिक रजिस्ट्रीकरण केन्द्र खोलने की आवश्यकता को महत्व दें ताकि लोग वहां सरलता से पहुंच सकें। नोटिफायर प्रणाली को सशक्त बनाएँ। प्रचार माध्यमों को बढ़ावा दें और रजिस्ट्रीकरण कार्य के प्रभावी पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करें। उन्होंने भाग लेने वालों का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि संस्थागत घटनाओं पर शत-प्रतिशत ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि नगरीय क्षेत्रों में घटनाओं को रजिस्टर न करने पर दण्डनीय धाराएँ लागू की जाएं। डा० श्रीवास्तव ने अपने भाषण का समापन यह आशा करते हुए किया कि सम्मेलन का आयोजन सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को कारगर और क्रियाशील बनाएगा।

निम्नलिखित पैराग्राफों में सम्मेलन के आयोजन और सिफारिशों का सारांश दिया गया है :-

1. मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाणीकरण की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। सबने यह महसूस किया कि ये आंकड़े स्वास्थ्य योजना के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें पूर्ण तथा विश्वसनीय बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में यह सिफारिश की गई कि :-

(क) सभी शहरी अस्पतालों को इसमें पूर्णतः शामिल किए जाने को कार्य में काफी देर हो गई है और कम से कम एक लाख की आबादी वाले कस्बों/शहरों के सभी अस्पतालों को बिना किसी विलम्ब के इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) यह आवश्यक है कि (एक या दो दिन की अवधि के) दुहरे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं जाएं, एक कार्यक्रम डीन/सहायक डीन और मैडिकल कालेजों के पी०एस०एम० प्रोफेसरों के लिए और दूसरा कार्यक्रम अस्पतालों में कार्यरत

मेडिकल कार्मिकों के लिए । सभी वर्ग के मेडिकल कार्मिकों को शीघ्र शामि करने की जरूरत है । अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यू०एन०एफ०पी०ए०, यूनिसेफ आदि) ।

(ग) सिविल रजिस्ट्रीकरण और चिकित्सीय प्रमाणीकरण पर एक मापदण्ड एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रमों के इन्टर्नशीप कार्यक्रमों में शामिल किया जान चाहिए ।

(घ) जब यह मान्य हो गया कि अन्य देशों की तरह चिकित्सीय प्रमाणीकरण आंकड़े सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से आने हैं तो यह योजना मेडिकल कार्मिकों के सक्रिय सहयोग के बिना प्रगति नहीं आ सकती है जिसके लिए भारत के महारजिस्ट्रार के लिए यह आवश्यक है कि इस मामले को स्वास् और परिवार कल्याण केन्द्रीय मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

2. सम्मेलन में कुछ संदर्भ किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण व्यवस के अपेक्षित पदानुक्रम प्रणाली के दिए गए । ये मुद्दे पहले सम्मेलनों में भी आ चुके हैं पूर्ववर्ती उदाहरणों पर अमल करते हुए यह पाया गया कि राज्य सरकारों को पदानुक्रम परिवर्तनों के सांविधिक अधिकार दिए गए थे । यह सिफारिश की गई कि राज्य सरकारें जो कि विभिन्न स्तरों पर अपने विभिन्न मूल संगठनों से रजिस्ट्रीक कार्य विधि में समस्याएं महसूस करती हैं, इस प्रणाली को लागू करने के लिए ठोस प्रस्तावों को तैयार कर सकती हैं और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय से इसक अनुमोदन प्राप्त कर सकती हैं । राज्य के प्रतिनिधियों ने खासतौर से यह महसूस किया कि ग्रामीण समूहों के साथ काम करने वाले अभिकरणों को रजिस्ट्रीकरण कार्य करना चाहिए था और परीक्षणिक कार्य के लिए पुलिस संगठनों को शामिल नहीं करना चाहिए था । राज्य सरकारों जहां पर ये परिवर्तन अपेक्षित हैं इस प्रणाली के उक्त प्रस्ताव को लागू कर सकती है ।

....../-10

3. यह महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकरण में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है कि नोटिफायर प्रणाली में तेजी लाई जाए। यह सिफारिश की गई की एक ऐसी कार्यविधि लागू की जाए जिससे कि रजिस्ट्रारों को उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत प्रत्येक नोटिफायर के बारे में पूरा पता हो।

4. कुल भागार्थियों ने सी0आर0एस0 आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण के लिए धन की कमी की शिकायत की। विचार-विमर्श के दौरान यह पता चला कि धन की उपलब्धता मुख्य समस्या नहीं थी, जन्म-मृत्यु रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण आमतौरपर राज्यों से प्राप्त स्रोतों या एन0आई0सी0 नेटवर्क की सहायता से किया जाता था। जरूरत इस बात की थी कि पहले कार्य की अपेक्षाओं का आकलन किया जाए और इसके बाद जनशक्ति और उपकरणों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाए। इन चरणों को पूरा करने के बाद यह निश्चित करना होगा कि अन्य विभागों या एन0आई0सी0 उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधाओं की उपलब्धता का पता लगाया जाए। यदि सुविधा नहीं मिल सके तो राज्य योजना से निधि उपलब्ध कराई जाए।

5. प्रत्येक प्रतिनिधि ने दृढ़ता से यह मत व्यक्त किया कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 की तीनों धाराओं को शीघ्र संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। जब से, बहुत से मामलों में सहमति रिपोर्ट कराने की अवधि 21 दिन तक बढ़ी है, तब से यह जरूरी हो गया है कि धारा 13(1) में दी गई 30 दिन की समय सीमा को 45 दिन या 60 दिन तक भी बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार धारा 13(1) में दी गई निर्धारित समय सीमा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह भी आवश्यक हो गया है कि धारा 13(2) में दी गई समय सीमा को एक वर्ष से 3 वर्ष या 5 वर्ष तक भी बढ़ा दिया जाए। अन्ततः यह देखा गया कि बहुत से आवेदक जिस जन्म तिथि और दूसरे रिकार्ड को दीर्घावधि से लिख रहे थे उन तथ्यों को सत्यापन किए बिना एस0डी0एम0 रजिस्ट्रीकरण के आदेश विलम्ब से देने के आदि थे। आम सहमति यह है कि विलम्ब से रजिस्ट्रीकरण की एस0डी0एम0 की शक्तियां। जो कि धारा 13(2) में निर्धारित सीमा से बाहर हैं, केवल मुख्य/मुख्य रजिस्ट्रार या भारत के रजिस्ट्रारों को हैं।

इस विषय पर काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह महसूस किया गया कि के अधिनियम में संशोधन करके ही परिवर्तन किए जा सकते हैं । यह भी पाया गय अधिनियम में और भी ऐसे खण्ड है जिनमें कि संशोधन की आवश्यकता है । इस ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की गई कि वे सभी मामले जिनमें कि जन्म-मृ रजिस्ट्रीकरण के विभिन्न खण्डों में परिवर्तन की आवश्यकता हो, उनका विस्तृ रूप से अध्ययन किया जाए और कोई राय बनाने से पहले होने वाले क्षेत्रीय सम्मे में उन पर विचार विनिमय किया जाए ।

6. अधिनियम के संशोधन जिसमें कि काफी समय लग सकता है, होने तक भ के महारजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रारों और उनके सम्बन्धित सचिवों को सलाह दे सक हैं कि समस्याओं पर अपने विधि विभागों के साथ चर्चा करें और एस०डी०एम को यह सलाह देने की सम्भावनाओं का पता लगाएं कि तथ्यों का सत्यापन करने के बाद ही अपने निर्णय दे । अपने आदेशों में उसे शामिल करें । यह भी सिफारि की गई कि आवेदक की आयु मैडिकल परीक्षा द्वारा निश्चित की जाए ।

7. बम्बई नगर निगम के प्रतिनिधियों ने गोद लिए बच्चों को प्रमाण पत्र ज करने से सम्बन्धित समस्याओं को रखा । वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार गोद लिए गए बच्चों के अभिभावकों के नाम "नहीं पता" के रूप में दिखाए जाते हैं जिससे कि विभिन्न सामाजिक समस्याएं सामने आती हैं और गोद लिए बच्चों के युवा होने पर उनके वैधानिक स्तर में संदिग्धता आती है । दूसरी ओर गोद लिए गए बच्चों की अभिभावकता परिवर्तित होने के भी उदाहरण है । ऐसे भी मामले हैं जहां पर कि बच्चे व्यक्ति अभिभावकों के स्थान पर संस्थाओं द्वारा गोद लिए जाते हैं । यह मत व्यक्त किया गया कि गोद लिए बच्चों को दिए जाने वाले जन्म प्रमाण पत्र पर अभि-भावकों के नाम से सम्बन्धित सूचना भरने के प्रश्न का अध्ययन किया जाए निगम के प्रतिनिधियों ने यह सिफारिश भी की कि जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र की केव एक ही प्रति जारी की जानी चाहिए चाहे वह विद्यालय छोड़ने या डिग्री प्रमाणपत्र का मामला हो ।

8. कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि कुछ विवरण बहुत ही बड़े थे और उन्हें कम किया जाए और हो सके तो बन्द ही कर दिया जाएं । 15(क), 15(ख) और 15(ग) फार्मों में बहुत से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जिनकी को कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । वस्तुतः कर्नाटक के मुख्य रजिस्ट्रार ने बताया कि भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने अपने तारीख 16 अगस्त, 1988 के पत्राचार सं0 17-3/88-वी0एस0(टी0डी0) द्वारा पहले ही हमें उक्त तीनों फार्मों का प्रयोग न करने की अनुमति दे दी हैं ।

9. इस समय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रारों द्वारा जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों में प्रविष्टियों को सही करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है । यह वांछनीय है कि इसके कानूनी अड़चनों का अध्ययन करके समय सीमा निर्धारित की जाए ।

10. कुछ प्रतिनिधियों ने यह सिफारिश भी की कि समवर्ती रजिस्ट्रीकरण श्मशान भूमि/कब्रिस्तान में किया जा सकता है ।

11. एक अस्पष्ट संदर्भ यह भी था कि जन्म प्रमाण-पत्र नाम के बिना न दिया जाए । यह सुझाव था कि अभिभावकों को जन्म से पहले ही लड़के या लड़की का नाम निश्चित कर लेना चाहिए ताकि जन्म के तुरन्त बाद पैदा होने वाले बच्चे का नाम निर्धारित हो जाए ।

12. विचार विमर्श के दौरान यह बात ध्यान में लाई गई कि भारत के पूर्व महारजिस्ट्रार ने राज्य, जिला और तहसील स्तरों पर कार्य की देखभाल के लिए मोनीटरिंग और अधीक्षण के जो फार्म आरम्भ किए थे उनसे भ्रान्ति उत्पन्न हुई क्योंकि फार्मों को जो नम्बर दिए गए थे वे 1, 1ए, 2, 2ए और 3 व 3ए थे जो कि वैसे ही थे जोकि राज्य नियमों के अधीन निर्धारित किए गए थे ।

13. यह सिफारिश की गई कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट मुद्रित होनी चाहिए । यह

..../-13

आशा भी की गई कि ये रिपोर्टें राज्य नियमों के अधीन अपनी अपनी सरकारों को प्रस्तुत की जानी थी।

14. यह महसूस किया गया कि रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के सुधार में जिला रजिस्ट्रारों की प्रभावपूर्ण भूमिका होती है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें काफी उत्तरदायित्व सौंपा जाए। जिला रजिस्ट्रारों को नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त करने चाहिए और इसके लिए उन्हें आंकड़ों के प्रारम्भिक कार्य के लिए सुविधाएं व स्टाफ दिया जाना चाहिए। यद्यपि यह मान लिया गया था कि जिला रजिस्ट्रारों को विवरणों पर कार्यवाही करने की अनुमति दे देने से राज्य स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने में देरी होगी, साथ ही जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक जिला रजिस्ट्रार अपने जिलों की रजिस्ट्रीकरण इकाईयों के कार्य का कारगर ढंग से पर्यवेक्षण और मोनीटरिंग नहीं कर सकेंगे।

3. रजिस्ट्रीकरण संवर्धन उपाय

§1§ राष्ट्रीय स्तर पर

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने सिविल रजिस्ट्रीकरण में लगे उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए 16 से 20 अप्रैल, 1990 तक नई दिल्ली में एक सप्ताह का 25वां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बिहार, गोवा, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों और दमन और द्वीव संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में एक फील्ड विजिट का भी आयोजन किया गया ताकि भागार्थी संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में सिविल रजिस्ट्रेशन की कार्य प्रणाली का अनुभव प्राप्त कर सके।

जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार कर रहा है। बाल-हैंगर, बाल-पोस्टर्स, सिनेमा स्लाइड्स, अखबारों में विज्ञापनों, मैगजीन्स, डाक सामग्री पर संदेशों/नारों की छपाई द्वारा, विडियो स्पाट्स के प्रसारण इत्यादि कुछेक माध्यम स्रोत रहे हैं जिनके माध्यम से काफी प्रचार किया गया है। दूरदर्शन के 7 केन्द्रों के जरिए 20 सेकेंड के जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी रं.. विडियो स्पाट के प्रसारण की व्यवस्था भी की गई है। उक्त विषय पर 15 सैकेंड का स्पाट आकाशवाणी के वाणिज्यिक चैनलों के जरिए भी प्रसारित किया गया है। इसके अलावा सिनेमा घरों के माध्यम से लोगों को "प्रोम्पिट्नेस पेज" नामक फिल्म दिखाई गई है। एक नई फिल्म "उपहार" भी दिखाए जाने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा दो विक्कोड "अपनी सुविधा अपने हाथ" और "पते की बात" विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित की जाने वाली हैं।

§2§ राज्य स्तर पर

बिहार

राज्य स्तर पर आर्थिक जनगणना से सम्बन्धित अधिकारियों का एक ... 1990 में आयोजित किया गया। आर्थिक जनगणना की

कार्यविधि और प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ प्रतिभागियों का ध्यान सिविल रजिस्ट्रीकरण पर केन्द्रित किया गया । जिला सांख्यिकीय अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे अपने क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की कवरेज सीमा को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें ।

आर्थिक जनगणना कार्य में संलग्न क्षेत्रीय अधिकारियों की एक राज्य स्तर बैठक 28 मई, 1990 को की गई । इसमें सिविल रजिस्ट्रीकरण मामलों पर चर्चा की गई । जिला सांख्यिकीय अधिकारियों से पुन: अनुरोध किया गया कि वे जन्म और मृत्यु घटनाओं में व्यापक सुधार लाने के लिए सिविल रजिस्ट्रीकरण में विशेष रुचि दिखाएं ।

प्रचार अभियान के अंग के रूप में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी बाल-हैंगर और सिनेमा स्लाइडों को सारे राज्य में विशिष्ट जगहों पर लगाने एवं प्रदर्शित करने के लिए वितरित किया गया ।

हरियाणा

हरियाणा के जन्म और मृत्यु के प्रमुख रजिस्ट्रार ने गुड़गांवा, सोनीपत और करनाल के जिलों में एक दिन का एक विशेष अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किया । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय रजिस्ट्रारों के ... का स्पष्टीकरण प्रदान करना था । पुलिस अधिकारियों, नगरपालिका सचिवों/ स्थानीय निकायों, रोग विज्ञानी, सांख्यिकी सहायकों और संगणकों ने कार्यक्रम में भाग लिया ।

उपर्युक्त के अलावा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, हरियाणा ने जिला रोहतक में और उसके आसपास की चुनिन्दा चयनित सैम्पल इकाईयों में प्रणाली के कार्यान्वयन में लगे अधिकारियों के लिए सैम्पल रजिस्ट्रीकरण पर 23 मई, 1990 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । कार्यक्रम में अंशकालीन प्रगणक, संगणक, सुपरवाइजर और सांख्यिकीय सहायकों ने भाग लिया ।

....../-16

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण कराने की निर्धारित समय सीमा को क्रमशः 14 और 7 दिन के स्थान पर दोनों घटनाओं के लिए समरूप अवधि अर्थात् 21 दिन कर दिया गया है । यह परिवर्तन अन्य राज्यों में पहले ही प्रभावी हो चुका है ।

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण विषय को उन विकासी योजनाओं में शामिल किया गया है जिनका कार्यान्वयन राज्य में जनसंख्या क्रियाकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि के अन्तर्गत किया जाता है । प्रयोग के रूप में सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्य बिलासपुर और हमीरपुर के दो जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कवर करेगा ।

कर्नाटक

कर्नाटक के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने राज्य में सिविल रजिस्ट्रीकरण की गुणवत्ता और कवरेज को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । उनमें से कुछेक उपाय नीचे दर्शाए गए हैं :-

1) सब डिवीजनल एसिस्टेन्ट कमीशनर (राजस्व) और तहसीलदारों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों का नियमित रूप से निरीक्षण करें । स्थानीय रजिस्ट्रारों (ग्रामीण लेखाकारों) को अनुदेश दिए गए है कि वे निरीक्षण कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने मुख्यालय में ही रहें ।

2) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकरण में सुधार लाने की दृष्टि से मुख्य रजिस्ट्रार ने जिला परिषदों के उप सचिवों को विशेषतया इसी प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक को 7 जून, 1990 को सम्बोधित किया । अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में जिला परिषद के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया कि

§I§ नोटिफायर्स §कनिष्ठ स्वास्थ्य सहायक§ को अनुदेश जारी करें कि वे स्थानीय रजिस्ट्रारों §ग्रामीण लेखाकारों§ के आवश्यक सहायता प्रदान करें; §II§ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों को अनुदेश दें कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मासिक बैठकों में प्रत्येक नोटिफायर्स §जूनियर हैल्थ एसिस्टेंट§ के कार्य की समीक्षा करें; और §III§ जिला परिषद की मासिक बैठकों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण पर चर्चा/समीक्षा करें ।

3§ जिला रजिस्ट्रारों §उपायुक्तों§ से अनुरोध किया गया है कि वे जन्म और मृत्यु को घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में व्यापक सुधार लाने के विशेष प्रयास करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यकर्त्ताओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें ।

4§ 20 जून, 1990 को बंगलौर में हुए जिला सांख्यिकीय अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर, विशेष रूप से जिला स्तर पर किए जाने वाले प्रचार उपायों के सम्बन्ध में चर्चा की गई । जिला सांख्यिकीय अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे भारत के महारजिस्ट्रार से प्राप्त वाल हैंगरों और हैंडबिल्स, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए जनता को आगे आने और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रेरित करने सम्बन्धी सन्देश दिया गया, के वितरण का आवश्यक प्रबन्ध करें ।

5§ मुख्य रजिस्ट्रार ने उप जिला रजिस्ट्रारों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और परिवार कल्याण अधिकारियों जैसे वरिष्ठ कार्यकर्त्ताओं के लिए दो दिवसीय अनुकूलन पाठ्यक्रम की रूप-रेखा तैयार की है । पाठ्यक्रम की सामग्री को मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी में 3 और 6 अगस्त, 1990 को प्रशिक्षण दिया गया ।

समीक्षाधीन तिमाही में राज्य में सिविल रजिस्ट्रीकरण में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय किए गए । कर्नाटक के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जन्म और मृत्यु की सांख्यिकी के सम्बन्ध में अन्तर विभागीय समन्वय समिति की एक बैठक हुई । यह निर्णय लिया गया कि इसके बाद से राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठकों में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली की कार्य पद्धति एक विषय वस्तु होगी । जिला रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु को सलाह दी गई है कि वे इन मासिक बैठकों में सिविल रजिस्ट्रीकरण की समीक्षा "तालुका स्तर पर" करें । जिला सांख्यिकीय अधिकारी जो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार भी है को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए है कि वे उपायुक्त द्वारा बुलाई जाने वाली राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठकों में भाग लें । जिन गांवों के पिछले महीनों में सिविल रजिस्ट्रीकरण पर शून्य रिपोर्ट भेजी है उनकी तालुका वार सूची पर इन बैठकों में अन्य मदों के साथ समालोचना की जाएगी । इन बैठकों में पिछले 3 महीनों के लिए जन्म और मृत्यु की घटनाओं की अनुमानित संख्या के संदर्भ में रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु घटनाओं के प्रतिशत की भी समीक्षा की जाएगी । कर्नाटक के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने प्रस्ताव रखा कि उपायुक्त, जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी, जिला सर्जन और निगम आयुक्तों जैसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए मई-जून, 1990 के दौरान किसी समय एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया जाए । सभी राजस्व प्रभागों के अधिकारी इस कार्यक्रम में आएंगे ।

केरल

राज्य में सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 21 फरवरी, 1990 को एक अन्तर विभागीय समिति [आई०डी०सी०] की बैठक बुलाई गई । अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने निर्णय लिया कि स्कूल में प्रथम दाखिले के समय जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की योजना शुरू की जाए । इससे यह आशा की जाती है कि यह जन्म की घटनाओं का 100% रजिस्ट्रीकरण करने में सहायक होगी ।

केरल के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रारों और नगर पालिका और नगर निगम के रजिस्ट्रारों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 मार्च, 1990 को कालीकट में, 9 मार्च, 1990 को एर्नाकुलम में और 15 मार्च, 1990 को तिरुवनन्तपुर में हुआ । भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में उप महारजिस्ट्रार, डा० ओ०पी० शर्मा और उप निदेशक, जनगणना कार्य, श्री के०के० रस्तोगी ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और केरल में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया ।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की कार्य साधकता सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट को अन्तिम रूप प्रदान किया । अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप रिपोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के जन्म एवं मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने 5 आदिवासी जिलों में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में सुधार के अध्ययन के लिए जून, 1990 में एक विशेष परियोजना शुरू की । इस परियोजना के अन्तर्गत 148 चुनिन्दा आदिवासी क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु की घटनाओं की 100% रिपोर्ट और रिकार्ड करने को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की गई । स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को [illegible] कार्य की देखभाल करने और मासिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया ।

महाराष्ट्र के मुख्य रजिस्ट्रार ने भी मार्च, 1990 के तीसरे सप्ताह में की ट्रेनीज के लिए तीन दिन की एक कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । की-ट्रेनीज को सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली, मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण और मृत्यु

के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया । कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पब्लिक हैल्थ इन्स्टीट्यूट नागपुर में किया गया ।

जनवरी-जुलाई, 1990 में महाराष्ट्र में जन्म और मृत्यु से सम्बन्धित वृत्त फिल्मों के शो द्वारा प्रचार अभियान किया गया । इस प्रचार अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने की दृष्टि से मई-जून, 1990 में 348 फिल्मस शो के आयोजन द्वारा विशेष ध्यान दिया गया । जनवरी, 1990 में कुल 1364 शो दिखाए गए ।

मणिपुर

मणिपुर के जन्म एवं मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने सामान्य जनता के अन्दर व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न अभिकरणों में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के संदेश को सम्प्रेषित करने वाले मणिपुरी वाल हैंगिंग का वितरण किया । इन पोस्टरों को राज्य में प्रचार के लिए भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराया गया था ।

मिज़ोरम

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मिज़ोरम के जन्म एवं मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा चवांगटे में 24 व 25 जनवरी, 1990 को किया गया । मिज़ोरम के चकना जिला परिषद क्षेत्र के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों ने इस में भाग लिया ।

पंजाब

पंजाब के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने 27 मार्च, 1990 को जन्म और मृत्यु सम्बन्धी राज्य की विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाई । प्रतिभागियों ने स्थानीय निकायों के निदेशक, पुलिस के महानिदेशक, निदेशक, पंचायत एवं सामुदायिक विकास और शिक्षा निदेशक, (प्राथमिक विद्यालय) के कार्यालयों का प्रतिनिधित्व किया ।

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के मामले को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा विभागीय पत्रिका "सेहत" के जून, 1990 के अंक में प्रकाशित किया गया । इस अंक को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विशेषांक के रूप में निकाला गया ।

मुख्य रजिस्ट्रार ने भी रोपड़ और पटियाला जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें स्थानीय रजिस्ट्रारों, चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्त्ताओं ने बैठक में भाग लिया । प्रशिक्षण जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार और सांख्यिकीय अधिकारी (जीवनांक) द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ।

राजस्थान

जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, जयपुर, कोटा और चितौड़गढ़ जिलों के सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्त्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । कोटा और जैसलमेर जिलों के कार्यकर्त्ताओं के लिए उप-मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया जबकि जिला रजिस्ट्रारों ने अपने सम्बन्धित जिलों में प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया । जिला मुख्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

भारत के महारजिस्ट्रार से प्राप्त पोस्टर, सिनेमा स्लाइड्स और जन्म और मृत्यु सम्बन्धी फिल्मों के वितरण के माध्यम से राजस्थान में प्रचार उपायों को व्यापक रूप दिया गया ।

तमिलनाडु

श्रीमती यास्मीन अहम्मद, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव, स्वास्थ्य विभाग तमिलनाडु सरकार की अध्यक्षता में 26 जून, 1990 को तमिलनाडु में जन्म और मृत्यु सम्बन्धी अन्तर विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई । निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण, निदेशक, टाउन पंचायत, निदेशक नगरपालिका प्रशासन, संयुक्त आयुक्त (एस० एण्ड आर०) ग्रामीण प्रशासन,

संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा; सहायक निदेशक, [illegible] शिक्षा; विशेष [illegible] [illegible] [illegible], सरकारी प्रेस; उप निदेशक [सांख्यिकी] और सांख्यिकीय सहायक निदेशक ने इसमें भाग लिया । जन्म और मृत्यु सम्बन्धी मासिक विवरणों, [illegible] दक्षता, मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण और जन्म और मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों का [illegible] करने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ।

दिल्ली

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु ने दिल्ली में जन्म/मृत्यु [illegible] जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है । जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 के अधीन जारी किए जाने वाले फार्म 9क/10क में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र पर लगाई जाने वाली रु० 40 की कोर्ट फीस स्टाम्प की मौजूदा प्रक्रिया को 17 जुलाई, 1990 से समाप्त कर दिया गया । मुख्य रजिस्ट्रार ने भी अनुदेश जारी किए है कि इसके उपरान्त जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन सादे कागज पर स्वीकार किए जाए । परन्तु इस प्रयोजन के लिए फार्मों की सप्लाई बिना मूल्य के रजिस्ट्रीकरण के महत्वपूर्ण स्थानों पर की जाती रहेगी । मुख्य रजिस्ट्रार ने यह भी निर्णय लिया है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की घरेलू घटनाओं के मामले में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अधीन फार्म संख्या 9 या 10 में, जैसा भी मामला हो जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र निःशुल्क दिया जाए जैसा कि इस समय किया जाता है और इसे बिना किसी आवेदन पत्र के दिया जाए । आगे यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदन द्वारा मांग किए जाने पर इस प्रमाण पत्र की एक और प्रति भी जारी की जाए ।

पहले संस्थागत घटनाओं के मामले में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म संख्या 9 या 10 में नहीं दिए जाते थे । अब यह निर्णय लिया गया है कि संस्थागत घटनाओं के मामलों में भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, फार्म मांगने पर फार्म संख्या 9 या 10, जैसा भी मामला हो पर आवेदन करने पर जारी किया जाए । इस सम्बन्ध में भी यह

विवरण-2 : जन्म और मृत्यु के अनुमानित वार्षिक आंकड़े - 1988

(ये दरें लगातार जन्म से०र०प०के आंकड़ों और द्वारा चैक सर्वेक्षण पर आधारित हैं)

प्रति दस लाख

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	क्षेत्र	जन्म दर	मृत्यु दर
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	योग	27.4	10.2
		ग्रामीण	27.6	10.9
		नगरीय	26.3	7.4
2.	अरूणाचल प्रदेश	योग	40.0	17.2
		ग्रामीण	40.9	18.4
		नगरीय	30.3	6.0
3.	असम	योग	32.9	11.8
		ग्रामीण	33.6	12.1
		नगरीय	24.6	7.9
4.	बिहार	योग	37.3	12.6
		ग्रामीण	38.1	13.0
		नगरीय	30.4	8.1
5.	गोवा	योग	17.7	7.9
		ग्रामीण	17.9	8.5
		नगरीय	17.4	6.8
6.	गुजरात	योग	29.5	11.0
		ग्रामीण	30.1	11.8
		नगरीय	28.1	9.2
7.	हरियाणा	योग	33.8	9.8
		ग्रामीण	35.0	10.4
		नगरीय	29.9	7.6
8.	हिमाचल प्रदेश	योग	32.2	9.6
		ग्रामीण	32.9	9.9
		नगरीय	22.8	5.9

व्यवस्था की गई है कि मांग करने पर प्रमाणपत्र की दो और प्रति जारी की जाए। अनुदेश जारी किए गए हैं कि फार्म के अन्तिम भाग के नीचे मुख्य/स्थायी का आवासीय पता दर्शाया जाए।

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में लोगों को अवगत कराने के लिए विशेष कदम उठाए जाने के सम्बन्ध में पहल की। 90 साइनबोर्ड प्रदर्शित किए गए जिनमें संस्थागत घटनाओं के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र की उपलब्धि के स्थान दर्शाए गए थे। अब तक इन बोर्डों को संघ क्षेत्र में स्थित 47 प्रमुख हस्पतालों में लगाया जा चुका है। इसके अलावा 10 साइनबोर्डों को श्मशान घाटों पर पब्लिक के दिग्दर्शन हेतु तैयार कराया गया। ऐसे बोर्डों को 10 श्मशान घाटों पर जहां रजिस्ट्रीकरण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्य रजिस्ट्रार ने 64 सिनेमा हालों को 15 दिन तक प्रत्येक शो में दिखाने के लिए सिनेमा स्लाइड्स वितरित की हैं जिनमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण को विधि अनिवार्यता के रूप में उल्लेखित किया गया है।

4. आंकड़े एक दृष्टि में

विवरण-1 : स्त्री/पुरुष के अनुसार भारत और बड़े राज्यों में जन्म की सम्भावनाएं, 1981-85

राज्य	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1	2	3	4
भारत	55.4	55.7	55.4
आन्ध्र प्रदेश	57.2	59.8	58.4
असम	52.0	51.9	51.9
बिहार	54.2	51.5	52.8
गुजरात	55.5	59.3	57.6
हरियापा	61.5	59.0	60.3
हिमाचल प्रदेश	58.5	62.9	60.4
जम्मू और कश्मीर	60.2	60.7	60.4
कर्नाटक	59.7	62.0	60.6
केरल	65.4	71.5	68.4
मध्य प्रदेश	51.5	51.9	51.6
महाराष्ट्र	59.6	62.1	60.6
उड़ीसा	53.1	53.0	53.0
पंजाब	62.6	63.6	63.1
राजस्थान	53.3	53.8	53.5
तमिलनाडु	56.5	57.4	56.9
उत्तर प्रदेश	51.4	48.5	50.0
पश्चिम बंगाल	56.8	58.0	57.4

स्रोत : नमूना रजिस्ट्रेशन प्रणाली ।

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	योग	33.1	8.4
		ग्रामीण	35.5	9.1
		नगरीय	24.0	6.0
10.	कर्नाटक	योग	28.7	8.8
		ग्रामीण	30.1	9.5
		नगरीय	24.9	7.0
11.	केरल	योग	20.3	6.4
		ग्रामीण	20.0	6.3
		नगरीय	21.4	6.7
12.	मध्य प्रदेश	योग	37.0	14.3
		ग्रामीण	38.4	15.4
		नगरीय	31.2	9.8
13.	महाराष्ट्र	योग	29.4	8.9
		ग्रामीण	31.4	10.1
		नगरीय	25.8	6.7
14.	मणिपुर	योग	25.8	6.8
		ग्रामीण	27.7	7.3
		नगरीय	19.6	5.3
15.	मेघालय	योग	36.4	9.1
		ग्रामीण	40.5	10.6
		नगरीय	17.7	2.7
16.	नागालैण्ड	योग	22.3	5.0
		ग्रामीण	23.8	5.7
		नगरीय	15.5	1.7
17.	उड़ीसा	योग	31.9	12.3
		ग्रामीण	32.5	12.8
		नगरीय	26.5	7.1
18.	पंजाब	योग	28.5	8.4
		ग्रामीण	28.9	8.8
		नगरीय	27.5	7.2

1	2	3	4	5
19.	राजस्थान	योग	33.3	14.0
		ग्रामीण	34.4	15.2
		नगरीय	28.4	8.7
20.	सिक्किम	योग	33.8	10.1
		ग्रामीण	35.8	11.1
		नगरीय	25.0	5.5
21.	तमिलनाडु	योग	22.7	9.3
		ग्रामीण	23.4	10.3
		नगरीय	21.4	7.3
22.	त्रिपुरा	योग	26.6	8.1
		ग्रामीण	27.5	8.5
		नगरीय	17.8	4.6
23.	उत्तर प्रदेश	योग	37.1	13.2
		ग्रामीण	38.2	14.1
		नगरीय	32.1	9.4
24.	पश्चिम बंगाल	योग	28.4	8.4
		ग्रामीण	32.1	9.4
		नगरीय	19.1	5.9
	संघ राज्यक्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	योग	22.1	6.4
		ग्रामीण	23.4	7.1
		नगरीय	18.1	4.2
2.	चण्डीगढ़	योग	22.4	4.7
		ग्रामीण	26.0	6.0
		नगरीय	22.1	4.6
3.	दादरा और नागर हवेली	ग्रामीण	38.3	9.8
4.	दमन और दीव	योग	28.1	8.9
		ग्रामीण	35.7	10.5
		नगरीय	16.7	6.6

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली	योग	28.5	7.6
		ग्रामीण	30.6	8.3
		नगरीय	28.4	7.6
6.	लक्षद्वीप	योग	25.5	6.6
		ग्रामीण	25.8	6.2
		नगरीय	25.2	7.0
7.	पाण्डिचेरी	योग	22.5	7.9
		ग्रामीण	24.0	8.7
		नगरीय	21.4	7.2
	भारत	योग	31.5	11.0
		ग्रामीण	33.1	12.0
		नगरीय	26.3	7.7

स्रोत : सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली

विवरण-3 : अनुमानित मृत्यु दर - 1988

राज्य	ग्रामीण	नगरीय	यौगिक
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	89	63	83
असम	101	66	99
बिहार	99	70	97
गुजरात	101	64	90
हरियाणा	94	72	90
हिमाचल प्रदेश	82	41	80
जम्मू और कश्मीर	75	53	71
कर्नाटक	83	46	74
केरल	29	22	28
मध्य प्रदेश	128	83	121
महाराष्ट्र	76	50	68
उड़ीसा	126	69	122
पंजाब	63	59	62
राजस्थान	109	66	103
तमिलनाडु	84	51	74
उत्तर प्रदेश	132	81	124
पश्चिम बंगाल	76	43	69
भारत	102	62	94

स्रोत : सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली

..../-30

विवरण-4 : मुख्य कारण समूह के अनुसार मृत्युओं का प्रतिशत वितरण - 1984-1988

रैंक	मुख्य कारण समूह	1984	1985	1986	1987	1988
1	2	3	4	5	6	7
1.	बुढ़ापा	22.3	21.5	22.4	23.0	24.7
2.	खांसी-श्वसन क्रिया के विकार	20.3	20.8	19.7	20.0	20.3
3.	रक्त-वह-तंत्र के रोग	9.6	9.9	9.0	9.5	10.0
4.	बाल्यावस्था की विशिष्ट बीमारियां	11.0	10.3	10.5	10.2	9.8
5.	अन्य लक्षणों के रोग	7.8	8.9	8.6	9.3	8.8
6.	ज्वर - बुखार	10.3	9.3	10.4	9.4	8.0
7.	पाचन क्रिया के विकार	7.4	7.6	7.7	7.2	6.5
8.	दुर्घटनाएं और चोट	6.0	6.3	7.0	6.5	6.5
9.	केन्द्रीय नाड़ी तंत्र के विकार	3.8	4.2	3.7	3.9	4.6
10.	शिशु जन्म और गर्भावस्था (मातृक मृत्युएं)	1.0	1.2	1.0	1.0	0.8
11.	अन्य	0.5	-	-	-	-
	समस्त कारण	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

विवरण-5 : राष्ट्रीय स्तर पर आयु समूह के अनुसार दस मुख्य बीमारियों से कारण हुई मृत्युओं का प्रतिशत - 1983

क्र० सं०	बीमारियां	आयु समूह वर्षों में								
		एक वर्ष से कम	01-04	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55+	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस	1.5	1.1	0.3	0.7	1.8	[illegible]	12.3	78.0	100.0
2.	दिल का दौरा	0.2	0.6	1.0	[illegible]	6.2	12.1	17.4	59.0	100.0
3.	फेफड़ों का क्षय रोग	0.5	2.0	2.9	8.3	15.3	17.7	20.2	33.1	100.0
4.	निमोनिया	42.3	31.7	9.3	2.6	1.9	1.6	1.6	9.0	100.0
5.	एनीमिया	14.8	19.2	4.6	5.0	4.2	5.9	7.6	38.7	100.0
6.	कैंसर	0.2	0.9	2.1	3.8	7.2	12.0	18.8	55.0	100.0
7.	गैस्ट्रो.एन्ट्राइटिस	8.2	29.9	14.3	5.7	3.3	6.0	5.5	27.1	100.0
8.	टाइफाइड	6.7	26.1	17.2	8.5	6.9	6.0	6.4	22.2	100.0
9.	पेट का सख्त दर्द	4.8	9.6	8.4	13.4	6.6	11.4	13.2	32.6	100.0
10.	पेचिश	7.5	31.2	14.3	5.9	3.7	1.9	6.2	29.3	100.0
	समस्त बीमारियां	15.0	7.5	4.6	4.8	5.1	5.5	7.0	50.5	100.0

5. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और विभिन्न जनगणना कार्य निदेशालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य के लिए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार की अध्यक्षता में 27-28 मार्च, 1990 को उदयपुर में उत्तरी क्षेत्र के जनगणना कार्यालयों के कर्मचारियों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तरी क्षेत्र के जनगणना कार्य निदेशालयों के हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित कार्य की समीक्षा की गई। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में आने वाली वास्तविक कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि में जनगणना कार्य निदेशालय, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा तथा संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़, दिल्ली और दमन और दीव में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन राजभाषा विभाग ने जून, 1990 में किया। निरीक्षण रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उप निदेशक जनगणना कार्य श्री के0के0 रस्तोगी और सहायक निदेशक जनगणना कार्य जे0एस0 रस्तोगी को वर्ष 1989-90 की अवधि में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने पर प्रत्येक को 500/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। सर्वश्री [illegible] लाल, संगणक, दीवान चन्द, सहायक संकलनकर्त्ता और [illegible] उच्च श्रेणी लिपिक को तीन-तीन सौ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए और सर्वश्री [illegible] शर्मा, सी0एल0 खुराना, अरुण देव तथा श्रीमती रमा अरोड़ा को वर्ष 1989-90 की अवधि में हिन्दी में अधिक काम करने के लिए प्रत्येक को 150/- रुपये नकद पुरस्कार दिए गए।

नागालैण्ड

जनगणना कार्य निदेशालय, नागालैण्ड के 8 कर्मचारियों ने हिन्दी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उनमें से तीन कर्मचारियों ने विशेष योग्यता प्राप्त की।

6. सम्मेलन, कार्यशालाएं और भाषण

डा० एस०एस० श्रीवास्तव, संयुक्त महारजिस्ट्रार (जीवनांक)

- बीमारियों के वर्गीकरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के केन्द्रों के सहयोग से 27 मार्च से 2 अप्रैल, 1990 तक लंदन में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
- स्वास्थ्य सांख्यिकी पर अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति दिल्ली व मद्रास चेप्टर की नई दिल्ली में 22 जून, 1990 को आयोजित बैठक में भाग लिया ।

डा० बी०के० राय, उपमहारजिस्ट्रार (मानचित्र)

- इंडियन नेशनल कारटोग्राफिक एसोसियशन के दिल्ली चेप्टर द्वारा आयोजित विशेष सत्र में 16 मार्च, 90 को "कोन्टेमपरेरी ट्रेंड इन कार्टोग्राफी" पर भाषण दिया ।
- 4 जून, 1990 को विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा जनगणना के आंकड़ों के मानचित्रों पर नेशनल रिसोर्सिज द्वारा मैनेजमैंट सिस्टमस के वैज्ञानिक

डा० बी०पी० महापात्र, उपमहारजिस्ट्रार (भाषा)

- हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा 3-6 नवम्बर, 89 को हैदराबाद में आयोजित एस०के० चटर्जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया ।
- बेहरामपुर विश्वविद्यालय द्वारा 16 दिसम्बर, 89 को बेहरामपुर में आयोजित नीलकन्ठ सम्मेलन में "फिलास्फी आफ उडीया इटमोलोजी" पर मुख्य भाषण दिया ।
- उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के सैन्टर आफ एडवांसड स्टडी इन लिंग्विस्टिक में 23 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 89 तक छः लैक्चर दिये गए । डा० महापात्र ने विश्वविद्यालय का दौरा किया ।

7. नियुक्तियां, स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति आदि

क) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

1. श्री श्याम जोशी, उप निदेशक और [illegible] उप निदेशक [illegible] कार्य, जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार के [illegible] में लिया गया था, को तारीख 30 मार्च, 1990 से स्थानान्तरण के आधार पर उप निदेशक जनगणना कार्य नियुक्त किया गया।

2. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रोग्राम) श्री आर०एल० पुरी को प्रोन्नति द्वारा नियमित आधार पर उसी कार्यालय में उप निदेशक (प्रोग्राम) के पद पर नियुक्त किया गया।

3. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ तकनीकी सहायक [illegible] श्री ब्रह्मदत्त को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 12 मार्च, 1990 से उसी कार्यालय में मुद्रण अधिकारी नियुक्त किया गया।

4. श्री आर०के० भाटिया, उप निदेशक, जनगणना कार्य ने भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में 12 मार्च, 90 से कार्यभार सम्भाला।

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए :-

अधिकारी का नाम	धारित पद	सेवानिवृत्ति की तारीख
श्री [illegible] कटारिया	सहायक निदेशक जनगणना कार्य	31 जनवरी, 1990
श्री टी०सी० वंजानी	- वही -	31 जनवरी, 1990
डा० ओ०पी० सिंह	उप महारजिस्ट्रार	31 जनवरी, 1990
श्री ओ०पी० शर्मा	उप निदेशक, जनगणना कार्य	31 मार्च, 1990

..../-35

ख) जनगणना कार्य निदेशालय

असम

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एन०सी० दत्ता ने तारीख 9 फरवरी, 90 से निदेशक जनगणना कार्य का कार्यभार सम्भाला ।

गोवा

श्री एस० राजेन्द्रन ने तारीख 26 फरवरी, 90 से निदेशक जनगणना कार्य, गोवा के पद का कार्यभार सम्भाला ।

गुजरात

जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात में सहायक निदेशक जनगणना कार्य(तकनीकी) श्री [illegible] पटेल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर तारीख 30 अप्रैल, 90 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

हरियाणा

जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा में सहायक निदेशक जनगणना कार्य श्री एम०आर० डाहरी तारीख 31 मई, 90 के अपराह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए ।

हिमाचल प्रदेश

जनगणना कार्य निदेशक, हिमाचल प्रदेश में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) श्री [illegible] पाब्ला को उप निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर प्रोन्नत किया गया ।

कर्नाटक

जनगणना कार्य निदेशालय, कर्नाटक में सहायक निदेशक जनगणना कार्य(तकनीकी) श्री आर०वी० रेवाशेट्टी को तारीख 8 जून, 90 से उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर प्रोन्नत किया गया ।

केरल

केरल राज्य सरकार में उप समाहर्त्ता(आवास) श्री पी०सी० जौन को उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त किया गया और उन्हें क्षेत्रीय उप निदेशक जनगणना कार्य, [illegible] में तैनात किया गया ।

महाराष्ट्र

जनगणना कार्य निदेशालय, महाराष्ट्र, बम्बई में सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत श्री के0के0 अकोलकर, सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप, तारीख 30 जून, 1990 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए ।

मिज़ोरम

मिज़ोरम सिविल सेवा के श्री एम0 डोनगलिपना ने तारीख 1 जून, 1990 के पूर्वाह्न से जनगणना कार्य निदेशक, मणिपुर के पद का कार्यभार सम्भाला ।

पंजाब

श्री आर0के0 भाटिया के स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप श्री अजीत सिंह, उप निदेशक जनगणना कार्य ने तारीख 9 मार्च, 1990 से जनगणना कार्य निदेशालय, पंजाब में कार्यभार सम्भाला ।

उत्तर प्रदेश

श्री विजेन्द्र पाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ0प्र0 76) ने तारीख 23 जनवरी, 1990 से जनगणना कार्य निदेशक, उत्तर प्रदेश के पद का कार्यभार सम्भाला ।

पश्चिम बंगाल

अरूणाचल प्रदेश से स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप श्री ए0 मिस्थ, उप निदेशक जनगणना कार्य ने तारीख 9 अप्रैल, 1990 से जनगणना कार्य निदेशालय, पश्चिम बंगाल में कार्यभार सम्भाला ।

श्री डी0पी0 चटर्जी, सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) को तारीख 29 मई, 1990 से नियमित आधार पर उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर पदोन्नत किया गया ।

महाराष्ट्र

डा0 पी0बी0 अभ्यं ने डा0 एन0एच0 मिश्र के स्थान पर उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (एच0आई0 एण्ड वी0एस0) और उप मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु महाराष्ट्र के पद का कार्यभार सम्भाला ।

उड़ीसा

डा0 बी0एन0 मिश्रा ने डा0 पी0पी0 पुरोहित के स्थान पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु, उड़ीसा के पद का कार्यभार सम्भाला ।

तमिलनाडु

डा0 रामलिंगेश्वरराव ने डा0 ई0एस0 राघवेन्द्र के स्थान पर निदेशक जन स्वास्थ्य और निवारक औषधि और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु, तमिलनाडु के पद का कार्यभार सम्भाला ।

पाण्डिचेरी

श्री हेमचन्द्रन, पाण्डिचेरी सिविल सेवा, ने तारीख 15 जून, 1990 को निदेशक स्थानीय प्रशासन और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के पद का कार्यभार सम्भाला ।

निधन सूचना

खेद के साथ सूचित किया जाता है कि जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार में चपरासी के पद पर कार्यरत श्री एन0 अनुल हक का तारीख 20 जून, 1990 को निधन हो गया । शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हम हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं ।

चण्डीगढ़

श्री एस०पी० ग्रोवर के स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप श्री एच०एल० कल्ला, उप निदेशक जनगणना कार्य ने जनगणना कार्य निदेशालय, संघ राज्यक्षेत्र, चण्डीगढ़ का कार्यभार सम्भाल लिया ।

ग. मुख्य रजिस्ट्रारों के कार्यालय

असम

डा० ए० अहमद ने डा० ए०सी० पटोवेरी के स्थान पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार, असम के पद का कार्यभार सम्भाला ।

हरियाणा

डा० के०एल० भाटिया ने डा०(श्रीमती) निर्मल भाटिया के स्थान पर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु, हरियाणा के पद का कार्यभार सम्भाला ।

जम्मू और कश्मीर

डा० बी०ए० कादरी ने डा० जी०एम० धर के स्थान पर निदेशक परिवार [illegible] और प्रतिरक्षण और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु, जम्मू और कश्मीर के पद का कार्यभार सम्भाला ।

मेघालय

डा० (कुमारी) देबोराह राय नें डा० [illegible] के स्थान पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (एम० [illegible] एण्ड एफ० डब्ल्यू० इत्यादि) और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु मेघालय के पद का कार्यभार सम्भाला ।

[illegible]

श्री लालमन्[illegible] ने श्री [illegible] के स्थान पर मुख्य सचिव और मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु मिज़ोरम के पद का कार्यभार सम्भाला ।

..../-38

8. प्रकाशन

क) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

- खण्ड XXIII सं0 2 - सैम्पल रजिस्ट्रीकरण बुलेटिन, दिसम्बर, 1989
- वर्ष 1987 के लिए सैम्पल रजिस्ट्रीकरण योजना पर रिपोर्ट ।
- वर्ष 1985 के लिए "भारत की जन्म-मृत्यु सांख्यिकी" पर रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-1 भारत-भाग XII - जनगणना मानचित्रावली (राष्ट्रीय खण्ड) ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-1 भारत-भाग X क खण्ड-1 कस्बा निदेशिका ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-5-गुजरात, भाग-XII-जनगणना मानचित्रावली ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-24 -अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, भाग XII -जनगणना मानचित्रावली ।
- भारत की जनगणना, श्रृंखला-1, खण्ड XXV अरुणाचल प्रदेश, प्रासंगिक लेख भारत का क्षेत्रीय विभाजन- एक मानचित्रीय विश्लेषण ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-1, खण्ड-VIII जम्मू और कश्मीर, प्रासंगिक लेख, भारत का क्षेत्रीय विभाजन-- एक मानचित्रीय विश्लेषण ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-1, खण्ड-XIII, मणिपुर, प्रासंगिक लेख, भारत का क्षेत्रीय विभाजन - एक मानचित्रीय विश्लेषण ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-1, खण्ड XXIV, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह - प्रासंगिक लेख, भारत का क्षेत्रीय विभाग - एक मानचित्रीय विश्लेषण ।
- भारत की जनगणना, 1981, श्रृंखला-1, खण्ड XXX लक्षद्वीप, प्रासंगिक लेख, भारत का क्षेत्रीय विभाजन - एक मानचित्रीय विश्लेषण ।

ख. जनगणना कार्य निदेशालय

- भारत की जनगणना, 1981 श्रृंखला-1, खण्ड-1, आन्ध्र प्रदेश भाग X ख- चिराला पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट ।

:

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-1, खण्ड-1, आन्ध्र प्रदेश X -ग -[illegible] पर ग्राम अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-1, खण्ड-1, आन्ध्र प्रदेश, भाग X -ग, लख्खागुडा पर ग्राम अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-2, खण्ड-2, अरुणाचल प्रदेश, भाग X ग, रूपा पर ग्राम अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना रिपोर्ट 1981, श्रृंखला-25, खण्ड XXV - अरुणाचल प्रदेश, भाग X ख - तेजू पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-2, खण्ड-II, आन्ध्र प्रदेश, भाग X -ङ. हैदराबाद शहर पर विशेष अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-25, खण्ड XXV, अरुणाचल प्रदेश, भाग X घ- बांछोस की लकड़ी दस्तकारी पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-III, खण्ड-III, असम, भाग X ख - बारापेटा पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981 श्रृंखला-4, खण्ड IV, बिहार, भाग X घ - ओबरा ग्राम की कालीन शिल्प पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-4, खण्ड IV, बिहार, भाग X ख - धनबाद पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-5, खण्ड[illegible] , गोवा, दमन और दीव भाग X ख - मापूसा पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-5, खण्ड V , गुजरात, भाग X ग - लावरिया पर ग्राम पुर्नअध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-5, खण्ड V , गुजरात, भाग X घ - बांस के कार्य पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-8, खण्ड VIII, जम्मू और कश्मीर, भाग X ख - उधमपुर पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-8, खण्ड VIII, जम्मू और कश्मीर, भाग X ग - जोहालदरा पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

....../-41

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-8, खण्ड-VIII, जम्मू और कश्मीर, भाग X ग - बुधमहादेव पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-8, खण्ड-IX, कर्नाटक, भाग X ग - अन्नूर पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-9, खण्ड IX, कर्नाटक, भाग X घ - इलकाल सारी पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-9, भाग X ग, कर्नाटक, अरलागेलीज पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-9, भाग X ग, कर्नाटक, थोरहोना पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-10, खण्ड X, केरल, भाग X ख - मुवत्तपुजा पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 11, खण्ड XI, मध्य प्रदेश, भाग X ग - डिलतुरा पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-12, खण्ड XII, महाराष्ट्र, भाग X ख - जवाहर पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-12, खण्ड XIV, महाराष्ट्र, भाग X ग - अगरशीर पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-14, खण्ड XIV, मेघालय, भाग X ग - तूरा पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-14, खण्ड XIV, मेघालय, भाग X ग - रैसूबकरापाड़ा पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-15, खण्ड XV, मिज़ोरम, भाग X ग - लोअर पनजवाला ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-17, खण्ड XVII, उड़ीसा, भाग X ख - केलागुन्ठा पर कस्बा सर्वेक्षण रिपोर्ट।

..../-42

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 17, खण्ड-XVII, उड़ीसा, भाग X- ख - भरे वेनीटिप्पा पर कस्बा सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 17, खण्ड-XVII, उड़ीसा, भाग X- ग- लाखरिश पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 17. खण्ड-XVII, उड़ीसा, भाग ग - बाक्लगडिया पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 16, खण्ड-XVI, उड़ीसा, भाग X ग - पेन्ठाबाक्ल पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1971, श्रृंखला 17, खण्ड-XVII, राजस्थान, भाग VI ख- नाथद्वारा पर कस्बा सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1971, श्रृंखला 17, खण्ड-XVII, राजस्थान, भाग VI ग- नांगल सूसवातन पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 18, खण्ड-XVIII, राजस्थान, भाग X घ- जुट्ट-पट्टी पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 19, खण्ड-XIX, पंजाब, भाग X घ - पंजादरी पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 19, खण्ड-XIX, पंजाब, भाग X घ - लकड़ी पर प्लास्टिक के जड़ाऊ काम पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 22, खण्ड-XXII, तमिलनाडु, भाग X ग- हैलीमयूर पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 22, खण्ड-XXII, तमिलनाडु, भाग X ग- विश्वान्नूर पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

..../-43

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 24, खण्ड XXIV, उत्तर प्रदेश, भाग X ग- नैपानू पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 24, खण्ड-XXIV, उत्तर प्रदेश, भाग X ग- दरकोट पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 24, खण्ड XXIV, उत्तर प्रदेश, भाग X ग- राजेदेरवा थाड़ पर ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 23, खण्ड XXIII, पश्चिम बंगाल, भाग X ख - उत्तर प्रदेश, कोटरंग पर कस्बा सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 23, खण्ड XXIII, पश्चिम बंगाल, भाग X घ - मसलैंड मैट पर हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 27, खण्ड XXVII, दादरा और नागर हवेली, भाग X ख -- सिलवासा पर कस्बा अध्ययन रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 28, खण्ड XXVIII, दिल्ली, भाग X ग- सिंधु पर सामाजिक आर्थिक पुनः-सर्वेक्षण रिपोर्ट ।

- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 28, खण्ड XXVIII, दिल्ली, भाग X ग- पोर्ट्रेट आफ पोपुलेशन ।

ग-राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

- वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की कार्यकरण पर रिपोर्ट - आन्ध्र प्रदेश ।

- भारत की जनगणना, श्रृंखला 3, असम, जिला जनगणना पुस्तिका, भाग XIII-क नलबाड़ी जिले की ग्राम और कस्बा निदेशिका ।

- वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की कार्यकरण पर रिपोर्ट - केरल ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 10, केरल, जिला जनगणना पुस्तिका भाग XIII-क और ख – कोझिकोड जिले की ग्राम और कस्बा निदेशिका और ग्राम तथा कस्बेवार प्राथमिक जनगणना सार ।

स्वास्थ्य सेवाएं पत्रिका, खण्ड 24, संख्या 5 – 1989 राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम ।

वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट – मध्य प्रदेश ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 11, मध्य प्रदेश, जिला जनगणना हस्त-पुस्तिका, भाग XIII, भिन्ड जिले की ग्राम और कस्बा निदेशिका ।

भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 11, मध्य प्रदेश, जिला जनगणना हस्त-पुस्तिका, भाग XIIIख, भिंड जिले का ग्राम और कस्बावार प्राथमिक जनगणना सार ।

मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण (ग्रामीण), 1987 पर रिपोर्ट – मध्य प्रदेश ।

वर्ष 1989 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट – मणिपुर ।

वर्ष 1986 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट – मिजोरम ।

भारत की जनगणना, श्रृंखला 17, उड़ीसा, जिला जनगणना पुस्तिका भाग XIIIख, गंजम जिले का ग्राम और कस्बेवार प्राथमिक जनगणना सार ।

वर्ष 1989 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट – पंजाब ।

वर्ष 1988 के लिए जन्म-मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट – राजस्थान ।

- वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट - त्रिपुरा ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 22, उत्तर प्रदेश, जिला जनगणना पुस्तिका, भाग XIIIक, अल्मोड़ा जिले की ग्राम और कस्बा निदेशिका ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 22, उत्तरपप्रदेश, जिला जनगणना पुस्तिका, भाग XIIIक, लखनऊ जिले की ग्राम और कस्बा निदेशिका ।
- भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला 22, उत्तर प्रदेश, जिला जनगणना पुस्तिका, भागXIII ख, लखनऊ जिले का ग्राम और कस्बेवार प्राथमिक जनगणना सार ।
- वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट - पश्चिम बंगाल ।
- वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट - चण्डीगढ़ ।
- वर्ष 1988 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट - दिल्ली ।
- वर्ष 1986 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट - लक्षद्वीप ।
- वर्ष 1986 के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर रिपोर्ट - पाण्डिचेरी ।

हिन्दी रूपान्तर

कृष्णानन्द पन्त
उप निदेशक

चैतन्य चतुर्वेदी
सहायक निदेशक

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

रमेश चन्द्र बंसल
श्रीमती ऊषा मल्होत्रा
किशन चन्द

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

सुभाष चन्द्र शर्मा
प्रीतम दास

आशुलिपिक

श्रीमती अनीता जेतली
श्रीमती रीता माथुर
राज सिंह

हिन्दी टाइपिस्ट

प्रेम सिंह कुम्भरवार

xxxxxx
xxx
x

इस प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी

अमूल्य रत्न नन्द
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

एस०एस० श्रीवास्तव
भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार

आर०के० भाटिया
उप निदेशक, जनगणना कार्य

कर्मचारी

श्री जी०के० शर्मा
अन्वेषक

श्रीमती एस०पी० बधवार
सांख्यिकी सहायक

कु० तरूणा पवन
सहायक संकलन कर्ता

श्रीमती एस० मित्तल
संगणक

कृष्ण के० गोस्वामी
आशुलिपिक ग्रेड"डी"

TO OUR READERS

Newsletter is a quarterly publication of the Registrar General, India and is released in January, April, July and October every year.

The views expressed in analytical notes are of the authors and not necessarily of the Registrar General's Office or of the Government of India.

Enquiries or suggestions may be addressed to :

Joint Registrar General, India
Office of the Registrar General, India
Vital Statistics Division,
Ministry of Home Affairs,
West Block No.1, R.K.Puram,
NEW DELHI - 110066 (INDIA)

CONTENTS

FROM THE REGISTRAR GENERAL'S DESK

The first phase of 1991 Census operations - Houselisting - started in the States/Union Territories of Assam, Bihar, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Lakshadweep and Mizoram in April 1990 and will be completed in the entire country in a phased manner by September 1990, for which a time bound calendar has been drawn up.

The first regional conference of Chief Registrars of Births and Deaths was held at Hyderabad during April 24-25, 1990.

Report on Survey of Causes of Deaths (Rural) for the year 1988 has been released. The findings contained in the report are based on a survey conducted continuously by para-medical personnel in a sample of Primary Health Centre Headquarter villages using "lay diagnosis reporting" method.

Based on Sample Registration System, expectation of life at birth for 1981-85 has been worked out for major States. The results of the study have been brought out in a separate publication.

NEW DELHI
DATED : OCTOBER 1, 1990

I CENSUS OF INDIA

The time schedule for 1991 Census has been finalised. According to the time plan, the enumeration period for the country as a whole except for the difficult and the inaccessible areas where different dates have been set for enumeration, has been fixed from 9th February to 28th February, 1991 with reference point/time as sunrise of 1st March, 1991.

Necessary preparations for launching the first phase of 1991 Census - Houselisting Operations have been completed. Preparations are also underway for main 1991 Census Operations. Necessary instructions to enumerators for filling up Individual Slip and the Household Schedule have been finalised and sent for printing. A meeting of the Advisory Committee on Technical Issues connected with 1991 Census was convened on Feb. 23, 1990. The Registrar General, India finalised sampling design to be adopted for the processing of Houselist and Individual Slip data in consultation with the Advisory Committee.

The second Data Users' Conference was organised on March 2-3, 1990 for finalising the draft Tabulation Plan devised for classifying and tabulating data which are to be collected in 1991 Census.

The Registrar General, India organised the second Conference of Directors of Census Operations during February 5-8, 1990 for reviewing the arrangements made for Houselisting operations in various States and Union Territories. The conference provided an opportunity for briefing the Directors of Census Operations on instructions to be issued to enumerators and supervisors for filling up the Census schedules in the main enumeration in 1991.

The Office of the Registrar General, India initiated several publicity measures for creating public awareness and for building up an atmosphere of response to the Houselisting operations and also for main Census count in 1991. A committee has been constituted for conducting necessary publicity under the Chairmanship of the Joint Registrar General, India. The Committee is represented by the Directorate of Audio and Visual Publicity, Press Information Bureau, All India Radio, Doordarshan and the Directorate of Field Publicity. In addition, the Committee is also represented by nominee of the Department of Woman and Child Development, Ministry of Human Resources Development. A special programme has been chalked out to mount publicity measures through advertisements in newspapers, T.V. Spots, quickies and radio spots. Arrangements were made to distribute publicity folders through field publicity units throughout the country in connection with the Houselisting. Besides, the Deputy Registrar General (Census & Tabulation) gave an interview through All India Radio on 30th March, 1990.

The programme for conducting Houselisting operations has been finalised for the entire country. According to the calendar, the Houselisting would be conducted as per schedule given below :

April - May, 1990	Assam, Bihar, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland and Orissa and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Lakshadweep and Mizoram
May - June, 1990	Sikkim, Tripura and Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.

contd ..4/-

June - July, 1990	Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, and Union Territory of Daman & Diu and Pondicherry.
July - August, 1990	Manipur and Tamil Nadu
August - Sept., 1990	Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Union Territory of Delhi.

The progress in field work for different states during the quarter under review was reported as follows :

Bihar

Preparation and scrutiny of Charge Registers has been completed.

Appointments of Census Officers upto the level of charge Officers have been completed. The work relating to the appointment of enumerators and Supervisors was nearing completion. All the district Census Officers were imparted training in the conduct of Houselisting Operations and Economic Census. Similar training was also imparted to the Census Officers of 73 Sub-divisions out of a total of 82 in the State. The first round of training programme meant for Charge Officers was in progress during the quarter under review. In addition, a two day training workshop for District Census Officers for conducting houselisting and economic survey was inaugurated by Shri R.C. Arora, Land Reforms Commissioner, Bihar.

Goa

The field work for Houselisting commenced from 2nd April, 1990.

Kerala

The training of Census Officers for the first phase of 1991 Census Operations-'Houselisting' was completed in March, 1990. The Governor and the Chief Minister of Kerala gave special messages to the public on these operations through Doordarshan on 20th and 31...

messages were intended to prompt public response for eliciting information on various items under 1991 Census programme.

Nagaland

The Directorate of Census operations, Nagaland geared up their preparations for Houselisting operations in Nagaland. It convened its first State level conference in connection with the conduct of 1991 Census on 17th February, 1990 at Zonal Council Hall, Kohima. The Directorate also completed a training programme for Charge Officers at Deputy Commissioner's head-quarters for Houselisting operations.

The Directorate also finalised the work relating to the appointment of enumerators and supervisors for conducting Houselisting.

Tamil Nadu

The appointment of Census Officers for District, taluk and municipal levels has been notified by the Tamil Nadu Government.

The first district level training programme in connection with the Houselisting operations at district headquarters of 15 districts was organised by the Census Directorate. Senior officials of the Directorate imparted training to the participating officers. The Directorate also initiated steps for collecting relevant information for the preparation of District Census Handbooks. Information for Village and Town Directory has started pouring in the Directorate from concerned agencies/departments.

Uttar Pradesh

A publicity campaign for creating awareness among public in connection with 1991 census was launched by the Directorate

of Census Operations, Uttar Pradesh. Shri Chandan Gopal, former Director of Census Operations, Uttar Pradesh, gave a talk on Census, on Lucknow Doordarshan on 2.1.90. A talk on "Preparations for 1991 Census and Role of Housewives" by Shri R.K. Singh, Dy. D.C.O. was also telecast from Lucknow Doordarshan on 28.3.1990 under the featured programme "Ghar ki Duniya".

First State level training programme for District and City Census Officers of Uttar Pradesh was organised during February 19-21, 1990. Shri R.K. Bhargava, Chief Secretary, Uttar Pradesh and Shri A.R. Nanda, Registrar General and Census Commissioner, India addressed the participants.

II SAMPLE SURVEYS & STUDIES

(i) Sample Registration System

On the recommendations of the Technical Committee on Sample Registration System, additional items of information viz. age at effective marriage, interval between previous and current live birth and order of live birth have been included for canvassing in the field w.e.f. the half yearly survey for the period January-June 90. Accordingly Forms 3, 9, 9A and 10 have been suitably revised and a new form 13 has also been introduced.

Orientation programmes in regard to canvassing additional items in SRS were organised at 5 selected zonal cities namely, Chandigarh, Bhubaneshwar, Trivandrum, Panaji and Guwahati. The officials connected with the system participated in the programme.

Contd...7/-

(ii) Survey of Causes of Death (Rural)

The Office of the Registrar General, India released the Annual report on Survey of Causes of Death (Rural) for the year 1988. The Survey was initiated in sixties in pursuance to certain recommendations made in the Conference on improvement of Vital Statistics in 196[illegible] and was initially called "Model Registration Scheme". The scheme was renamed in 1982 as "Survey of Causes of Death (Rural)".

The Survey is conducted continuously in a sample of Primary Health Centre headquarter villages. It adopts the technique of "Lay diagnosis reporting" and employs para-medical personnel of the Primary Health Centres. It aims at bridging an important data-gap in statistics of causes of deaths for rural areas lacking facilities for medical certification of causes of death due to paucity of medical personnel.

The 1988 report provides a comparative profile on causes of death during the past 5 years. The survey revealed that among the major cause-groups, "Senility" and "Coughs" continue to hold first and second ranks respectively. Deaths on account of major cause-group 'Causes peculiar to Infancy' declined from 11.0% in 1984 to 9.8% in 1988. The report also contains an analysis of deaths due to selected diseases by age groups for the year 1988.

III REGISTRATION ACTIVITIES

Regional Conferences of Chief Registrars of Births & Deaths

The third round of Regional Conferences of Chief Registrars of Births and Deaths was rolled with the holding of the first conference in this series at Hyderabad, during

April 24-25, 1990. The Conference, which was hosted by the Chief Registrar of Births and Deaths, Andhra Pradesh, was attended by the Chief Registrars of the States/Union Territories of the Southern region. However some other states were also invited to participate in the Conference with a view to acquainting them with prevalent practices, problems and attempted solutions pertaining to matters of civil registration in the southern region. Besides, the Registrars of big municipal corporations with typical experiences in civil registration practices peculiar to the areas with metropolitan characteristics also participated. The Corporations represented the cities of Hyderabad, Vishakhapatnam, Bangalore, Mysore, Cochin, Trivandrum, Madras Coimbatore, Bhopal, Indore, Bombay, Pune, Amritsar and Ludhiana.

The deliberations of the Conference were held in the Conference Hall provided by the National Institute of Nutrition, Hyderabad.

The Conference was presided over by Dr. G.V.S. Nagabhushana Rao, Chief Registrar of Births & Deaths and Director, Health & Family Welfare, Andhra Pradesh. Dr. M. Mohan Ram, Director of National Institute of Nutrition, Hyderabad delivered the welcome address, while Dr. S.S. Srivastava, Joint Registrar General, India (Vital Statistics), in the Office of the Registrar General, India, New Delhi gave the inaugural address.

In his presidential address, Dr. Nagabhushana Rao observed that despite the central enactment of the Registration of Births & Deaths about 20 years back, the civil registration system has not been able to achieve the desired level of efficiency due to variety of reasons.

While attempts were being made for quite sometime for improving the system, the financial constraints presented the main hurdle in bringing on improvement in the civil registration system. In the opinion of Dr. Rao it would be quite difficult to bring an improvement in the system until the practice of allocating shoe string budget is replaced by the reasonably liberalised funds considered essential for good running of the system.

Dr. M. Mohan Ram, while welcoming the participants, opined that data thrown up by the civil registration system provides one of the important indications in determining the health status of the community in respective areas which in turn enables the nutritionists to chalk out proper nutrition and other health programmes. The nutritionists thus, were on the look out for reliable data on civil registration for planning and purposeful implementation of the nutrition and health programmes at community level.

Dr. S.S. Srivastava, Joint Registrar General (Vital Statistics), emphasised the importance of vital statistics in the context of socio-economic and development planning. He expressed the view that civil registration alone was capable of providing small area statistics relating to population growth and for assessing health and family welfare programmes. Underlining the fact that all-India demographic surveys could not yield civil registration type of data at district level nor was it practicable to commission such surveys repeatedly, he opined that alternatives to civil registration system did not exist. Under the circumstances, civil registration system had to be strengthened at all levels for bringing it up to the desired levels of efficiency and

Contd...2/-

reliability. Dr. Srivastava suggested that among other measures, it was necessary for Chief Registrars to appreciate the need for opening more registration centres so as make them easily accessable to public, toning up of the notifier system, intensification of publicity measures and ensuring effective supervision of registration work. He also drew the attention of the participants for not realising 100 per cent registration of institutional events and suggested that penalty clauses for failure to register event in urban areas could be implemented. Dr. Srivastava concluded his address by expressing the hope that the deliberations of the Conference would result in streamlining and energising the civil registration system.

The following paragraphs give summary of deliberations and recommendations of the conference.

1. There were detailed discussions on the scheme of medical certification of causes of death. It was widely felt that these data were crucial for health planning and all out efforts should be made to make them complete and reliable. In this context, it was recommended that :

(a) a complete coverage of all urban hospitals had become overdue and in the least, all hospitals in cities/towns with 1 lakh must now be brought into the scheme without any further delay.

(b) It was necessary to organise two-tier training programmes (one or two days duration); one for Deans/Assistant Deans and Professors of PSM in medical colleges and the other for medical personnel employed in the hospitals. All ranks of medical personnel need be covered expeditiously. International agencies (e.g. WHO, UNFPA, UNICEF etc.) could perhaps be tapped for meeting the training

expenditure, in case there were difficulties in raising the requisite resources internally.

(c) A module on civil registration and on medical certification should be included in the internship programmes of the MBBS courses.

(d) While it was recognised that medical certification data have to come from civil registration system like in other countries, the scheme cannot pick up without active cooperation of the medical personnel for which it was necessary for the RGI to take up the matter at the highest level in the Central Ministry of Health & Family Welfare.

2. Quite a few references were made during the conference on the need for having a unilinear or monolithic hierarchical system for the registration machinery within any State/UT. This point has come up in previous conferences as well. Following the earlier patterns, it was recognised that the State Governments were statutorily empowered to effect hierarchical changes. It was recommended that the State Governments which are facing problems due to registration functionaries at different levels being drawn from different parent organisations could prepare concrete proposals for revamping the system and get them vetted by the Office of the Registrar General, India. Many delegates particularly felt that the agencies dealing with rural masses should handle registration work and that the police organisations ought not be involved in the peripheral work in rural reas. The State Governments, where such changes are requiredmay like to take the above view points into account and formulate proposals for revamping the system.

3. It was felt that the most important step that could be taken for improving the registration efficiency in rural areas

was to streamline the Notifier system. It was recommended that a suitable mechanism may be evolved for enabling the Registrars to know full identity of every Notifier working in their jurisdiction.

4. Some participants complained about the lack of funds for computerisation of CRS data. During deliberation, it turned out that availability of funds was not the main problems; computerisation of vital records could often be undertaken within the resources of the States or with the help of NIC network. What was required was that a dispassionate assessment of work-load requirements is undertaken in the first instance and this exercise is followed by an assessment of man-power requirements and equipment requirements. After these steps have been completed it will have to be ascertained as to whether sharing of computer facilities with other departments or even with NIC was a possibility. If not, funds may be provided for in the State Plan budgets.

5. Each and every delegate strongly expressed the opinion that all the three sub-sections of Section 13 of the RBD Act, 1969 needed immediate amendments. Since the concurrent reporting periods have been extended to 21 days in most cases, it was desirable to increase the time limit to 30 days provided in section 13(1) to 45 or event 60 days. Likewise and as a consequence of the change in the time limit prescribed in Section 13(1), there was a need for extending the limit in Section 13(2) from one year to three years or even to five years. Finally, it was observed that SDMs were prone to giving orders for delayed registration without verifying the facts, without taking into account the date of birth already used for long periods of time by several applicants and other relevant records. The consensus was that the powers of SDM

ought to be vested either in the Chief Registrar or in the RGI for delayed registration beyond the limit prescribed in Section 13(2). After long deliberations on the subject, it was recognised that the changes could be brought about only by amending the Act. It also transpired that there were many other clauses of the Act which may need amendment. In the light of above, it was recommended that all matters needing changes in various clauses of RBD Act ought to be studied in greater detail and debated in the forthcoming Regional Conferences before a view is taken.

6. Pending amendment of the Act, which is likely to be very time consuming, the Registrar General, India may advise the Chief Registrars and their concerned Secretaries to discuss the problems with their Law Departments to explore possibilities of SDM being advised to give their judgements only after verifying the facts which may be documented in their orders. Recourse to determination of age of the applicant through a medical examination may also be recommended.

7. The representatives from the Bombay Municipal Corporation brought out the problems concerning issuance of certificates to adopted children. According to current practices, the names of parents of adopted children are shown as "unknown", this leads to various social problems and ambiguity in the legal status of the adopted children when they grow up. On the other hand, there are instances when the parentage of the adopted [illegible] changes. Secondly there are cases where children are adopted by institutions rather than by individual parents. It was opined that the question of filling the information relating to names of parent on birth certificates issued in respect of adopted children has to be studied. The Corporation [illegible] also recommended that only one copy of birth or death certificate should be issued as was the case with school leaving or [illegible] certificate.

Contd..14/-

8. Some members expressed the view that some of the returns were extremely voluminous and may be reduced or even discontinued particularly much of the data being collected in forms 15(a), 15(b) and 15(c) did not seem to be necessary. In fact the Chief Registrar of Karnataka stated that the Office of the Registrar General, India had already permitted him to discontinue use of the above three forms vide his communication No.17-3/88-V3(TD) dated 16.08.1988.

9. At present there was no time limit prescribed for making corrections to entries in birth and death registers by the Registrars under Section 15 of the RBD Act. It was desirable to prescribe such a time limit after studying its legal implications.

10. Some delegates also recommended that concurrent registration could be done at the place of cremation/burial itself.

11. There was also an oblique reference that birth certificate may not be issued without name. The suggestion was that parents should decide upon both female and male names before every delivery, to be assigned to the new born immediately after delivery.

12. It was brought out during deliberations that the monitoring and supervision forms introduced by the former RGI to monitor the work at state, district and tehsil levels had created confusion in as much as the proformae were numbered 1, 1A, 2, 2A and 3 & 3A which were the same as prescribed under the State rules.

13. It was recommended that the annual report on the working of the RBD Act and the annual statistical report should preferably be printed. These reports are also expected to

Contd...15/-

be presented to the respective governments under the State rules.

14. It was felt that for district registrars to have an effective role in improving the registration system, it was of utmost importance to bestow upon him higher responsibilities. District Registrars ought to receive data both from urban and rural areas and have facilities and staff for atleast elementary processing of these data. Although it was recognised that permitting the district registrars to handle the returns will cause delays in preparation of the State level reports, nevertheless unless this was done the district registrars would not be effective in monitoring and supervising the work of registration units in their districts.

Registration Promotion Measures

(i) At National Level

The Office of the Registrar General, India organised its 25th one-week training programme at New Delhi for higher-level officials engaged in civil registration work during April 16-20, 1990. Eleven officers representing the States of Bihar, Goa, Kerala, Mizoram, Maharashtra, Punjab, Rajasthan and West Bengal and the union territory of Daman & Diu participated in the training. A field visit was also arranged as a part of training programme to give the participants a feel of the working of the civil registration system in the union territory of Delhi.

The office of the Registrar General, India has been doing extensive publicity through various media for creating awareness among the public regarding need for registration of births and deaths. Wall hangers, wall posters, cinema

Contd...16/-

slides, advertisements in newspapers/magazines, printing of messages/slogans on postal stationery, telecasting of video spots have been some of the media sources through which publicity has been carried along. Lately, arrangements were made for telecasting 20 seconds' coloured video spot on registration of vital events through 7 Kendras of Doordarshan. A 15 seconds spot on the subject was also broadcast through commercial channels of Akashvani. Besides, a film "Promptness Pays" has been exhibited to public through cinema-houses. A new film "Uphar" has been produced for exhibiton. In addition, two quickies "Apni Suvidha Apne Haath" and "Pate Ki Baat" are in the circuit for being telecast through various Doordarshan Kendras.

(ii) At State Level

Bihar

A State level conference of the officers connected with the economic census was conducted in January-February, 1990. Beisdes discussing the plans and procedures for the economic census, attention of the participants was also focussed on the subject of civil registration. The District Statistical Officers were advised to make special efforts for increasing the extent of coverage of registration of vital events in areas under their charge.

A State level meeting of the Regional Officers connected with the Economic Census was held on 28th May, 1990. The matters related to civil registration were discussed. The District Statistical Officers were again urged to take special interest in civil registration for bringing substantial improvement in registration of vital events.

Contd...17/-

Karnataka

The Chief Registrar of Births and Deaths, Karnataka has taken several steps for toning up the quality and coverage of civil registration in the State. Some of these measures are indicated below :

1) Instructions were issued to the Sub-divisional Asstt. Commissioners (Revenue) and Tehsildars for conducting regular inspection of registers of births and deaths. The Local Registrars (Village Accountants) have been instructed to stay at their Headquarters for facilitating inspection work.

2) With a view to bring about improvements in registration of births and deaths especially in rural areas, the Chief Registrar addressed Deputy Secretaries of Zilla Parisheds on the 7th June, 1990 in a meeting specially convened for this purpose. As a follow up action, Chief Secretaries of Zilla Parishads have been requested to (i) issue instructions to Notifiers (Junior Health Assistants) to render necessary assistance to local Registrars (Village Accountants); (ii) instruct the Medical Officers of Primary Health Centres to review the work of each Notifier (Junior Health Assistant) in the monthly meetings of Primary Health Centres; and (iii) discuss/review the subject of registration of births and deaths in the monthly meetings of Zilla Parishads.

3) District Registrars (Deputy Commissioners) have been requested to issue necessary instructions to lower functionaries for making special efforts to achieve substantial improvement in the registration of vital events.

As a part of publicity drive, wall hangers and cinema slides on registration of births and deaths were distributed for prominent display and exhibition throughout the State.

Haryana

The Chief Registrar of Births and Deaths, Haryana, organised special one-day orientation programmes in the districts of Gurgaon, Sonepat and Karnal. The programmes aimed at giving clarifications on the queries of local registrars in both rural and urban areas. The Police officials, secretaries of municipal/local bodies, Nosologist, Statistical Assistants and Computers participated in the programmes.

Besides above, the Directorate of Health Services, Haryana organised a one-day training programme on 23.5.1990 in Sample Registration System for the officials connected with the implementation of the system in selected sample units in and around Rohtak district. The programme was attended by part-time enumerators, computors-supervisors and Statistical Assistants.

Himachal Pradesh

A notification has been issued in Himachal Pradesh by virture of which the time limit prescribed for getting birth and death registered has been increased from 14 and 7 days respectively to a uniform period of 21 days for both the events. This change has already been affected in a number of other States earlier.

The subject of registration of births and deaths has been included in the developmental schemes being implemented in the State under the aegis of United Nations Fund for Population Activities. As a experiment, the civil registration work would cover the officials of the Health Department in two districts of Bilaspur and Hamirpur.

4) The subject was also discussed in the District Statistical Officers' conference held at Bangalore on 20th June, 1990 with special reference to the publicity measures to be undertaken at district level. District Statistical Officers were requested to make necessary arrangements for distributing wall hangers received from the office of the Registrar General, India and also the handbills conveying the message of births and deaths registration for prompting the public to come forth for registering vital events, both in rural and urban areas.

5) The Chief Registrar has drawn up a programme for two day orientation courses for senior functionaries like Dy. District Registrars, District Health Officers and Family Welfare Officers. The course material has been developed by the office of the Chief Registrar and the training was fixed for 3rd and 6th August, 1990, at Administrative Training Institute, Mysore.

Numerous other steps were taken for promoting civil registration system in the State during the quarter under review. A meeting of the Inter-departmental Coordination Committee on vital statistics was held under the chairmanship of Additional Chief Secretary, Karnataka. It was decided that the working of Civil Registration System would henceforth, form one of the subject matters in the monthly review meetings of the Revenue Officers. The District Registrars of Births and Deaths have been advised to review civil registration work at taluka level in these monthly meetings. Necessary instructions have also been issued to the District Statistical Officers who hold the charge of Additional District Registrars of Births and Deaths for attending Revenue Officers' monthly meetings

Contd..20-/-

convened by the Deputy Commissioner. The meetings, among others things, would critically examine taluka-wise list of villages which had sent 'nil' reports on civil registration during the previous month/months. These meetings would also review the percentage of vital events registered with reference to expected number of vital events for the last 3 months. The Chief Registrar of Births and Deaths, Karnataka proposed to organise a Specialised training programme for senior level officers such as Deputy Commissioners, District Health and Family Welfare Officers, District Surgeons and Municipal Commissioners sometime during May-June, 1990. The programme would cover officers from all revenue divisions.

Kerala

A meeting of Inter-Departmental Committee (IDC) was convened on 21-2-1990 to review the progress of civil registration work in the State. Besides other things, the IDC decided to introduce the scheme for production of birth certificate at the time of first admission to school. This step, it is expected, would help in achieving 100 per cent registration of events of births.

The Chief Registrar of Births and Deaths, Kerala organised a training programme for the District Registrars and also for the Registrars of Municipalities and Municipal Corporations. The training was held at Calicut on 6th March, 1990, at Ernakulum on 9th March, 1990 and at Trivandrum on 15th March, 1990. Dr. O.P. Vig, Deputy Registrar General and Shri K.K. Rastogi, Deputy Director of Census Operations addressed the trainees as Resource Personnel from the Office of the Registrar General, India on the implementation of the RBD Act, 1969 and the Civil Registration System in Kerala.

Contd...21/-

Madhya Pradesh

The Chief Registrar of Births and Deaths, Madhya Pradesh, finalised its annual report on the working of the RBD Act, 1969 for the year 1988. The report has since been submitted to the Government of Madhya Pradesh as per requirement of the Act.

Maharashtra

The Chief Registrar of Births and Deaths launched a special project in June, 1990 for studying the improvement in registration of vital events in the 5 tribal districts of Maharashtra. Under the project, a close watch is being kept for ensuring 100% reporting and recording of vital events occurring in 148 selected tribal villages. The local health workers have been made responsible to look after the work of registration and also submission of monthly report.

The Chief Registrar, Maharashtra also organised a three-day workshop-cum-training programme for key-trainees during third week of March, 1990. Training was provided to the key trainees on the Civil Registration System, Survey on Causes of Death and Medical Certification of Cause of Death. The workshop-cum-training programme was organised at Public Health Institute, Nagpur.

Publicity campaign in Maharashtra was [illegible] by arranging shows of documentary films relating to the registration of births and deaths during January-July, [illegible]. Special care was taken to cover rural areas under this publicity campaign by arranging 348 film shows during May-June, 1990. In all, 1364 shows have been arranged during January-July, 1990.

Manipur

The Chief Registrar of Births and Deaths, Manipur distributed Manipuri wall hanging posters conveying the [illegible]

of registration of vital events to various agencies for wide publicity among general public. These posters, had been supplied by the Office of the Registrar General, India for prompting publicity in the State.

Mizoram

A short training programme on registration of births and deaths under the provisions of the RBD Act, 1969 was organised by the Chief Registrar of Births and Deaths, Mizoram at Chawngte during 24th-25th January, 1990. The Registrars of Births and Deaths covering Chakna District Council area of Mizoram participated in the training.

Punjab

The Chief Registrar of Births and Deaths, Punjab convened a meeting of the State Expert Committee on Births and Deaths on 27th March, 1990. The participants represented the Offices of the Director of Local Bodies, Director General Police, Director Panchayats & Community Development and the Director Public Instructions (Primary Schools).

The matter of registration of births and deaths received prominence in the departmental periodical of the Directorate of Health Services 'SEHAT' for the month June, 1990 issue. The issue was brought out as a special issue on births and deaths registration.

The Chief Registrar also organised a training programme in districts of Ropar and Patiala in which local Registrars, Medical Officers and other civil registration functionaries participated. The training was imparted by the Additional Chief Registrar of Births and Deaths and Statistical Officer (VS).

Rajasthan

The Chief Registrar of Births and Deaths organised training programmes for civil registration functionaries for the districts of Bharatpur, Banswara, Jhalawar, Jaisalmer, Jaipur, Kota and Chittorgarh. The training was imparted by the Dy. Chief Registrar for the functionaries of Kota and Jaisalmer districts whereas the District Registrars addressed trainees in their respective districts. The programmes were organised at district headquarters.

Publicity measures were intensified in Rajasthan by distributing copies of posters, cinema slides and films on births and deaths received from the Office of the Registrar General, India.

Tamil Nadu

The Inter-departmental Coordination Committee on Vital Statistics, Tamil Nadu met on the 26th June, 1990 under the Chairmanship of Smt. Yasmin Ahmed, I.A.S. Secretary, Health Department, Government of Tamil Nadu. The Director of Public Health & Preventive Medicine; Director of Medical Services; Inspector General of Registration; Director of Town Panchayat; Director of Municipal Administration; Joint Commissioner (L&R); Rural Administration; Joint Director, Elementary Education; Assistant Director, Social Education; Special Officer (Forms), Government Press; Dy. Director (Statistics) and Statistical Assistant Director participated in the deliberations. Some important decisions relating to the flow of monthly returns of births and deaths, Registration Efficiency, Medical Certification of Cause of Death and Computerisation of data on births and deaths were taken in the meeting.

Contd...24/-

Delhi

The Chief Registrar of Births and Deaths has simplified the procedure for issuance of birth/death certificates in Delhi. The current practice of affixing a court fee stamp of Rs.0.40 on an application submitted for getting birth/death certificate in Form No. 9A/10A issued under Section 17 of the RBD Act, 1969 stands abolished w.e.f. the 17th July, 1990. The Chief Registrar has also issued instructions that henceforth, application for the supply of birth/death certificate be accepted on plain paper as at present. However, application forms for this purpose would continue to be supplied free of cost at important places of registration. The Chief Registrar also decided that in the case of domiciliary events, birth/death certificate in Form No. 9 or 10 as the case may be, issued under Section 12 of the RBD Act, 1969, be issued invariably free of cost as at present and without an application. It has been further decided that one more copy of the said certificate may also be supplied to the applicant on demand.

So far, birth/death certificates were not being issued in Form No.9 or 10 in the case of institutional events. It has now been decided that in case of institutional events also, birth/death certificate be supplied on demand with application in Form No.9 or 10, as the case may be. Here also, provision has been made for supplying one more copy of the certificate on demand. Instructions have been issued to indicate residential address of the deceased new born below the last column of the Form.

The Chief Registrar of Births and Deaths, Union Territory of Delhi initiated special steps to educate the public on the facilities available for procuring Birth and Death Certificates. Arrangements were being made to display

90 signboards indicating the places from where birth/death certificates for institutional events could be obtained. So far, these boards have been exhibited in 47 major hospitals located in the union territory. Of these, 45 boards have been exhibited in 17 major hospitals of the union territory. In addition, 10 signboards were got prepared for providing guidance to the public at cremation grounds itself. Such boards are to be exhibited at 10 cremation grounds where death registration facilities are not available.

The Chief Registrar has also distributed cinema slides conveying "Registration of Births and Deaths is a legal obligation" to 64 cinema halls for screening in each show for 15 days.

IV DATA AT A GLANCE

Statement I : Expectation of life at birth by sex, India and major States, 1981-85.

States	Male	Female	Person
1	2	3	4
INDIA	55.4	55.7	55.4
Andhra Pradesh	57.2	59.8	58.4
Assam	52.0	51.9	51.9
Bihar	54.2	51.5	52.8
Gujarat	55.5	59.3	57.6
Haryana	61.5	59.0	60.3
Himachal Pradesh	58.5	62.9	60.4
Jammu & Kashmir	60.2	60.7	60.4
Karnataka	59.7	62.0	60.6
Kerala	65.4	71.5	68.4
Madhya Pradesh	51.5	51.9	51.6
Maharashtra	59.6	62.1	60.6

Contd...26/-

1	2	3	4
Orissa	53.1	53.0	53.0
Punjab	62.6	63.5	63.1
Rajasthan	53.5	53.8	53.5
Tamil Nadu	56.5	57.4	56.9
Uttar Pradesh	51.4	48.5	50.0
West Bengal	56.8	58.0	57.4

SOURCE : Sample Registration System

Statement-II ESTIMATED ANNUAL BIRTH AND DEATH RATES - 1988

(Rates are based on SRS data of continuous enumeration and six monthly cross-check survey)

Sl. No.	States/Union Territories	Area	Birth Rate	Death Rate
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	Combined	27.4	10.2
		Rural	27.6	10.9
		Urban	26.3	7.4
2.	Arunachal Pradesh	Combined	40.0	17.2
		Rural	40.9	18.4
		Urban	30.3	5.0
3.	Assam	Combined	32.9	11.8
		Rural	33.6	12.1
		Urban	24.6	7.9
4.	Bihar	Combined	37.3	12.6
		Rural	38.1	13.0
		Urban	30.4	8.1
5.	Goa	Combined	17.7	7.9
		Rural	17.9	8.5
		Urban	17.4	6.8

1	2	3	4	5
6.	Gujarat	Combined	29.5	11.0
		Rural	30.1	11.8
		Urban	28.1	9.2
7.	Haryana	Combined	33.3	9.8
		Rural	35.0	10.4
		Urban	29.9	7.6
8.	Himachal Pradesh	Combined	32.4	9.6
		Rural	32.9	9.9
		Urban	22.6	5.0
9.	Jammu & Kashmir	Combined	[illegible]	8.4
		Rural	35.5	9.1
		Urban	24.0	6.0
10.	Karnataka	Combined	28.7	8.8
		Rural	30.1	9.5
		Urban	24.9	7.0
11.	Kerala	Combined	20.3	6.4
		Rural	20.0	6.3
		Urban	21.4	6.7
12.	Madhya Pradesh	Combined	37.0	14.3
		Rural	38.4	15.4
		Urban	31.2	9.8
13.	Maharashtra	Combined	29.4	8.9
		Rural	31.4	10.1
		Urban	25.8	6.7
14.	Manipur	Combined	25.8	6.8
		Rural	27.7	7.3
		Urban	19.6	5.3
15.	Meghalaya	Combined	36.4	9.1
		Rural	40.5	10.6
		Urban	17.7	2.7
16.	Nagaland	Combined	22.3	5.0
		Rural	23.8	5.7
		Urban	15.5	1.7
17.	Orissa	Combined	31.9	12.3
		Rural	32.5	12.8
		Urban	26.5	7.1

1	2	3	4	5
18.	Punjab	Combined	28.5	8.4
		Rural	28.[illegible]	8.8
		Urban	27.5	7.2
19.	Rajasthan	Combined	33.5	14.0
		Rural	34.4	15.2
		Urban	28.4	8.7
20.	Sikkim	Combined	[illegible].8	10.1
		Rural	35.8	11.1
		Urban	25.0	5.5
21.	Tamil Nadu	Combined	22.7	9.3
		Rural	23.4	10.3
		Urban	21.4	7.3
22.	Tripura	Combined	26.6	8.1
		Rural	27.5	8.5
		Urban	17.8	4.6
23.	Uttar Pradesh	Combined	37.1	13.2
		Rural	38.2	14.1
		Urban	32.1	9.4
24.	West Bengal	Combined	28.4	8.4
		Rural	32.1	9.4
		Urban	19.1	5.9
UNION TERRITORIES				
1.	A & N Islands	Combined	22.1	6.4
		Rural	23.4	7.1
		Urban	18.1	4.2
2.	Chandigarh	Combined	22.4	4.7
		Rural	26.0	6.0
		Urban	22.1	4.6
3.	Dadra & Nagar Haveli	Rural	33.3	9.8
4.	Daman & Diu	Combined	28.[illegible]	8.9
		Rural	35.7	10.5
		Urban	16.7	6.6
5.	Delhi	Combined	28.6	7.6
		Rural	30.6	8.3
		Urban	28.4	7.6

Contd...29/-

1	2	3	4	5
6.	Lakshadweep	Combined	25.5	6.6
		Rural	25.8	6.2
		Urban	25.2	7.0
7.	Pondicherry	Combined	22.5	7.9
		Rural	24.0	8.7
		Urban	21.4	7.2
	INDIA	Combined	31.5	11.0
		Rural	33.1	12.0
		Urban	26.3	7.7

Source : Sample Registration System.

Statement-III : ESTIMATED INFANT MORTALITY RATES - 1988

States	Rural	Urban	Combined
1	2	3	4
Andhra Pradesh	89	63	84
Assam	101	66	99
Bihar	99	70	97
Gujarat	101	64	90
Haryana	94	72	90
Himachal Pradesh	82	41	80
Jammu & Kashmir	75	53	71
Karnataka	83	46	74
Kerala	29	22	28
Madhya Pradesh	128	83	121
Maharashtra	76	50	68
Orissa	126	69	122
Punjab	63	59	62
Rajasthan	109	66	103
Tamil Nadu	84	51	74
Uttar Pradesh	132	81	124
West Bengal	76	43	69
INDIA	102	62	94

Source : Sample Registration System.

Statement-IV : Percentage distribution of deaths by Major Cause-groups: 1984 to 1988.

Rank	Major Cause-groups	1984	1985	1986	1987	1988
1	2	3	4	5	6	7
1.	Senility	22.3	21.5	22.4	23.0	24.7
2.	Coughs (Disorders of respiratory system)	20.3	20.8	19.7	20.0	20.3
3.	Diseases of circulatory system	9.6	9.9	9.0	9.5	10.0
4.	Causes peculiar to infancy	11.0	10.3	10.5	10.2	9.8
5.	Other clear symptoms	7.8	8.9	8.6	9.3	8.8
6.	Fevers	10.3	9.3	10.4	9.4	8.0
7.	Digestive disorders	7.4	7.6	7.7	7.2	6.5
8.	Accidents & Injuries	6.0	6.3	7.0	6.5	6.5
9.	Disorders of the central nervous system	3.3	4.2	3.7	3.9	4.6
10.	Child-birth and Pregnancy	1.0	1.2	1.0	1.0	0.8
11.	The rest	0.5	-	-	-	-
	All causes	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Contd...31/-

Statement-V : Percentage distribution of deaths due to ten selected [illegible] by [illegible] - India - [illegible]

Diseases	Below 1 yr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]-54	55+	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. [illegible] Bronchitis	1.3	1.1	0.8	0.7	1.8	4.0	12.3	78.0	100.0
2. Heart [illegible] (Ischaemic heart disease)	0.2	0.[illegible]	1.[illegible]	3.5	6.2	12.1	17.4	59.0	100.0
3. Tuberculosis of lungs	[illegible].5	2.0	2.9	8.3	15.3	17.7	20.2	33.1	100.0
4. Pneumonia	42.3	31.7	9.3	2.6	1.9	1.6	1.6	9.0	100.0
5. Anaemia	14.8	19.2	4.6	5.0	4.2	5.9	7.6	38.7	100.0
6. Cancer	0.2	0.9	2.1	3.8	7.2	12.0	18.8	55.0	100.0
7. Gastro-enteritis	8.2	29.9	14.3	.7	3.3	6.0	5.5	27.1	100.0
8. Typhoid	5.7	26.1	17.2	8.5	5.9	6.0	6.4	22.2	100.0
9. Acute [illegible]	[illegible].3	9.6	[illegible].4	[illegible].4	6.6	11.4	13.2	32.6	100.0
10. Dysentery	7.5	31.2	14.3	5.[illegible]	[illegible].7	1.9	6.2	29.3	100.0
All Causes	15.0	7.5	4.6	4.[illegible]	5.[illegible]	5.5	7.0	50.5	[illegible]

Contd...32/-

awarded Rs.300/- each while an [illegible] of Rs.150/- each for the year 1989-90 was given to Sarvashri S.C. [illegible], C.L. Khurana and Arun Dev and Smt. [illegible] for doing [illegible] work in Hindi.

Nagaland

[illegible] the eight members of the [illegible] of the Directorate of Census Operations, Nagaland who appeared in Hindi [illegible] examination have been declared successful. Three of the successful officials have passed with distinction.

VI. [illegible]

Dr. S.S. Srivastava, Joint [illegible] General, India (VS)

- Attended the meeting of Heads of WHO Collaborating Centres for the classification of [illegible] in London from March 27 to April 2, 1990.
- Attended the meeting of Scientific Advisory Committee of the Institute for [illegible] in [illegible] Statistics ([illegible]) - Delhi and Madras Chapters held at New Delhi on June 22, 1990. Dr. Srivastava is member of the Scientific Advisory Committee of the two Institutes.

Dr. B.K. Roy, Deputy Registrar General (Map)

- Delivered a lecture on 16th [illegible], 1990 on "Contemporary Trends in Cartography" in a special session organised by the Delhi Chapter of the Indian National Cartographic Association.
- Gave a presentation on Census [illegible] of Data Mapping to the National Resources Data Management System Scientists in the Ministry of Science & Technology, on the 4th June, 1990.

Contd...34/-

V PROGRESSIVE USE OF HINDI

Persistent efforts are being made by the Office of the Registrar General, India for promoting the use of Hindi at the headquarters and also in various Census Directorates. As a step towards this direction, the Office of the Registrar General, India organised a joint conference of the officials representing Departmental Official Language Implementation Committees of the Directorates of Census Operations located in Northern Zone at Udaipur during March 27-28, 1990 under the Chairmanship of Joint Registrar General, India. The conference reviewed the progress made in promoting use of Hindi in official work in the Census Directorates of the Northern Zone. The practical difficulties faced by the officials of the Directorates in implementing various instructions issued by the Govt. relating to the use of Hindi were also discussed.

The Directorates of Census Operations, Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Orissa, Rajasthan and Tripura and also of the Union Territories of Chandigarh, Delhi, Daman & Diu and Mizoram convened meetings of the Departmental Official Language Implementation Committee of their respective directorates during the quarter under review.

An assessment about the extent of use of Hindi in the Office of the Registrar General, India was made by the Department of Official Language in June, 1990. Necessary action on the inspection report has been initiated.

Sarvashri K.K. Rastogi, Dy. Director of Census Operations and J.S. Rastogi, Assistant Director of Census Operations (Technical) have been given an award of Rs.500/- each for their commendable performance in doing work in Hindi during the year 1989-90. Sarvashri Kashmiri Lal, Computer, Dewan Chand, Assistant Compiler and Fate Ram, Upper Division Clerk were also

Dr. B.P. Mahapatra, Deputy Registrar General (Language)

- Attended the National Seminar on S.K. Chatterjee organised at Hyderabad University, Hyderabad during November 3-6, 1989.
- Delivered a key note address on philosophy of Oriya Etymology at Nilkantha Seminar held in Berhampore University, Berhampore on 16th December, 1989.
- Delivered a 6-lecture course during 23rd October - 3rd November 1989 in the Centre of Advanced Study in Linguistics, Osmania University, Hyderabad. Dr. Mahapatra is a visiting Fellow of the University.

VII APPOINTMENTS, TRANSFERS, RETIREMENTS, ETC.

A. Office of the Registrar General, India

1. Shri Sham Joshi and Shri B.P. Jain, Deputy Director and Deputy Director of Census Operations respectively who were taken on the strength of the office of the Registrar General, India, on deputation basis, have been appointed Deputy Directors of Census Operations, on transfer basis with effect from 30th March, 1990.

2. Shri R.L. Puri, Asstt. Director (Programme) in the office of the Registrar General, India, has been appointed Deputy Director (Programme) by promotion, on regular basis in the same office.

3. Shri Brahm Dutt, Denior Technical Assistant (Veri-type) in the office of the Registrar General, India, has been appointed as Printing Officer by transfer on deputation with effect from 12th March, 1990, in the same office.

4. Shri R.K. Bhatia, Deputy Director of Census Operations resumed charge in the office of the Registrar General, India, w.e.f. 12th March, 1990.

The following officers in the office of the Registrar General, India, on attaining the age of superannuation, retired from Government Service :

Name of Officer	Post held	Date of retirement
Shri V.P. Kateria	Assistant Director of Census Operations	31.01.1990
Shri T.C. Vanjani	Assistant Director of Census Operations	31.01.1990
Dr. O.P. Vig	Deputy Registrar General	31.03.1990
Shri. O.P. Sharma	Deputy Director of Census Operations	31.03.1990

B. Directorates of Census Operations

Assam

Shri N.C. Dutta, I.A.S. took over as Director of Census Operations, Assam with effect from February 9, 1990.

Goa

Shri S. Rajendran, assumed the charge of Director of Census Operations, Goa, w.e.f. 26th February, 1990.

Gujarat

Shri B.M. Patel, Asstt. Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Gujarat, on attaining the age of superannuation, retired from Govt. Service in the afternoon of 30th April, 1990.

Haryana

Shri M.R. Dahri, Assistant Director of Census Operations in the Office of the Director of Census Operations, Haryana took voluntary retirement w.e.f. the afternoon of 31st May, 1990.

Himachal Pradesh

Shri G.S. Pabla, Asstt. Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations Himachal Pradesh was promoted as Deputy Director of Census Operations.

Karnataka

Shri R.Y. Revashetti, Asstt. Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Karnataka, was promoted as Deputy Director of Census Operations w.e.f. 8th June, 1990.

Kerala

Shri P.C. John, Deputy Collector (Housing) on the strength of Kerala State Government was appointed as Deputy Director of Census Operations and posted as Regional Dy. Director of Census Operations, Palghat.

Maharashtra

Shri K.K. Akolkar, Asstt. Director of Census Operations (Technical) in the Directorate of Census Operations, Maharashtra, Bombay, on attaining the age of superannuation retired from Govt. Service in the afternoon of 30th June, 1990.

Mizoram

Shri M. Dawngliana of the Mizoram Civil Services took over as Director of Census Operations, Mizoram w.e.f. the forenoon of 1st June, 1990.

Punjab

Shri Ajit Singh, Deputy Director of Census Operations assumed charge in the office of the Director of Census Operations, Punjab on 9th March, 1990, vice Shri R.K.Bhatia, since transferred.

Contd...37/-

Uttar Pradesh

Shri Vijendra Paul, I.A.S. (U.P. 76) took over as Director of Census Operations, Uttar Pradesh, with effect from 23rd January, 1990.

West Bengal

Shri A. Faruah, Dy. Director of Census Operations assumed charge in the office of the Director of Census Operations, West Bengal [illegible] April, 1990, consequent upon his transfer from Arunachal Pradesh.

Chandigarh

Shri H.L. Kalla, Deputy Director of Census Operations assumed charge in the office of the Director of Census Operations, Union Territory of Chandigarh vice Shri S.P.Grover, since transferred.

Shri D.P. Chatterjee, Asstt. Director of Census Operations (Technical) was promoted as Dy. Director of Census Operations on regular basis, w.e.f. 29th May, 1990.

C. Offices of the Chief Registrars

Assam

Dr. A. Ahmed took over charge of the post of Director of Health Services and Chief Registrar of Births and Deaths, Assam, in place of Dr. A.C. Pa[illegible].

Haryana

Dr. K.L. Batra took over charge of the post of the Director General of Health Services and Chief Registrar of Births and Deaths, Haryana in place of Dr.(Smt.) Nirmal Bhatia.

Jammu & Kashmir

Dr. B.A. Qadiri took over charge of the post of Director of Family Welfare MCH and Immunization and Chief Registrar of Births and Deaths, Jammu & Kashmir in place of Dr. [illegible].

Meghalaya

Dr.(Smt.) Deborah Roy took over charge of the post of Director of Health Services (MCH & FW etc.) and Chief Registrar of Births and Deaths Meghalaya in place of Dr. Kerketta.

Mizoram

Shri Lalmanzuala took over charge of the post of Chief Secretary and Chief Registrar of Births and Deaths, Mizoram in place of Shri Lalkhama.

Maharashtra

Dr. P.B. Abhange took over charge of post of Deputy Director of Health Services (HI & VS) and Deputy Chief Registrar of Births and Deaths, Maharashtra, Pune Office in place of Dr. L.H. Mishra.

Orissa

Dr. B.N. Mishra took over charge of the post of Director of Health Services and Chief Registrar of Births and Deaths, Orissa, in place of Dr. B.B. Purohit.

Tamil Nadu

Dr. Ramalingeswararao took over charge of the post of Director, Public Health and Preventive Medicine and Chief Registrar of Births and Deaths, Tamil Nadu, in place of Dr. E.S. Rahghavendra.

Pondicherry

Shri Hemachandran of the Pondicherry Civil Service took over as Director of Local Administration and Chief Registrar of Births and Deaths, Pondicherry on 15th June,1990.

OBITUARY

We record with profound grief the death of Shri M. Anul Haq, peon in the Directorate of Census Operations, Bihar on June 20, 1990. We convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

VIII PUBLICATION

Office of the Registrar General, India

- Vol. XXIII No.2 - Sample Registration Bulletin, December, 1989.
- Report on 'Sample Registration System 1987.
- Report on Vital Statistics of India, 1985.
- Census of India 1981, Series 1 India - Part XII - Census Atlas (National Volume).
- Census of India 1981, Series 1 India - Part XA Vol.I - Town Directory.
- Census of India, Series 5-Haryana, 1981, Part XII - Census Atlas.
- Census of India 1981, Series 24 Andaman & Nicobar Islands, Part XII - Census Atlas.
- Census of India, Series I, Volume-XIII Arunachal Pradesh, Occasional Papers, Regional Divisions of India - A Cartographic Analysis.
- Census of India 1981, Series I Volume-VIII Jammu & Kashmir, Occasional Papers, Regional Divisions of India - A Cartographic Analysis.
- Census of India 1981, Series I, Volume-XIII, Manipur, Occasional Papers, Regional Divisions of India - A Cartographic Analysis.
- Census of India 1981, Series I, Volume-XXIX, A & N Islands, Occasional Papers, Regional Divisions of India - A Cartographic Analysis.
- Census of India 1981, Series I, Volume XXX, Lakshadweep, Occasional Papers, Regional Divisions of India - A Cartographic Analysis.

Contd...40/-

B.

B. Directorates of Census Operations

- Census of India 1981, Series-1, Volume 1, Andhra Pradesh Part XB - Town Study Report on Chirala.
- Census of India 1981, Series-1, Volume-1, Andhra Pradesh X-C - Village Survey Report on Sivanagar.
- Census of India 1981, Series-1, Volume-1, Andhra Pradesh, Part X-C - Village Survey Report on Lakkaguda.
- Census of India 1981, Series-2, Volume-II, Arunachal Pradesh, Part X-C - Village Survey Report on Rupa.
- Census of India 1981, Series 25, Volume-XXV, Arunachal Pradesh, Part X-B - Town Study Report on Tezu.
- Census of India 1981, Series 2, Volume-II, Andhra Pradesh, Part X-E - Special Study Report on Hyderabad City.
- Census of India 1981, Series 25, Volume-XXV, Arunachal Pradesh, Part X-D - Handicraft Survey Report on Wood Carving of the Wanchos.
- Census of India 1981, Series 3, Volume-III, aAssam, Part X-B - Town Study Report on Barpeta.
- Census of India 1981, Series 4, Volume IV, Bihar, Part X-D - Handicraft Survey Report on Carpet Craft of Obra Village.
- Census of India 1981, Series 4 Volume-IV, Bihar Part X-B - Town Study Report on Dhanbad.
- Census of India 1981, Series 29, Volume-XXIX, Goa, Daman & Diu, Part X-B - Town Study Report on Mapusa.
- Census of India 1981, Series 5, Volume-V, Gujarat, Part X-C - Village Restudy Report of Lawaria.
- Census of India 1981, Series 5, Volume-V, Gujarat, Part X-D - Handicraft Survey Report on Bamboo work.

- Census of India 1981, Series 8, Volume-VIII, Jammu & Kashmir, Part X-B - Town Study Report on Udhampur.
- Census of India 1981, Series 8, Volume-VIII, Jammu & Kashmir, Part X-C - Village Survey Report on Zachaldara.
- Census of India 1981, Series 8, Volume VIII, Jammu & Kashmir, Part X-C - Village Survey Report on Sudhmahadev.
- Census of India 1981, Series 9 Volume-IX, Karnataka, Part X-C - Village Survey Report on [illegible].
- Census of India 1981, Series 9, Volume IX, Karnataka, Part X-D - Handicraft Survey Report on Itkal Saree.
- Census of India 1981, Series 9, Part X-C, Karnataka, Village Survey Report on Archana[illegible].
- Census of India, 1981, Series 9, Part X-C, Karnataka, Village Survey Report on [illegible].
- Census of India 1981, Series 10, Volume X, Kerala, Part X-B - Town Study Report on Mpuvattupuzha.
- Census of India 1981, Series 11, Volume-XI, Madhya Pradesh, Part X-C - Village Survey Report on Dikhatpura.
- Census of India 1981, Series 12, Volume-XII, Maharashtra Part X-B - Town Study Report on [illegible].
- Census of India 1981, Series 12, Volume XII, Maharashtra, Part X-C - Village Survey Report on [illegible]ursure.
- Census of India 1981, Series 14, Volume XIV, Meghalaya, Part X-B - Town Study Report on Tura.
- Census of India 1981, Series 14, Volume XIV, Meghalaya, Part X-C - Village Survey Report on [illegible].
- Census of India 1981, Series 15, Volume XV, Mizoram, Part X-C - Village Survey Report Lower P[illegible]gzwala.
- Census of India 1981, Series 17, Volume [illegible], Orissa, Part X-B - Town Study Report on Bellagumtha.

- Census of India 1981, Series 17, Volume XVII, Orissa, Part X-B - Town Study Report on Bher Wanitippa.
- Census of India 1981, Series 17, Volume XVII, Orissa, Part X-C - Village Survey Report on Lakhrish.
- Census of India 1981, Series 17, Volume XVII, Orissa, Part X-C - Village Survey Report on Bavlagadia.
- Census of India 1981, Series 16, Volume-XVI, Orissa, Part X C - Village Survey Report on Penthababal.
- Census of India 1971, Series 17, Volume-XVII, Rajasthan, Part XI B - Town Study Report on Nathdwara.
- Census of India 1971, Series 17, Volume-XVII, Rajasthan, Part VI C - Village Survey Report on Nangal Soosawatan.
- Census of India 1981, Series 18, Volume XVIII, Rajasthan, Part X D - Handicraft Survey Report on Jutt-patti.
- Census of India 1981, Series 19, Volume XIX, Punjab, Part X D - Handicraft Survey Report on Panja Dari.
- Census of India 1981, Series 19, Volume XIX, Punjab, Part X D - Handicraft Survey Report on Plastic in-lay in wood.
- Census of India 1981, Series 22, Volume XXII, Tamil Nadu, Part X C - Village Survey Report Hallimayur.
- Census of India 1981, Series 22, Volume XXII, Tamil Nadu, Part X C - Village Survey Report on Visavanoor.
- Census of India 1981, Series 24, Volume XXIV, Uttar Pradesh, Part X C - Village Survey Report on Chapanu.
- Census of India 1981, Series 24, Volume XXIV, Uttar Pradesh, Part X C - Village Survey Report on Darkot.
- Census of India 1981, Series 24, Volume XXIV, Uttar Pradesh, Part X C - Village Survey Report on Rajderva Tharu.

- Census of India 1981, Series 23, Volume-XXIII, West Bengal, Part X B - Town Study Report on Uttar Pradesh Kotrung.
- Census of India 1981, Series 23, Volume-XXIII, West Bengal, Part X D - Handicraft Survey Report on Masland Mat.
- Census of India 1981, Series 27, Volume-XXVII, Dadra & Nagar Haveli, Part [illegible] - Town Study Report on Silvassa.
- Census of India 1981, Series 28, Volume-XXVIII, Delhi, Part X C - Socio Economics Resurvey Report on Singhu.
- Census of India 1981, Series 28, Volume-XXVIII, Delhi, Part X C - Portrait of Population.

C. <u>States/Union Territories</u>

- Report on the working of the Registration of Births & Deaths Act, 1969, for the year 1988 - Andhra Pradesh.
- Census of India, Series 3, Assam, District Census Handbook, Part XIII-A, Village and Town Directory of Goal Para district.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1988 - Kerala.
- Census of India 1981, Series 10, Kerala, District Census Handbook, Part XIII-A and B, Village and Town Directory and Village and Townwise Primary Census Abstract of Kozikode District.
- Census of India, Series 10, Kerala, District Census Handbook Part XIII A and B, Village and Town Directory and Village and Townwise Primary Census Abstract of Kottayam district.
- Health Services Newsletter, Volume-24 No.5 - The State Health Education Bureau Directorate of Health Services, Kerala, Trivandrum.

- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1988 - Madhya Pradesh.
- Census of India 1981, Series 11, Madhya Pradesh, district Census Handbook, Part XIII - A Village and Town Directory Bhind district.
- Census of India 1981, Series 11, Madhya Pradesh, District Census Handbook, Part XIII-B, Village and Town wise Primary Census Abstract Bhind District.
- Report on the Survey of Causes of Death (Rural), 1987 - Madhya Pradesh.
- Report on the working of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 for the year 1989 - Manipur.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1986 - Mizoram.
- Census of India, Series 17, Orissa, District Census Handbook Part XIII.B, Village and Townwise Primary Census Abstract of Ganjam district.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 for the year 1989 - Punjab.
- Report on Vital Statistics for the year 1988 - Rajasthan.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1988 - Tripura.
- Census of India 1981, Series 22, Uttar Pradesh, District Census Handbook, Part XIII-A Village and Town Directory, District Almora.
- Census of India 1981, Series 22, Uttar Pradesh, District, Census Handbook, Part XIII-A Village and Town Directory District Lucknow.

Contd...45/-

OFFICERS AND STAFF ASSOCIATED WITH THIS PUBLICATION

A.R. [illegible]
Registrar General & Census Commissioner for India

S.S. SRIVASTAVA
Joint Registrar General, India

R.K. BHATIA
Deputy Director of Census Operations

STAFF

Sh. G.K. Sharma
Investigator

Smt. S.P. Badhwar
Statistical Assistant.

Smt. S. Mittal,
Computor.

Krishan K. Goswami,
Stenographer Gr.'D'

Kum. Taruna Dhawan,
Assistant Compiler.

[illegible]:

Kum. Taruna Dhawan
Assistant Compiler.

- Census of India 1981, Series 22, Uttar Pradesh, District Census Handbook, Part XIII-B, Village and Townwise Primary Census Abstract District Lucknow.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1988 - West Bengal.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1988 - Chandigarh.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1988, Delhi.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1986 - Lakshadweep.
- Report on the working of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, for the year 1986 - Pondicherry.

-:-:-:-:-:-:-

600 Copies—January 1991

Sunlight Printers, 2265, Dr. Sen Marg, Fountain, Delhi-110006 Ph. 233363